खण्ड-420, अंक-4
मंगलवार, 14 श्रावण, शक संवत् 1919
(5 अगस्त, 1997 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 1997)

खण्ड 420 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1997

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 21 रुपये |

विषय-सूची

विषय				पृष्ठ-संख्या
प्रश्नोत्तर	...	...	...	1-39
विधायक निधि की स्थापना की मांग	...		...	89-100
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	...		...	101
जनपद गोण्डा में पूर्वांचल विकास निधि योजना में वर्ष 1996-97 में आवंटित धनराशि में भेदभाव बरते जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			..	101
प्रतापगढ़ शहर में पुराने राशन कार्ड की जांच कर नये राशन कार्ड उपलब्ध कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			...	101
शिकारपुर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत 132 के0 वी0 विद्युत स्टेशन के निर्माण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			...	102
चन्दौली के धानापुर क्षेत्रान्तर्गत लेहरा, मनिहरा ड्रेन की खुदाई व सफाई कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			...	102
राजधानी में रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर में वैज्ञानिक एवं प्रशासनिक पदों पर की गई अवैधानिक नियुक्तियो को रद्द करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	103
अलीगढ़ के बरौली क्षेत्रान्तर्गत जल स्तर नीचे हो जाने के कारण पेयजल संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			...	103-104
शाहजहांपुर में नाले-नालियों की सफाई एवं सड़कों की मरम्मत कराने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	...		...	104
कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग-2 की दिनांक 27 अगस्त, 96 की विज्ञप्ति (सदन के पटल पर रखी गई)	...		...	104
उत्तर प्रदेश व्यापार कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1997 (सदन के पटल पर रखी गई)	...	...	...	105
कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग-2 की दिनांक 26 मई, 1997 की विज्ञप्तियों (सदन के पटल पर रखीं गई)	...		...	105
कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग-2 की दिनांक 26 जून, 1997 की विज्ञप्तियां (सदन के पटल पर रखी गई)	...		...	105-106
उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1996 (सदन के पटल पर रखी गई)	...	...	...	106
उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी शराब का निर्माण आयात निर्यात परिवहन कब्जे में रखना और विक्रय) नियमावली, 1996 (सदन के पटल पर रखी गई)				106
उत्तर प्रदेश आबकारी की दुकानों की संख्या और स्थिति (संशोधन) नियमावली, 1997 (सदन के पटल पर रखी गई)			...	106
उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गई)	...	...	...	106
उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट डीजल आयल तथा एल्कोहल की बिक्री या क्रय कराधान चतुर्थ संशोधन नियमावली, 1996 (सदन के पटल पर रखी गई)			..	107

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश वैण्ड आफ ताड़ी (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1994 (सदन के पटल पर रखी गई)	107
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रमों के निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	107-110
उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान विधेयक, 1997 (पुर:स्थापित) ...	110
कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	110-111
उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 1997 (पारित)	111-112
वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर मतदान	112
अनुदान संख्या 23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना) (स्वीकृत) ...	113
अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)(स्वीकृत) ...	113
अनुदान संख्या-93 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत) ...	113
अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत) ...	113-114
अनुदान संख्या-60-वन विभाग (स्वीकृत) ...	114
अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार)(स्वीकृत) ...	114-115
अनुदान संख्या-28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	115
गन्ना किसानों के मूल्य का भुगतान संबंधी चर्चा का निरस्तीकरण ...	115
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	115-116
मेरठ नगर निगम में की जा रही अधिकारियों की मनमानी भ्रष्टाचार से उत्पन्न विषयक स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	116-117
उत्तरांचल क्षेत्र में हाई स्कूल व इण्टर कालेजों के खोलने के संबंध में जिला से शिक्षा विभाग द्वारा गलत सूचनायें प्रेषित किये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य का स्थगन	117-118
भदोही जनपद के कालीन उद्योग के व्यवसायियों के विरुद्ध कुप्रचार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	118-120
प्रदेश के 14 विश्वविद्यालयों की सभाओं में कार्य करने हेतु विधान सभा के 5-5 सदस्यों के नाम निर्देशन करने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	120
राज्य समन्वय समिति विकलांग कल्याण में कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन के लिये श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	121

विषय	पृष्ठ-संख्या
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों के नाम-निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	121-122
गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पन्त नगर के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन के लिये श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	122
जनपद सुल्तानपुर के औद्योगिक क्षेत्र के जगदीशपुर में मालविका स्टील में सुरक्षा उपायों की विभिन्नता के कारण कर्मचारियों की हो रही मौत के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ...	122-124
नत्थियां	125-132

विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

मंगलवार, दिनांक 5 अगस्त, 1997

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :-

अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	बालेश्वर त्यागी, श्री	गाजियाबाद
अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा	भगवती प्रसाद, श्री	कानपुर देहात
अजय राय, श्री	वाराणसी	मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	मातवर सिंह कण्डारी, श्री	टिहरी गढ़वाल
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर	मायावती सुश्री	सहारनपुर
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़	रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना
अम्मार रिजवी, डा0	सीतापुर	रमापति शास्त्री, श्री	गोण्डा
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी	रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद	रवीन्द्र शुक्ला, श्री	झांसी
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद	राजराय सिंह, श्रीमती	पीलीभीत
*आलमबदी, श्री	आजमगढ़	राधेश्याम, श्री	कानपुर देहात
ओमवेश, स्वामी,	बिजनौर	रामजग, श्री	आजमगढ़
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर	राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी	रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
कुंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर	राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर	राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली	राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा	रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री	झांसी	लालजी टैण्डन, श्री	लखनऊ
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया,	गोरखपुर	लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा	*वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
धनराज यादव, श्री	सिद्धार्थनगर	विद्या सागर गुप्ता, श्री	लखनऊ
धनीराम वर्मा, श्री	इटावा	विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली	शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0	इलाहाबाद	शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई	श्रीराम, श्री	जालौन
नीरज चतुर्वेदी,श्री	कानपुर नगर	सतीश शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर	सरस्वती प्रताप सिंह, श्री	खीरी
प्रभा द्विवेदी, श्रीमती	फर्रुखाबाद	सुशीला अग्रवाल, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
बंशीधर भगत, श्री	नैनीताल	हरवंश कपूर, श्री	देहरादून
		हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र
		हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर

नोट:- * मा0 सदस्य ने अभी तक शपथ ग्रहण नही किया है ।

केवल संदर्भ हेतु

मंगलवार, दिनांक 5 अगस्त,1997

(विधान सभा की बैठक सभा मंडप लखनऊ में दिन के ।। बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों का लगान माफ करने की मांग

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

अनुपस्थित

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 5 एकड़ से कम जमीन वाले सभी किसानों का लगान माफ करने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक और इस बारे में प्रस्तावित रुपरेखा क्या है? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

3.125 एकड़ तक भूमि पर पहले से ही भू राजस्व माफ किया जा चुका है।

(विपक्ष के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये और व्यवस्था का प्रश्न उठाने लगे जिससे व्यवधान हो गया)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

(व्यवधान)

कृपया आप अपने-अपने स्थान पर बैठिये।

देखिये प्रश्न काल प्रारम्भ होना है मैने पहला प्रश्न पुकार लिया है। माननीय श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल अनुपस्थित हैं। बहुत से माननीय सदस्य अनुपूरक प्रश्नों के लिये तैयार रहते हैं। सरकार से बहुत सी सूचनायें उपलब्ध करानी होती हैं। इसलिये मेरा अनुरोध है कि प्रश्न काल को चलने दें।

(डा0 वकार अहमद शाह, श्री अब्दुल कलाम, श्री सुधाकर सिंह, श्री जगन्नाथ सिंह, श्री चन्द्र नाथ सिंह, श्री उदय राज सिंह, श्री दीपक कुमार, श्री राधेश्याम जायसवाल, डा0 कौशल किशोर, श्री जगदीश सिंह राजा, श्री मूल चन्द्र तथा श्री अरिमर्दन सिंह आदि माननीय सदस्य सदन के फ्लोर में आ गये जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन की कार्यवाही 12.20 तक के लिये स्थगित करता हूं।

(इस समय ।। बजकर 3 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक स्थगित कर दी।

प्रदेश में अत्यन्त निर्बल वर्ग के लिये खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने की नीति

2-डा0 सरजीत सिंह डंग-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बतलाने की कृपा करेंगें कि प्रदेश में अत्यन्त निर्बल वर्ग के लिये खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने के बारे में सरकार की कोई नीति है? यदि हां तो क्या? क्या यह सही है कि वर्तमान खाद्य नीति के अन्तर्गत उक्त वर्ग के सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से उपलब्ध कराये जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा महीने भर के लिये पर्याप्त नहीं है? क्या यह भी सही है कि महीने भर के शेष खाद्यान्न

नोट-उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 41 के अनुसार सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

की खरीद मंहगे भाव पर ऐसे वर्ग के लोग बाजार से करते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खाद्य नीति की समीक्षा करके उसे सहयोगी बनायेगी? यदि हां तो कब तक यदि नहीं तो क्यों?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री ऐजाज रिजवी)-

जी हां भारत सरकार द्वारा दिनांक 01 जून,97 से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 10 कि0ग्रा0 खाद्यान्न 7 कि0ग्रा0 गेहूं व 3 कि0ग्रा0 चावल आधे मूल्य पर दिये जाने सम्बन्धी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई है।

जी हां।

जी हां।

यह योजना भारत सरकार द्वारा ही संशोधित की जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।

प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधारने के सम्बन्ध में जानकारी

*1.-श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधारने हेतु सरकार फिर से प्रदेश में नकल विरोधी कानून लागू करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है? यदि नहीं तो क्यों?

माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा मंत्री (डा0 नैपाल सिंह)-

सम्प्रति ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में समाचार पत्र मीडिया से सम्बद्ध समाचार पत्रों के व्यक्तियों को सरकारी आवास आवंटित करने के सम्बन्ध में शासन की नीति

*2-श्री विनय कुमार पाण्डेय "विन्नू"-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समाचार पत्र मीडिया से सम्बद्ध समाचार पत्रों के व्यक्तियों को सरकारी आवास आवंटित करने के संबंध में कोई नीति निर्धारित की गई है? यदि हां, तो वह क्या हैं? कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें शासन द्वारा लखनऊ में सरकारी आवास आवंटित किये गये हैं तथा उनमें से कितने ऐसे हैं जिन्हें शासन द्वारा रियायती दर पर विकास प्राधिकरण अथवा आवास विकास परिषद् द्वारा निर्मित कालोनियों में मीडिया कोटे से भूखण्ड अथवा आवास आवंटित किये गये हैं? क्या मंत्री जी जनहित में ऐसे व्यक्तियों को आवंटित सरकारी आवासों का आवंटन निरस्त कर उन्हें अर्ह कर्मचारियों/अधिकारियों को आवंटित करेंगे? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

जी हां नियमावली की प्रति संलग्न† है। राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा 204 व्यक्तियों को सरकारी आवास आवंटित किये गये हैं, तथा आवास विभाग द्वारा उपलब्ध

---

† छापी नहीं गई।

करायी गई सूचना के अनुसार इनमें से किसी को भी लखनऊ विकास प्राधिकरण अथवा आवास विकास परिषद् द्वारा रियायती दर पर कोई भी भूखण्ड/भवन आवंटित नहीं किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश शासन के नगरीय क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिये पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में शासन की नीति

*3-डा0 सरजीत सिंह डंग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि प्रदेश शासन के नगरीय क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिये क्या नीति एवं लक्ष्य निर्धारित हैं? इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिये क्या सरकार के पास कोई योजना है? यदि हां तो यह क्या है? यदि नहीं तो क्यों?

नगर विकास एवं आवास मंत्री (श्री लालजी टण्डन)-

शासन की नीति के अनुसार प्रदेश के सभी नगर क्षेत्रों में समुचित पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जानी है, जो वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है।

जी हां। प्रदेश के जिन नगरों में पाइप्ड पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन नगरों में पाइप पेयजल हेतु तथा सभी नगरों में योजनाओं के पुर्नगठन हेतु अनुमानित लागत रु0 2350.00 करोड़ की योजना निर्मित की गई है, इसके अतिरिक्त गोकुल, आगरा एवं कानपुर में बैराज बनाये जाने हेतु अनुमानित लागत रु0 650.00 करोड़ की योजना निर्मित की गई है। इस प्रकार कुल रु0 3000.00 करोड़ की योजना निर्मित की गई है।

(तारांकित प्रश्न)

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर ग्राम सभा तरछापार टाउन एरिया को विल्थरा रोड से जोड़ने की मांग

*1-श्री पारसनाथ यादव-

क्या नगर विकास मंत्री जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर के अन्तर्गत ग्राम सभा तरक्षापार की टाउन एरिया विल्थरा रोड के अन्तर्गत सम्मिलत करेंगे जो टाउन एरिया बिल्थरा रोड से जुड़ा हुआ है? यदि हां तो क्या मंत्री जी उक्त ग्राम हेतु एक पानी की टंकी व लाइट की विशेष स्वीकृति प्रदान करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री लालजी टण्डन-

नगर पंचायत विल्थरा रोड़ में ग्राम तरक्षापार को सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति

*2-श्री सूर्य प्रताप शाही-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि ग्रामीण क्षेत्र में 8 घण्टे से अधिक की विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है? यदि हां तो ग्रामीण क्षेत्र में 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

सुश्री मायावती-

ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 8 घण्टे प्रतिदिन से अधिक विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करायी जा रही है।

वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 10 घण्टे विद्युत आपूर्ति का प्राविधान है 18 घंटे विद्युत आपूर्ति का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अंतर्गत अनपरा "बी" विद्युत निकासी हेतु 800 के0वी0 400 के0 वी0 लाइन बनवाने के सम्बन्ध में

*3-श्री लल्लू सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया तथा श्री जय प्रकाश निषाद्-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा 'बी' तापीय परियोजना की विद्युत निकासी हेतु 800 के0 बी0/400 के0 वी0 पारेषण लाइन किस विदेशी कम्पनी के सहयोग से बन रही है? उक्त निविदा का मूल्यांकन करने वाले अधिकारियों के नाम क्या हैं? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि सिविल निर्माण मंडल के शिड्यूल आफ रेट तथा पारेषण लाइन की घोषित दरों में कितने गुने का अंतर है? क्या इस प्रकार परिषद् को हुई क्षति जो सिविल कार्यों में लगभग 200 करोड़ रुपये की है उसकी भरपाई कैसे की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार इसकी सी0बी0आई से जांच के आदेश करेगी?

सुश्री मायावती-

800 के0वी0 अनपरा उन्नाव लाइन जो कि फिलहाल 400 के0 वी0 पर उर्जीकृत की जायेगी, ओ0ई0सी0एफ जापान से प्राप्त ऋण द्वारा बनायी जा रही है।

निविदा का मूल्यांकन करने वाले अधिकारियों के नाम निम्नवत् है:-

1-श्री वंशीधर पाण्डेय अवकाश प्राप्त
मुख्य अभियन्ता,
2-श्री वीरेश्वर सिंह,
मुख्य अभियन्ता
3-श्री पी0 पी0 रस्तोगी,
अधीक्षण अभियन्ता
4-श्री सुरेन्द्र नारायण,
अधिशासी अभियन्ता
5-श्री वी0 के0 श्रीवास्तव,
वरिष्ठ सहायक अभियन्ता
6-श्री जी0 एस0 दीक्षित,
वरिष्ठ सहायक अभियन्ता

उपरोक्त के अतिरिक्त परिषद् की केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति द्वारा अनुमोदन के उपरान्त केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण एवं ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा भी उक्त निविदाओं के मूल्यांकन की जांच की गई है।

उच्च विभव की लाइनों के विभागीय रेट शिड्यूल नहीं बनाये जाते हैं। सिविल निर्माण मंडल के शिड्यूल आफ रेट स्थानीय जनपद के कार्यों के लिये जो टुकड़ों (पीसमील) में होते हैं, बनाये जाते हैं। अतः इस 800 के0वी0 पारेषण लाइन जो कि अनपरा से उन्नाव तक लगभग 408 किलो मीटर की लम्बाई में पहाड़ों व वनों में होकर गुजरती है दरों का सिविल निर्माण मंडल के शिड्यूल आफ रेट से तुलना करने का कोई औचित्य नहीं है।

हानि का प्रश्न नहीं उठता। इस सम्पूर्ण पारेषण लाइन का मूल्य 462 करोड़ रुपे के लगभग है उसमें जनपद कार्य लगभग 37 करोड़ रुपये के हैं जिसमें सीमेन्ट, गिट्टी, बालू लोहे की सरिया आदि के मूल्य भी सम्मिलित हैं।

अतः 200 करोड़ रुपये तो इन जनपद कार्यो की कुल लागत भी नहीं है।

क्षति नहीं हुई है। अतः जांच का कोई औचित्य नहीं है।

प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्रों के सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों को जीवन बीमा योजना का कथित लाभ

*4-श्री नारायण रामदास-

क्या शिक्षा मंत्री (बेसिक शिक्षा) कृपया बतायेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र के सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों को सामूहिक जीवन बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है? यदि नहीं तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री रवीन्द्र शुक्ल)-

जी नहीं।

जूनियर हाईस्कूल के हाईस्कूल में उच्चीकृत होने के पश्चात उसको मिलने वाला अनुदान रोक दिया जाता है। परिणाम स्वरूप उस विद्यालय के अध्यापकों/कर्मचारियों को मिलने वाला वेतन भी बन्द हो जाता है। ऐसी स्थिति में बीमा राशि की कटौती सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।

विश्वविद्यालयों में व्याप्त गम्भीर वित्तीय संकट के निवारण हेतु गठित समिति का प्रतिवेदन

*5-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालयों में व्याप्त गम्भीर वित्तीय संकट तथा उसके निवारण के उपाय हेतु गठित समिति द्वारा प्रतिवेदन सरकार को सौप दिया गया है? यदि हां, तो वह प्रतिवेदन क्या है?

उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री (डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)-

जी हां।

प्रश्नगत प्रतिवेदन में निम्नांकित संस्तुतियां की गई हैं :-

(1) विश्वविद्यालयों की वित्तीय समिति में शासन के अधिकारियों की भी सदस्यता रखी जाय।

(2) नये पदों के सृजन पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाय।

(3) शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के मानक निर्धारित करके उसके अनुसार पदों का सृजन किया जाय ।

(4) विश्वविद्यालयों को ब्लाक ग्रान्ट की व्यवस्था करके उन्हें वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने तथा उनकी आय बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की जाय ।

(5) विश्वविद्यालय अपनी आय बढ़ाने के गम्भीर प्रयास करें । शिक्षण शुल्क एवं परीक्षा शुल्क की दरों में वृद्धि की जा सकती है ।

(6) अनुमोदित व्ययों पर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कार्यकारी योजना तैयार की जाय ।

(7) वार्षिक तुलन पत्र एवं लेखों के सम्परीक्षण को अद्यावधिक किया जाय ।

उत्तर प्रदेश में बिजली का उत्पादन एवं आवश्यकता का विवरण

*6-कुंवर रेवती रमण सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में कुल बिजली का उत्पादन कितना है और कितनी आवश्यकता है, कितनी कटौती करनी पड़ती है ? उसे पूरा करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

सुश्री मायावती-

वित्तीय वर्ष 1996-97 एवं वित्तीय वर्ष 1997-98 के प्रथम चार माह (अप्रैल-जुलाई) में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत उपलब्धता, प्रतिबन्धित मांग एवं कटौती का विवरण निम्नानुसार है :-

विवरण	वित्तीय वर्ष 1996-97 (एम0यू0)	वित्तीय वर्ष 1997-98 (अप्रैल-जुलाई) एम0यू0
उत्पादन	23645	7972
आयात	13692	4676
कुल उपलब्धता	37337	12648
प्रतिबन्धित मांग	41071	13641
विद्युत कटौती	3734	993

विद्युत की आवश्यकता को पूरा करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :-

1-अल्पकालिक उपाय-

वर्ष 1997-98 में टाण्डा तापीय विद्युत गृह की चतुर्थ 100 मेगावाट इकाई चालू किये जाने का लक्ष्य है ।

मरम्मत में बन्द पड़ी तापीय इकाइयों को वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार पुनः चालू किये जाने का प्रयास किया जा रहा है । इस दिशा में ओबरा तापीय विद्युत गृह की 374 मेगावाट क्षमता की बन्द पड़ी इकाइयों को पावर फाइनेन्स कारपोरेशन, नई दिल्ली की सहायता से चालू किया जाना प्रस्तावित है तथा परिषद् के आन्तरिक

संशाधनों की उपलब्धतानुसार हरदुआगंज तापीय विद्युत गृह की मरम्मत में बन्द 145 मेगावाट क्षमता को पुनः चालू किये जाने का प्रयास किया जा रहा है ।

2-**दीर्घकालीन उपाय**-

प्रदेश सरकार की नई ऊर्जा नीति के अनुसरण में निजी पूंजी निवेश कर्ताओं द्वारा नये जलीय एवं तापीय विद्युत गृहों के निर्माण हेतु सहमति पत्र/विद्युत क्रय अनुबन्ध निष्पादित किये जा सके हैं/किये जा रहे हैं ।

उपरोक्तानुसार नवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में राज्य क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के अन्तर्गत 6683 मेगावाट क्षमता का सृजन प्रस्तावित है ।

बी0 टी0 सी0 ट्रेन्ड अध्यापकों की नियुक्ति के मानक

*7-श्री रंगनाथ मिश्र-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बी0 टी0 सी0 ट्रेन्ड अध्यापकों की नियुक्ति करने के लिये कोई मानक निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या भदोही जनपद में मार्च, 1997 में प्रा0 अध्यापकों की नियुक्ति की गई ? यदि हां, तो कितनी ? क्या बिहार प्रदेश से बी0टी0सी0 करने वाले अध्यापकों की नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो बिहार प्रदेश के बी0टी0सी0 अध्यापकों को नियुक्त किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त नियुक्तियों की जांच करवाकर उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

जी हां ।

स्वीकृत पदों के अन्तर्गत 40:1 छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर अध्यापकों की आवश्यकता का आंकलन कर नियुक्ति की जाती है ।

जी हां ।

279

जी हां ।

बिहार प्रान्त का शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र उ0 प्र0 सरकार द्वारा बी0टी0सी0 प्रशिक्षण के समकक्ष मान्य है ।

जी हां ।

फिरोजाबाद नगर की गन्दगी साफ करने हेतु पब्लिक द्वारा व्यवस्था

*8-श्री रघुवर दयाल वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि फिरोजाबाद नगर की 4 लाख आबादी के क्षेत्र में मैला-कूड़ा उठाने/ढोने के पर्याप्त साधन नहीं हैं और समुचित ट्रेन्चिंग ग्राउन्ड शहर के दक्षिण पूर्व और पश्चिमी भाग में नहीं है ? क्या यह सही है कि मैला के ढेरों से नगर में भीषण गन्दगी हो गई है ? क्या शहर के सुन्दरीकरण के लिये कदम उठाये गये हैं ? यदि हां, तो उसके अन्तर्गत क्या-क्या कार्य हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन-

फिरोजाबाद नगर की लगभग चार लाख आबादी पर कूड़ा उठाने/ढोने के लिये पालिका के पास 716 नियमित कर्मचारी है तथा 10 वाहन एक जे0सी0वी0 मशीन तथा एक लोडर है । शहर के पश्चिम, पूरब तथा दक्षिण तरफ में ट्रेंचिंग ग्राउन्ड नहीं है ।

पालिका में सफाई कर्मचारियों की कमी एवं कूड़ा/मैला ढोने वाले वाहनों की कमी होने के कारण नगर में गन्दगी है, फिर भी पालिका अपने सीमित संसाधनों से सफाई कार्य करने के लिये प्रयासरत है ।

जी हां ।

नगर फिरोजाबाद में पांच मलिन बस्तियों में 54 लाख रुपये से विकास कार्य कराने जा रहे हैं, जिनमें नाली, खड़ंजा सड़क निर्माण, विद्युतीकरण आदि सम्मिलित है ।

प्रदेश में विद्युत की अघोषित कटौती करने की जानकारी

*9-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत परिषद् ने कोल इण्डिया का 128 करोड़ रुपये का भुगतान न करने के कारण माह जून, 1997 में कोयले की आपूर्ति रोक दी थी, जिसके कारण कोयले के अभाव में ताप विद्युत गृह अनपरा एवं ओबरा के उत्पादन में काफी गिरावट आई है ? क्या यह सही है कि उत्पादन घटने के कारण राज्य में गम्भीर विद्युत संकट से निपटने हेतु 2000 मेगावाट विद्युत केन्द्रीय सेक्टर से आयात करने के बाद भी प्रदेश में करीब 880 मेगावाट की अघोषित कटौती करनी पड़ रही है ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं ।

कोयले के अभाव के कारण माह जून, 1997 में ताप विद्युत गृह अनपारा एवं ओबरा में उत्पादन में गिरावट नहीं आयी है ।

जी नहीं ।

माह जून, 1997 में औसतन 40.00 मिलियन यूनिट प्रतिदिन विद्युत का आयात किया गया तथा प्रतिबन्धित मांग के सापेक्ष 4.1 मिलियन यूनिट प्रतिदिन की कटौती की गई । मेगावाट में यह औसत 1667 मेगावाट का औसत आयात एवं 171 मेगावाट की औसत कटौती होगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*10-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

(दि0 29-7-97 को ता0प्र0सं0 8 द्वारा उत्तरित)

प्रदेश में विद्युत चोरी रोकने के सम्बन्ध में किये गये उपायों की जानकारी

*11-श्री बाबूराम-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत चोरी रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ? क्या यह सही है रोलिंग मिल/स्टील प्लाण्ट्स द्वारा करोड़ों रुपये की विद्युत चोरी प्रतिमाह की जा रही है ? क्या परिषद् के क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता ने मेसर्स सोमानी स्टील लिमिटेड की 2.5 करोड़ रुपये का सिस्टम लोडिंग चार्ज समाप्त कर दिया है ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता एवं श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा व श्री देवी प्रसाद सिंह, सांसद का पत्र दिनांक 10-1-97 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

सुश्री मायावती-

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत चोरी रोकने हेतु समय-समय पर क्षेत्रीय अधिकारियों का मार्ग दर्शन करने के साथ-साथ परिषद् स्तर से निम्न मुख्य उपाय किये गये हैं :-

(1) परिषद् के अन्तर्गत विभिन्न स्तर पर 33 पुलिस प्रवर्तन दल तैनात किये गये हैं, जिनके द्वारा अधिक विद्युत चोरी की सम्भावना वाले उपभोक्ताओं पर आकस्मिक छापे डाले जाते हैं ।

(2) प्रत्येक अंचल के मुख्य अभियन्ता (वितरण) के अधीन एक उच्च स्तरीय अधिकारियों की रेड टीम का गठन किया गया है जो बड़े एवं भारी उपभोक्ताओं के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच करती है । इसी प्रकार प्रत्येक मण्डल स्तर पर अधिशासी अभियन्ताओं की पुलिस दल के साथ एक रेड टीम का गठन कर दिया गया है, जो अपने मण्डल के कार्यक्षेत्र से बाहर की शिकायतों की जांच करती है ।

(3) विद्युत चोरी करते पकड़े गये उपभोक्ताओं पर राजस्व निर्धारण, सामान्य टैरिफ का तीन गुने किया जाता है ।

(4) उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के प्रयास से विद्युत चोरी को एक संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध घोषित किया गया है, जिसमें विद्युत चोरी करते पकड़े गये उपभोक्ता को बिना वारन्ट गिरफ्तार किया जा सकता है ।

(5) प्रत्येक अधिशासी अभियन्ता (वितरण) द्वारा 500 के0वी0ए0 से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं के विद्युत उपभोग की तुलना प्रत्येक माह पिछले 6 माह एवं एक वर्ष के विद्युत उपभोग से की जाती है एवं अपेक्षित उपभोग से अधिक अन्तर पाये जाने पर उन उपभोक्ताओं को चेक किया जाता है ।

(6) परिषद् द्वारा क्षेत्रीय अधिकारियों को उपभोक्ता के परिसर पर सुचारु रूप से मीटरिंग संबंधी सीलिंग करने हेतु दिशा निर्देश दे दिये गये हैं ताकि उपभोक्ता की मीटरिंग सीलिंग प्रभावी ढंग से की जा सके एवं इस सीलिंग हेतु उपभोक्ता के भारानुसार/श्रेणी अनुसार विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों का दायित्व भी निर्धारित कर दिया गया है ।

जी नहीं ।

रोलिंग मिल/स्टील प्लांट्स तथा अन्य विद्युत चोरी से संबधित सूचना परिषद् को प्राप्त होने पर इसकी जांच क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा की जाती है एवं दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाती है ।

जी नहीं ।

प्रश्नकर्ता का दिनांक 10-1-97 का कोई भी पत्र इस संबंध में प्राप्त नहीं हुआ है, परन्तु एक पत्र दिनांक 10-1-97 जो कि श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद, श्री देवी प्रसाद सिंह, सांसद एवं श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया, विधायक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित परिषद् को प्राप्त हुआ है । इस पत्र से संबधित जांच मुख्य अभियन्ता (वितरण) मध्यांचल लखनऊ द्वारा की जा रही है एवं आख्या प्रतीक्षित है ।

प्रदेश में घरेलू विद्युत लाइन से फेब्रीकेटर्स को पावर कनेक्शन प्रदान करने की जानकारी

*12-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डी ब्लाक इन्दिरा नगर लखनऊ स्थित पिकनिक स्पाट रोड पर इस समय कुल कितने फेब्रीकेटिंग इण्डस्ट्रीज के कनेक्शन आवंटित हैं ? क्या इन कामर्शियल उपभोक्ताओं को घरेलू विद्युत लाइन से कनेक्शन प्रदान किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि विद्युत विभाग की उक्त कनेक्शन आवंटन नीति से घरेलू उपभोक्ताओं को लो बोल्टेज तथा बोल्टेज फ्लक्चुयेशन की समस्या लगातार बढ़ रही है ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ? घरेलू विद्युत लाइन से अनेक फेब्रीकेटर्स को पावर कनेक्शन प्रदान करने के लिये कौन दोषी है ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

सुश्री मायावती-

वर्तमान समय में उक्त क्षेत्र में 22 फेब्रीकेटिंग के विद्युत कनेक्शन निर्गत किये गये हैं ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

घरेलू एवं वाणिज्यिक कनेक्शन एक ही पोषक से दिये जाते हैं ? अतः फेब्रीकेटर्स को कनेक्शन दिये जाने के लिये कोई दोषी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 को एकाधिक प्रान्तों में विभाजित करने का कथित प्रस्ताव

*13-श्री राम औतार शाक्य-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उ0 प्र0 को एकाधिक प्रान्तों में विभाजित करने के लिये सरकार सदन में कोई प्रस्ताव/संकल्प लाने जा रही है ? यदि हां, तो कब और उसका आधार क्या है ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली में विद्युत कटौती की जानकारी

*14-श्री अखिलेश कुमार सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद रायबरेली विगत 3-4 वर्षों से विद्युत कटौती का जिला घोषित है जिसके कारण उक्त जनपद औद्योगिक एवं आर्थिक रूप में पिछड़ता जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार रायबरेली जनपद को विद्युत कटौती से मुक्त करने के आदेश प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली को स्थायी रूप से विद्युत की आपात कटौती से मुक्त रखना प्रणाली के हित में नहीं होगा क्योंकि बढ़ी विद्युत मांग की पूर्ति हेतु अन्य जनपदों में विद्युत कटौती बढ़ानी पड़ेगी जिससे अन्य जनपदों के साथ विषमतायें भी उत्पन्न हो जायेंगी ।

प्रदेश में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रबन्धाधिकरण द्वारा शिक्षण कार्य की व्यवस्था

*115-श्री मोहन सिंह रावत गांववासी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अनेक वर्षों से विभिन्न विषयों की मान्यता दी जा रही है ? क्या यह सही है कि शासन के द्वारा अभी तक विभिन्न ग्रेड के शिक्षकों के पद सृजित नहीं किये गये हैं जिससे विद्यालयों की शिक्षा का पठन-पाठन अत्यधिक प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो कब तक समस्त शिक्षकों के पद सृजित कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नैपाल सिंह-

दिनांक 14 अक्टूबर, 1986 से विभिन्न विषयों की वित्त विहीन मान्यतायें प्रदान की जा रहीं हैं ?

उपरोक्त विद्यालयों में प्रबन्धाधिकरण को अन्य स्रोत से सेवायोजित कर शिक्षण कार्य कराये जाने का प्राविधान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*116-श्री अक्षयवर लाल-

(दिनांक 29-7-97 को ता0प्र0सं0 10 द्वारा उत्तरित)

प्रदेश के विद्युत संस्थानों के औसत पी0 एल0 एफ0 की जानकारी

*117-डा0 सरजीत सिंह डंग-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विद्युत संस्थानों का औसत पी0एल0एफ0 (प्लान्ट लोड फैक्टर) क्या है ? वर्तमान सरकार के पूर्व शासन में पी0एल0एफ0 क्या था ? क्या दोनों में कुछ अन्तर है ? यदि हां, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

राज्य विद्युत परिषद् के अधीन तापीय विद्युत गृहों का वर्ष 1997-98 के प्रथम त्रैमास (अप्रैल, मई, जून) का औसत पी0एल0एफ0 52.5% रहा ।

वर्ष 1996-97 में औसत पी0एल0एफ0 49.2% था ।

जी हां ।

पी0एल0एफ0 में बढ़ोत्तरी उत्पादन इकाइयों के बेहतर संचालन से प्रभावी हुई ।

विकास प्राधिकरण बोर्ड में चुने हुये जनप्रतिनिधियों को नामित किये जाने का प्राविधान

*118-श्री शिव प्रताप शुक्ल-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या विकास प्राधिकरण के बोर्ड में चुने हुये जनप्रतिनिधियों को नामित किये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या अब वे नामित किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन-

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-4(3) (ज) में निम्न व्यवस्था है ।

"तीन से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जायें ।"

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*19-श्री छब्बू पटेल-
(पांचवें मंगलवार के लिये स्थगित)

अधिक आबादी वाले गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने की मांग

*20-श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि 1500 से अधिक आबादी वाले गांव (जो अम्बेदकर गांव घोषित नहीं हैं) और जो अभी तक किसी पक्की सड़क से (पेन्टेड सड़क) जोड़े नहीं गये हैं, उन्हें पेन्टेड रोड पक्की सड़क से जोड़े जाने हेतु शासन ने कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री (श्री कलराज मिश्र)-
जी नहीं ।
प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् गोपीगंज सुल्तानपुर के अवर अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता के द्वारा की गई अनियमितताओं के विरुद्ध जांच कार्यवाही

1-श्री तेजभान सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित श्री अवधेश सिंह, उलापुर कला, पो0 कोवर, सुल्तानपुर का क्रमशः 18-6-96 तथा 16-7-96 का प्रार्थना पत्र जिसमें गोपीगंज सुल्तानपुर के अवर अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता के विरुद्ध गम्भीर अनियमितताओं की शिकायत की गई है, अध्यक्ष के पत्रांक 2413 तथा 12244 द्वारा उपरोक्त तिथि को ही मुख्य अभियन्ता को जांच का आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो इसकी क्या कोई जांच की गई है ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या है तथा अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-
जी हां ।
जी हां ।

महानिदेशक (इक्वेटर) की जांच आख्या के आधार पर प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये गये अवर अभियन्ताओं सर्वश्री अविनाश चन्द्र श्रीवास्तव, एम0पी0 सिंह एवं वी0के0 श्रीवास्तव को निन्दा प्रविष्टि का दण्ड दे दिया गया है । इसके अतिरिक्त प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये गये सहायक अभियन्ताओं सर्वश्री पूर्णेन्द्र शंकर (81185) एवं अब्दुल रज्जाक खान (75103) के विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही परिषद् स्तर से शुरू कर दी गई है ।
प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण कानपुर रोड योजना के सेक्टर बी में सीवर लाइन व पानी की लाइन चालू कराने की मांग

2-श्री महराज सिंह यादव-

क्या सरकार को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर बी स्थित व्यवसायिक केन्द्र में सीवर लाइन व पानी की लाइन चालू न होने के कारण यूरिनल आदि बन्द पड़े हैं जिससे आवंटियों को काफी असुविधा हो रही है ? क्या सरकार तत्काल उक्त व्यवसायिक केन्द्र की सीवर/पानी की लाइन/यूरिनल चालू करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन-

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के मनकापुर विधान सभा क्षेत्र में भवनहीन जूनियर हाईस्कूल तथा प्राइमरी पाठशालाओं की स्थिति

3-श्री राम विशुन आजाद-

क्या बेशिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में कितने भवनहीन जूनियर हाईस्कूल और प्राइमरी पाठशाला हैं ? उसमें से कितने क्षतिग्रस्त भवन (प्रा0पा0) हैं ? क्या सरकार जांच कराकर विद्यालयों का भवन निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

जनपद गोण्डा के मनकापुर विधान सभा क्षेत्र में परिषदीय भवनहीन जूनियर हाईस्कूलों की संख्या-05 है तथा 05 प्राइमरी पाठशाला पंचायत भवन में संचालित हैं ।

उक्त भवनहीन विद्यालयों के भवन न होने से उनके क्षतिग्रस्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला योजना के अन्तर्गत धनराशि की उपलब्धता पर भवन निर्माण कराया जा सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अल्मोड़ा द्वाराहाट के तीन इण्टर कालेजों में लम्बी अवधि से कार्यरत अध्यापकों की जानकारी

4-श्री रघुबर दयाल वर्मा-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद अल्मोड़ा के द्वारा हाट नगर स्थित तीन इण्टर कालेजों में लम्बी अवधि से कार्यरत अध्यापकों के संबंध में श्री सत्यदेव सिंह, सांसद का पत्र दिनांक 22-3-96 माह सितम्बर, 1996 में प्रमुख सचिव, शिक्षा को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र के अनुसार विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा लम्बी अवधि से तैनात अध्यापकों का स्थानान्तरण न किये जाने का क्या कारण है ? क्या विभाग द्वारा राजकीय इण्टर कालेज, द्वाराहाट में स्थानान्तरण के

फलस्वरूप रिक्त हुये, प्रधानाचार्य पद पर किसी प्रधानाचार्य की तैनाती की गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं तो क्यों ?

डाक्टर नैपाल सिंह -

जी हां ।

शिक्षा निदेशक को शीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दिये गये अध्यापकों के स्थानान्तरण सामान्यतः उनके स्वयं के अनुरोध पर अथवा प्रशासनिक आधार पर ही किये जाते हैं, लम्बी तैनाती की अवधि के आधार पर नहीं ।

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा (सामान्य शिक्षा संवर्ग) समूह "ख" (उच्चतर) जिसमें प्रधानाचार्य के पद भी शामिल हैं, में काफी पद सम्प्रति रिक्त हैं सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही है तथा पदोन्नति कोटे के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है । चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने पर प्रधानाचार्य एवं अन्य समकक्षीय रिक्त पदों पर व्यवस्था की जा सकेगी ।

सरकार द्वारा बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय द्वारा पोषाहार आपूर्ति के बढ़े हुये मूल्य की जानकारी

5 - श्री संग्राम सिंह -

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय द्वारा पोषाहार आपूर्ति के बढ़े हुये मूल्य का शासनादेश किस दिनांक को निर्गत हुआ ? क्या यह सही है कि मार्डन फूड इण्ड0 (इंडिया) लि0 के साथ विभाग द्वारा जो तीन वर्ष पूर्व अनुबन्ध किया गया था उसमें भी शासनादेश द्वारा बढ़ाई गई दरें लागू कर दी गईं तथा उक्त बढ़ी हुई दरों से फर्म को भुगतान किया गया ? यदि हां, तो इसके लिये कौन अधिकारी दोषी हैं ? बढ़ी दर से कितनी अधिक धनराशि का भुगतान किया गया है ? क्या उक्त धनराशि उक्त फर्म से वसूल की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री हरी किशन) -

अनन्तिम रूप से मूल्य वृद्धि का शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 94 को जारी किया गया था जिसे दिनांक 25 अक्टूबर, 96 के शासनादेश द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकृत किया गया है ।

शासन एवं मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज इण्डिया लि0 के बीच दिनांक 17-11-93 को हस्ताक्षरित 5 वर्षों हेतु प्रभावी मेमोरेन्डम आफ अन्डर स्टेण्डिंग में पंजीरी तथा ब्रेड की दरें निर्धारित थीं तथा यह भी प्राविधान था कि सचिव, महिला एवं बाल विकास द्वारा दरों में वृद्धि की जा सकती है । इसी प्राविधान के अनुरूप दिनांक 30-3-94 के आदेश द्वारा की गई अनन्तिम मूल्य वृद्धि को दिनांक 25-10-96 के आदेश द्वारा अन्तिम रूप से निर्धारित किया गया ।

किसी अधिकारी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता है । नियमानुसार देय धनराशि के अतिरिक्त कोई अधिक भुगतान नहीं किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0 लखनऊ द्वारा विगत चार वित्तीय वर्षों में माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज इंडिया लि0 द्वारा पुष्टाहार की आपूर्ति एवं उसका भुगतान

7-श्री संग्राम सिंह-

क्या महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा विगत चार वित्तीय वर्षों में (1993-94, 1994-95, 95-96 एवं 96-97) में माडर्न फूड इण्ड0 इंडिया लि0 को पुष्टाहार के आपूर्ति के विरुद्ध जो भुगतान किये गये हैं उन भुगतानों की सामग्री प्राप्त कर ली गई है? यदि हां, तो क्या बिलों पर सामग्री प्राप्त का प्रमाण-पत्र प्राप्तकर्ता द्वारा अंकित किया गया है? यदि नहीं, तो क्या बिलों का बिना सत्यापन कराये ही भुगतान कर दिये गये हैं? उक्त अनियमित भुगतानों के लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरी किशन-

जी हां।

बिल पर सामग्री प्राप्ति का प्रमाण-पत्र अंकित नहीं किया जाता है, शासनादेश दिनांक 14-10-93 के अनुसार सामग्री प्राप्ति का प्रमाण-पत्र सम्बन्धित परियोजना से प्राप्त होता है, भुगतान की गई धनराशि के प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुके हैं।

बिना सत्यापन कराये कोई भी अंतिम भुगतान नहीं किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद विकास खण्ड अमानीगंज, मिल्कीपुर, हरिंगटनगंज के ग्रामों का विद्युतीकरण

8-श्री मित्रसेन यादव-

क्या उर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास खण्ड अमानीगंज, खण्डासा, वि0 ख0 मिल्कीपुर, वि0 ख0 हरिंगटनगंज, जनपद फैजाबाद सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत चयनित वि0 ख0 है? यदि हां, तो उक्त विकास खण्डों में स्थित ग्रामों में सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत कुल कितने ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया गया है? उसकी सूची क्या है?

सुश्री मायावती-

यह बिन्दु उर्जा विभाग के संज्ञान में नहीं है। सुनिश्चित रोजगार योजना का कार्यान्वयन ऊर्जा विभाग द्वारा नहीं किया जाता है।

सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत इन तीन विकास खण्डों में विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या निम्नवत् है:-

क्रमसं0	विकास खण्ड का नाम	विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या
1	अमानीगंज	42
2	मिल्कीपुर	58
3	हरिंगटनगंज	39

सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 125 पर)

कस्बा रुदौली जनपद बाराबंकी में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था

9-श्री मित्रसेन यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि कस्बा रुदौली, जनपद बाराबंकी उद्यमियों का एक बड़ा कस्बा है और तहसील, ब्लाक, चिकित्सालय, हाइडिल, सिंचाई आदि के कार्यालय एवं मुख्यालय भी हैं ? क्या विद्युत आपूर्ति के कारण सरकार गैर सरकारी उपचार एवं उत्पादन संबंधी सभी कार्य वर्षों से प्रभावित हो रहे हैं तथा समय-समय पर जन असंतोष भी आन्दोलित होता रहा है ? क्या अभी तक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई ? यदि हां, तो लगातार विद्युत आपूर्ति के संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

रुदौली में तहसील, ब्लाक के कार्यालय हैं । चिकित्सालय है, विद्युत परिषद् का कार्यालय नहीं है । एक 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र है ।

विद्युत उपलब्धता में कमी के कारण एवं स्थानीय विद्युत दोषों से विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण कभी-कभी जनता द्वारा असन्तोष व्यक्त किया जाता रहा है । तथापि उपचार एवं उत्पादन संबंधी कार्यों हेतु प्राथमिकता पर विद्युत आपूर्ति की जाती है ।

विद्युत आपूर्ति उपलब्धता के अनुसार सुनिश्चित की जाती है ।

विद्युत उपलब्धता एवं मांग में अंतर होने के कारण कभी-कभी लगातार विद्युत आपूर्ति करना संभव नहीं हो पाता है ।

स्व0 श्री राम व्यास त्रिपाठी पूर्व प्रवक्ता संस्कृत बाबा बरुआ दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय फैजाबाद के पेंशन तथा जी0पी0एफ0 आदि देयों के भुगतान के संबंध में

10-श्री राजाराम पाण्डेय-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती कृष्णा त्रिपाठी, पत्नी स्व0 श्री राम व्यास त्रिपाठी, प्रवक्ता संस्कृत बाबा बरुआ दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय, परुइया आश्रम, फैजाबाद को शासन द्वारा स्वीकृत पेंशन शासनादेशों के अनुरुप है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि स्व0 श्रीमती त्रिपाठी के खाते में जी0पी0एफ0 में जमा धनराशि श्रीमती त्रिपाठी के नाम से उनके द्वारा बार-बार लिखित एवं मौखिक अनुरोध के बावजूद भी नहीं हस्तान्तरित की गई ? क्या सरकार को जानकारी है कि इसके लिये महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य द्वारा मामले को आगे न बढ़ाने तथा शासन को गलत रिपोर्ट देने के कारण इस कार्य का निस्तारण नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस विषय पर शीघ्र निर्णय लेने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी हां, ।

श्रीमती कृष्णा त्रिपाठी का निदेशक (उ0 शि0) को सम्बोधित एक पत्र दिनांक 28-10-95 प्राप्त हुआ । इसमें जी0 पी0 एफ0 की धनराशि अवमुक्त किये जाने की अपेक्षा की गई है ।

निदेशालय द्वारा उक्त महाविद्यालय के प्राचार्य से जी0 पी0 एफ0 के कागजात भेजने को कहा गया था किन्तु वांछित कागजात महाविद्यालय द्वारा अब तक नहीं भेजे गये हैं । अतः प्राचार्य के वेतन रोके जाने के आदेश जारी कर दिये गये है ।

महाविद्यालय द्वारा विवरण प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

सहायक अभियन्ताओं (विद्युत/यान्त्रिक) की विकास प्राधिकरण में की गई नियुक्तियों के विनियमितीकरण की नीति

11-श्री सुखपाल पाण्डेय-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष अगस्त, 1987 में सहायक अभियन्ताओं (विद्युत/यान्त्रिक) की नियुक्तियां विकास प्राधिकरण में की गई थीं? यदि हां, तो उन्हें अब तक विनियमितीकरण न करने का क्या कारण है? क्या सरकार वर्ष अगस्त, 1987 में नियुक्त किये गये सहायक अभियन्ताओं के विनियमितीकरण करने का विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लालजी टंडन-

जी हां,।

उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण द्वितीय संशोधन नियमावली, 1989 में दिनांक 1 अक्टूबर 1986 को या इसके पूर्व तदर्थ आधार पर सीधे नियुक्त कर्मिकों को ही विनियमित किये जाने का प्राविधान है।

जी नहीं।

उपरोक्त नियमावली से आच्छादित नहीं होने के कारण विनियमितीकरण पर विचार करना संभव नहीं है।

12-श्री सुखलाल पाण्डेय-

(न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

प्राथमिक विद्यालयों में जूनियर हाईस्कूलों की भांति "ब" श्रेणी मान्यता यम लागू करने तथा अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को मान्यता के नवीनीकरण मुक्त किये जाने की मांग

13-श्री छब्बू पटेल-

विधान सभा के तृतीय सत्र 1995 के तीसरे सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0-4 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये सरकार प्राइमरी विद्यालयों के लिये भी जूनियर हाईस्कूलों की तरह 'ब' श्रेणी मान्यता का नियम लागू करके पहले से अस्थाई मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता के नवीनीकरण से मुक्त करने हेतु शासनादेश जारी करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी? यदि हां, तो शासनादेश कब तक जारी कर दिया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ला-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में प्राइमरी विद्यालयों के लिये ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्राइमरी पाठशाला नेवादा वि0 ख0 बड़ागांव वाराणसी में चहारदीवारी बनाने के संबंध में पत्र व्यवहार

14-श्री छब्बू पटेल-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्रांक 1421/वीआईपी/शि0मं0/94, दिनांक 18-2-95 द्वारा पूर्व विधायक श्री ऊदल को सूचित किया गया था कि प्राइमरी पाठशाला नेवादा वि0 ख0-बड़ागांव, वाराणसी के चहारदीवारी बनाने हेतु अनुदान से संबंधित पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु सचिव, बेसिक शिक्षा को भेज दिया गया है? यदि हां, तो क्या विद्यालय को अनुदान दे दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

जी हां।

सूचना एकत्र की जा रही है।

उ0प्र0 सचिवालय में अवर वर्ग सहायक एवं प्रवर वर्ग सहायक के पदों पर कार्यरत स्थानापन्न कर्मचारियों की विनियमितिकरण नीति

15-श्री गोमती यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सचिवालय में अवर वर्ग सहायक एवं प्रवर वर्ग सहायक पदों पर स्थानापन्न रुप से कार्यरत कर्मचारियों को इन पदों पर विनियमितीकरण की क्या नीति/मापदण्ड है?

सुश्री मायावती-

उ0 प्र0 सचिवालय में [illegible]क [illegible]-4-89 तक स्थानापन्न रुप से कार्यरत अवर वर्ग सहायकों [illegible] प्रवर वर्ग [illegible]क [illegible] उ0 प्र0 सचिवालय अवर वर्ग सहायक/प्रवर वर्ग सहा[illegible] [illegible] पदों [illegible] [illegible] नियमितीकरण नियमावली, 1990 के अधीन विनियमित कि[illegible] गया है। वर्तमान समय में स्थानापन्न रुप से कार्यरत अवर वर्ग सहायकों तथा प्र[illegible] वर्ग सहायकों [illegible] उ0 प्र0 सचिवालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली, 1942 के नियम-14(2) तथा नियम-21 के अन्तर्गत विभागीय चयन के माध्यम से नियमित नियुक्ति प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।

आनन्द निकेतन विद्यालय सिविल लाइन सुल्तानपुर में स्थायी महिला अध्यापिकाओं एवं कर्मचारियों को शासन द्वारा वेतन दिये जाने की मांग

16-श्री अरविन्द गिरि-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि आनन्द निकेतन विद्यालय सिविल लाइन, सुल्तानपुर मुख्यालय पर स्थित होने के साथ ही वर्ष 1967 से मान्यता प्राप्त है? यदि हां तो क्या वहां की स्थायी महिला अध्यापिकाओं एवं कर्मचारियों को शासकीय वेतन नीति के तहत वेतन दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रबीन्द्र शुक्ला-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद सोनभद्र के अनपरा तापीय परियोजना से ग्राम बेलवादह के विस्थापित परिवारों को मुआवजा, प्लाट एवं नौकरी देने का आश्वासन

17-श्री विजय सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के अनपरा तापीय परियेजना से ग्राम बेलवादह के कितने परिवार विस्थापित हो रहे हैं ? उनमें से कितनों को शासनादेशानुसार मुआवजा, प्लाट एवं नौकरी दे दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

अनपरा तापीय परियोजना से ग्राम बेलवादह के कुल 247 परिवार विस्थापित हो रहे हैं ।

उपरोक्त सभी विस्थापितों को शासनादेशानुसार मुआवजा दिया जा चुका है । बेलवादह के विस्थापितों से विस्थापन स्थान की सहमति न प्राप्त होने के कारण उनकों प्लाट नहीं दिये जा सके ।

उपरोक्त विस्थापितों में कुल 23 विस्थापितों को नौकरी दे दी गई है । शेष की परियोजना में स्थान रिक्त न होने के कारण नौकरी देना संभव नहीं हो सका ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अल्मोड़ा जनपद के विकास खण्ड भिकियासैंण के ग्राम-बाटुला में विद्युतीकरण के कार्य में स्वीकृत धनराशि के विवरण की मांग

18-श्री अजय भट्ट-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद के विकास खण्ड भिकियासैंण के ग्राम-बाटुला में विभागीय अभिलेखों के अनुसार विद्युतीकरण का कार्य कब पूरा हुआ ? उक्त कार्य के लिये कुल कितनी धनराशि का प्राक्कलन स्वीकृत हुआ था तथा वास्तविक व्यय कितना हुआ ? उक्त विद्युतीकरण कार्य के अभिमुख (अगेनस्ट) स्वीकृत धनराशि में से कितना व्यय कार्य पर तथा कितना व्यय उक्त कार्य पर लगे अधिष्ठान हेतु किया गया ?

सुश्री मायावती-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बस्ती ग्राम पचारी कला विकास खण्ड रुधौली को भानपुर राजमार्ग से जोड़ने की मांग

19-श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि ग्राम-पचारी कला विकास खण्ड रुधौली जनपद बस्ती 1500 से अधिक आबादी का गांव है, जो अभी तक लोक निर्माण विभाग की पक्की सड़क से लेपन स्तर की सड़क द्वारा नहीं जोड़ा जा सका है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस गांव को वित्तीय वर्ष 1997-98 में रुधौली-भानपुर राज मार्ग से लेपन स्तर तक की सड़क द्वारा जोड़े जाने हेतु आदेश करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

जी नहीं ।

जी नहीं ।

समिति वित्तीय संशाधनों को दृष्टिगत रखते हुये सम्भव नहीं है ।

आगरा जनपद के अन्तर्गत विकास खण्ड फतेहाबाद में पोखरिया से रामपुर मार्ग रिहावली, तारौली गुर्जर,वरना, हार केपुरा तक डामर मार्ग का निर्माण

20-श्री विजयपाल सिंह-

क्या सरकार को जानकारी है कि आगरा जनपद के अन्तर्गत विकास खण्ड फतेहाबाद में पोखरिया से रामपुर मार्ग तथा रिहावली मार्ग से वाया तारौली, गुर्जर, वरना, हार केपुरा तक मार्ग पर मिट्टी का इंटर कोट (तृतीय मिट्टी का लेपन) कई वर्षों से हुआ पड़ा है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त मार्गों को डामर मार्ग अब तक क्यों नहीं कराया गया है ?

श्री कलराज मिश्र-

स्वीकृत कार्य पूर्ण है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0प्र0 में डीजल चोरी की शिकायत एवं दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

2।-श्री बाबू राम-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर निगम में डीजल चोरी के कितने प्रकरण । जून, ।993 से 3। दिसम्बर, ।996 के मध्य प्रकाश में आये ? इसके लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये ? क्या मंत्री मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जून ।993 से प्रतिमाह कितने लीटर डीजल की बढ़ोत्तरी हुई । अवकाश के दिनों में उपरोक्त अवधि में प्रतिदिन डीजल की कितनी खपत है ? क्या यह सत्य है कि डीजल प्रकरण में अब तक 56 लाख रुपये से अधिक का नुकसान नगर निगम को हुआ है ? यदि हां, तो इसके लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध में श्री विनोद कृष्ण सिंघल, सभासद का पत्र दिनांक 29-।-97 जो कि नगर प्रमुख एवं मुख्य नगर अधिकारी, को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लाल जी टंडन-

संदर्भित अवधि में मात्र दो मामले डीजल चोरी के प्रकाश में आए । एक मामले में तीन कर्मचारी सर्वश्री अमृत लाल, अशोक कुमार तथा ननकऊ वाहन चालक प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये गये एवं दूसरे प्रकरण में आरोप सिद्ध नहीं हो पाया ।

जून, ।993 में 66,949 लीटर डीजल की खपत हुई एवं वर्ष ।994, ।995 तथा ।996 में क्रमशः 70,02।, 57,736 तथा 64,672 लीटर की प्रतिमाह औसत खपत हुई है एवं उक्त अवधि में अवकाश के दिनों में ।,50,89। लीटर डीजल की खपत हुई । प्रति दिन अवकाश के दिनों में औसतन 843 लीटर डीजल की खपत हुई है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगर निगम लखनऊ द्वारा यह प्रयास किया जाता रहा है कि डीजल का अनावश्यक व्यय न होने पाये ।

जी हां, नगर निगम, लखनऊ को पत्र प्राप्त हुआ है ।

नगर निगम द्वारा श्री विनोद कृष्ण सिंघल के पत्र में अपेक्षित कार्यवाही तत्कालीन मुख्य नगर अधिकारी के आदेश दिनांक 7-11-95 द्वारा जांच अधिकारी की नियुक्ति करने एवं जांच अधिकारी की आख्या दिनांक 30-12-95 के अनुसार संबंधित तीन वाहन चालकों सर्वश्री अमृत लाल, अशोक कुमार तथा ननकऊ को तत्कालीन मुख्य नगर अधिकारी द्वारा गम्भीर चेतावनी दी जा चुकी है।

जनपद उन्नाव ग्राम सभा करनीपुर-शिवपुर तथा शिवपुरी सुब्बा खेड़ा दलित बाहुल्य क्षेत्र का विद्युतीकरण कराने की मांग

22-डा0 गंगा बख्श सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामसभा करनीपुर-शिवपुर जनपद उन्नाव को वर्ष 1991-92 में अम्बेडकर ग्राम घोषित किया गया था? क्या यह सच है कि मात्र करनीपुर का विद्युतीकरण किया गया है तथा शिवपुरी सुब्बाखेड़ा दलित बाहुल्य होने के बाद भी विद्युतीकरण की सुविधा से वंचित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधूरे विद्युतीकरण को पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती-

जी हां।

जी हां।

जी हां।

अम्बेडकर ग्रामों के शेष अविद्युतीकृत मजरों के विद्युतीकरण हेतु ग्रामों का चयन शासन की नीति के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा किया जाता है तथा वांछित धनराशि शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। अतः यह कार्य पूर्ण कराने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जिला टिहरी गढ़वाल के राजकीय हाईस्कूलों एवं इण्टर कालेजों में अध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों के रिक्त पद भरे जाने की मांग

23-श्री लाखीराम जोशी-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला टिहरी गढ़वाल के राजकीय हाईस्कूलों एवं इण्टर कालेजों में अध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों के कितने पद कितने समय से रिक्त हैं? क्या रिक्त पदों को भरने हेतु सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो रिक्त पद कब तक भरे जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर नैपाल सिंह-

जनपद टिहरी गढ़वाल के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के कुल 18 पद रिक्त हैं।

राजपत्रित वेतनक्रम में विभागीय चयन की कार्यवाही पूर्ण होने तथा लोक सेवा आयोग स्तर से तदर्थ रूप से कार्यरत अधिकारियों की मौलिक पदोन्नति की कार्यवाही के उपरान्त राजपत्रित वेतन क्रम में नियमित पदोन्नति द्वारा प्रधानाध्यापकों के पदों को भरा जायेगा। अध्यापकों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है।

शाहजहांपुर नगर में 50 प्रतिशत इण्डिया मार्क-2 खराब नलों को ठीक कराने की मांग

24-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि शाहजहांपुर नगर में 50 प्रतिशत से अधिक इण्डिया मार्क-2 नल खराब हैं ? यदि हां, तो इनको ठीक कराने का दायित्व किस पर है तथा इनको कब तक ठीक करा दिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन-

जी नहीं ।

हैण्डपम्पों को ठीक कराने का दायित्व नगर पालिका परिषद् शाहजहांपुर का है तथा इसको ठीक कराये जाने हेतु शासन के पत्र संख्या 3745/9-5-97, दि0 25 जुलाई, 1997 द्वारा जल निगम तथा जिलाधिकारी शाहजहांपुर को निर्देश भेज दिये गये हैं ।

निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार में मार्डन फूड इण्ड0 इण्डिया लि0 को व्यापार कर एवं अन्य राजकीय करों में छूट प्रदान करने की मांग

25-श्री संग्राम सिंह-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालाय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार में मार्डन फूड इण्ड0 ईडिया लि0 को 17 नवम्बर, 1993 को किये गये अनुबन्ध में व्यपार कर एवं अन्य राजकीय करों में छूट प्रदान की गई है ? क्या छूट प्रदान करने के बावजूद भी मार्डन फूड इण्डिया लि0 को 5.25 प्रतिशत की दर से व्यापार कर की धनराशि का भुगतान किया गया ? क्या उक्त भुगतान सरकारी कोष में जमा किया गया ? यदि नहीं, तो क्या फर्म एवं भुगतान करने वाले संबधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरी किशन-

दिनांक 17 नवम्बर, 1993 को निष्पादित मेमोरेन्डम आफ अण्डरस्टेण्डिंग में केवल इस बात का उल्लेख है कि समाज के कमजोर वर्गों हेतु सामाजिक कल्याण योजनाओं के अंतर्गत आने वाली खाद्य सामग्री पर राजकीय करों आदि पर छूट होती है, परन्तु यदि कोई आरोपण किया जाता है तो वह राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा, शासन द्वारा करों में छूट प्रदान नहीं की गई है ।

छूट न होने के कारण व्यापार कर का भुगतान किया गया है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

26-श्री संग्राम सिंह-

(दिनांक 29-7-97 को अता0प्र0सं0 140 द्वारा उत्तरित)

निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा फर्म मार्डन फूड इण्ड0 (इं0) लि0 से परिवहन अनुबन्ध

27-श्री संग्राम सिंह-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि निदेशालय, बाल विकास एवं पुष्टाहार द्वारा फर्म मार्डन फूड इण्ड0 (ई0) लि0 को किये गये अनुबन्ध में परिवहन व्यय फर्म द्वारा वहन किया जाना था ? क्या यह भी सही है कि मार्डन फूड इण्ड0 (इं) लि0 को वित्तीय नियमों के विरुद्ध विभाग द्वारा रुपये 705642.00 परिवहन व्यय का भुगतान किया गया ? क्या अनुबन्ध के विपरीत फर्म को भुगतान करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी और क्या फर्म से उक्त परिवहन व्यय की वसूली की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरी किशन-

मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज इण्डिया लि0 तथा शासन के बीच हुये अनुबन्ध दिनांक 17-11-93 के अनुसार पोषाहार के परिवहन के संबंध में ग्रामीण क्षेत्र में ब्लाक स्तर तक तथा नगरीय क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्रों तक ढुलाई व्यय पोषाहार की लागत में ही मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज द्वारा वहन किया जाता है। विश्व खाद्य कार्यक्रम व केयर द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री पर ढुलाई व्यय का वहन निदेशालय द्वारा किया जाता है।

वर्ष 1993-94 से फरवरी, 1997 तक केयर तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम की सामग्री के परिवहन पर 2,41,14,149.85 का भुगतान नियमानुसार किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

28-श्री संग्राम सिंह-

(दि0 29-7-97 को अता0प्र0सं0 14 द्वारा उत्तरित)

जनपद फैजाबाद ग्राम रेवना, विकास खण्ड हरिंग्टनगंज, तहसील मिल्कीपुर के विद्युतीकरण कराने की मांग

29-श्री मित्रसेन यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम रेवना, विकास खण्ड हरिंग्टनगंज, तहसील-मिल्कीपुर, जनपद फैजाबाद क्या ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु चयनित ग्राम हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम रेवना हेतु विद्युत पोल व अन्य सामान उपलब्ध करा दिये गये ? यदि नहीं, तो विलम्ब का कारण क्या है ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

जनपद फैजाबाद के हरिंग्टनगंज विकास खण्ड के अंतर्गत ग्राम-रेवना के विद्युतीकरण के लिये पोल तथा अन्य सामग्री 3/97 में उपलब्ध कराई गई थी। लेकिन पी0सी0सी0 पोल पास के ग्राम सिधौरा वासियों द्वारा उठा लिये गये जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना-मिल्कीपुर (इनायतनगर) मे दिनांक 26-3-97 को प्रेषित की गई।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर निगम में होर्डिंग एवं कयास से प्रचार विभाग को आय

30-श्री जय प्रकाश निषाद, श्री राम नरेश रावत तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर निगम में अवैध होर्डिंग एवं कयास की भरमार है ? प्रचार विभाग को पिछले तीन वर्षों में वर्षवार कुल कितनी आय हुई ? क्या यह सही है कि अधिकारियों की मिली भगत से अप्रैल एवं मई, 1997 में लगभग 30 लाख रुपये से अधिक की हानि हुई है ? क्या इस संबंध में श्री विनोद कृष्ण सिंघल, सभासद ने जून, 1997 में कोई आरोप लगाया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लालजी टण्डन-

जी नहीं ।

प्रचार विभाग में पिछले तीन वर्षों में वर्षवार आय निम्न प्रकार रही :-

वर्ष 1994-95 रु0 54,40,993.20

वर्ष 1995-96 रु0 51,14,278.05

वर्ष 1996-97 रु0 81,62,971.95

जी नहीं ।

माह अप्रैल व मई, 1997 में क्रमशः रु0 71,400/-तथा रु0 3,12,981/- कुल रु0 3,84,381/-की आय हुई । गत वर्ष माह अप्रैल व मई, 1997 में क्रमशः रु0 51,803/- तथा 11,54,830/-कुल रु0 12,06,633/- की आय हुई थी । आय कम होने का कारण नगर निगम द्वारा विलम्ब से नीति निर्धारित होना है । सम्प्रति 24-7-97 तक नगर निगम, लखनऊ को रु0 40,99,707/- की आय हो चुकी है जबकि गत वर्ष 24-7-96 तक कुल रु0 30,83,333/- की आय हुई थी । इस प्रकार नगर निगम को कोई आर्थिक क्षति नहीं हुई है ।

जी हां ।

प्रचार विभाग के कर्मचारियों को अधिष्ठान से सम्बद्ध कर दिया गया है । मुख्य नगर लेखा परीक्षक से प्रचार विभाग की विशेष सम्परीक्षा कराई जा रही है ।

गोमती नदी के प्रदूषण नियंत्रण में व्यय हुई धनराशि की जानकारी

31-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोमती नदी प्रदूषण नियंत्रण योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्य होने हैं ? अब तक किन कार्यों पर कितना व्यय हुआ है ?

श्री लालजी टण्डन-

सूची संलग्न है ।

लखनऊ नगर के कार्यों पर रु0 1029.55 लाख, सुल्तानपुर नगर के कार्यों पर रु0 91.00 लाख तथा जौनपुर नगर के कार्यों पर रु0 292.00 लाख व्यय हुआ है ।

देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 126-127 पर)

32-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

(चौथे सोमवार में अता0प्र0सं0 6। के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत परिषदीय सचिवालय शक्ति भवन एवं फील्ड के कर्मचारियों के देयों के भुगतान की प्रक्रिया की जानकारी

33-श्री बाबूराम-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत परिषदीय सचिवालय, शक्ति भवन, लखनऊ के कर्मचारियों के देयों के भुगतान एवं फील्ड के कर्मचारियों के देयों के भुगतान की प्रक्रिया में कोई अन्तर है ? क्या यह सत्य है कि फील्ड के कर्मचारियों की अपेक्षा परिषदीय सचिवालय कर्मियों को तुरन्त या उसी माह में भुगतान कर दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत परिषदीय सचिवालय शक्ति भवन, लखनऊ के कर्मचारियों के जी0पी0एफ0 अग्रिम/अवकाश नकदीकरण/चिकित्सा प्रतिपूर्ति वेतन अवशेष का भुगतान धन की उपलब्धता के अनुसार आय-व्यय सीमा के अन्तर्गत सामान्यतः उसी माह/अगले माह में कर दिया जाता है । फील्ड के कर्मचारियों को भी आय-व्ययक सीमा के अन्तर्गत धन की उपलब्धता के अनुसार मदों में धनराशि (सभी इकाइयो को एक साथ) निर्गत की जाती है । यह प्रक्रिया परिषद् में शुरू से ही लागू है ।

विगत वर्षों में परिषद् की विषम आर्थिक स्थिति एवं फील्ड इकाइयों के दावों की राशि में बढ़ोत्तरी होने के कारण माह ।/95 के अन्त में परिषदीय सचिवालय के कर्मचारियों को उपरोक्त मदों में माह ।2/94 तक के देयों का भुगतान किया जा चुका था, जबकि फील्ड के कर्मचारियों के माह ।2/93 से लम्बित थी । परिषद् द्वारा सचिवालय कर्मचारियों तथा फील्ड के कर्मचारियों के देयों के भुगतान की प्रक्रिया में कोई अन्तर नहीं है किन्तु धन की उपलब्धता के अनुसार लम्बित रहने की अवधि में अन्तर रहता है । इस अन्तर की स्थिति में सुधार लाने के लगातार प्रयास किये जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप वर्तमान में सामान्य भविष्य निधि अग्रिम तथा सेवानिवृत्त मृतक कर्मचारियों के देयों का भुगतान अगले माह में वेतन के साथ कर दिया जाता है । कर्मचारियों के अन्य लम्बित देयों के संबंध में भी उपरोक्त स्थिति में सुधार हुआ है तथा वर्तमान में यह दावे माह ।2/96 से ही लम्बित हैं ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर बी में व्यवसायिक भूखण्डों पर कब्जा देने की जानकारी

34-श्री महराज सिंह यादव-

क्या सरकार को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर बी में स्थित व्यवसायिक-मार्केट में व्यवसायिक भूखण्ड सं0ए/7 से ए/।। तक के आवंटियों को अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है जबकि इन भूखण्डों का आवंटन हुये लगभग 6 वर्ष हो चुके हैं ? क्या उक्त भूखण्डों के ऊपर अवैध निर्माण हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार तत्काल अवैध निर्माण एवं कब्जे को हटाकर आवंटियों को उनके व्यवसायिक भूखण्डों का कब्जा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो वह कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

श्री लालजी टण्डन-

जी हां ।

इन भूखण्डों से संबंधित भूमि पर निर्माण अर्जन से पूर्व का है ।

भू-स्वामियों द्वारा भूमि के अधिग्रहण के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लेने के कारण उक्त पुराने निर्माण को हटाया जाना एवं आवंटियों को कब्जा दिया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है ।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगनादेश अपास्त होने के उपरान्त ही कब्जा दिया जा सकेगा ।

लखनऊ जिले में शारदा नगर वार्ड के मु0 अम्बेडकरपुरम् तेलीबाग में स्ट्रीट लाइट एवं सफाई की व्यवस्था

35-श्री हरिनारायण-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ जिले में आने वाले सरोजनी नगर निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत शारदा नगर वार्ड को नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत ले लिया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त वार्ड के मु0 अम्बेडकरपुरम् तेलीबाग में स्ट्रीट लाइट एवं सफाई की व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं, तो उक्त कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन-

जी हां ।

मु0 अम्बेडकरपुरम् तेलीबाग में 6 ट्यूब फिटिंग्स लगाकर आवश्यकतानुसार स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गई है एवं सफाई की व्यवस्था समय-समय पर संविदा श्रमिकों द्वारा कराई जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के डा0 गोपाल शरण सेवा निवृत्त विभागाध्यक्ष मानव शास्त्र विभाग की पेंशन स्वीकृति की जानकारी

36-श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)-

क्या सरकार को यह जानकारी है कि डा0 गोपाल शरण सेवा निवृत्त विभागाध्यक्ष मानवशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ को अभी तक पेंशन स्वीकृत नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय का पत्र दिनांक 29 जनवरी, 1996 सचिव, उच्च शिक्षा को पेंशन स्वीकृति हेतु भेजा गया है ? यदि हां, तो अब तक पेंशन स्वीकृत न होने का क्या कारण है ? क्या उक्त पेंशन स्वीकृति करा दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी हां ।

प्राप्त नहीं हुआ ।

डा0 गोपाल शरण द्वारा पेंशन निर्धारण हेतु आवेदन-पत्र ही नहीं प्रस्तुत किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जब तक आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया जायेगा पेंशन निर्धारण की कार्यवाही संभव नहीं होगी ।

गाजियाबाद स्थित मकान नं0 13/57 राजनगर का संशोधित किराया विद्युत परिषद् से किये जाने की मांग

37-श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)-

क्या सरकार को यह जानकारी है कि गाजियाबाद स्थित मकान नं0 13/57 राजनगर का किराया रू0 25,137.84 का भुगतान विद्युत परिषद् द्वारा अनुबन्ध के बावजूद भी बढ़े दर से नहीं किया जा रहा है ? क्या राज्य विद्युत परिषद् द्वारा पत्र संख्या 2742 जी0ए/स0वि0प0-12/92-3/19 जी0ए0/91 दिनांक 24 दिसम्बर, 1992 के द्वारा मुख्य अभियन्ता मेरठ जोन को इस कार्य हेतु लिखा गया था ? यदि हां, तो इसका भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार बढ़े हुये दर से उक्त भुगतान करा देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद जौनपुर के मा0 विद्यालय सोनहित में श्री राम कृपाल गौड़ एवं श्री दिवाकर सिंह की नियुक्ति के उपरान्त वेतन दिये जाने की मांग

38-श्री महराज सिंह यादव-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री राम कृपाल गौड़ एवं श्री दिवाकर सिंह की नियुक्ति परिचालक के पद पर दिसम्बर, 92 में बहुधन्धी उच्चतर मा0 विद्यालय, सोनहित, जौनपुर में हुई थी ? यदि हां, तो क्या इन दोनों कर्मचारियों को अब तक मात्र तीन महीने मई, जून, जुलाई, 95 का ही वेतन दिया गया है ? यदि हां, तो शेष अब तक का वेतन किस अधिकारी के आदेश से रोका गया है ? क्या दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी और शेष बकाया वेतन कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नैपाल सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

39-श्री महराज सिंह यादव तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया-

(चौथे बुधवार में अता0 प्र0सं0 22 के अंतर्गत स्थानान्तरित)

जनपद अम्बेडकर नगर में डा0 जी0के0 जेतली इण्टर कालेज को विज्ञान विषय की मान्यता का शासन द्वारा अनुमोदन

40-श्री समर पाल सिंह-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्रांक सं0 1037/15-7-94 (148)/96, दिनांक 14-5-97 द्वारा डा0 जी0 के0 जेतली इण्टर कालेज, जनपद अम्बेडकर नगर को इण्टर विज्ञान विषय की मान्यता शासन द्वारा प्रदान कर दी गई है यदि हां, तो क्या आदेश की प्रतिलिपि संबंधित विद्यालय को दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सुमित्री जेतली शिवशंकर टण्डन कन्या विद्यालय जनपद अम्बेडकर नगर को कक्षा 9वीं व 10वीं की मान्यता शासन द्वारा प्रदान कर दी गई है ? यदि हां, तो कब ?

डा0 नैपाल सिंह-

संदर्भगत विद्यालय को वांछित मान्यता शासन द्वारा अनुमोदित कर दी गई है ।

जी नहीं, क्योंकि मान्यता पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा निगत किया जाता है ।

शासनादेश संख्या इएएम-33/15-7-4(151)/96 दिनांक 11-6-97 द्वारा प्रश्नगत मान्यता शासन द्वारा अनुमोदित कर दी गई है ।

भदोही जनपद के विकास खण्ड सुरियावां के ग्राम कौवापार के वेद प्रकाश के निजी नलकूप से विद्युत तार टूटने से अग्निकाण्ड की क्षतिपूर्ति की मांग

41-श्री पूर्णमासी पंकज-

क्या सरकार को जानकारी है कि भदोही जनपद के विकास खण्ड सुरियावां के ग्राम कौवापार के वेद प्रकाश पाण्डेय के निजी नलकूप पर विद्युत तार टूटने से 14-5-92 को आग लगने से लगभग 33000 रुपये के गेहूं और उपकरण जल कर राख हो गये थे ? क्या संयुक्त निदेशक विद्युत सुरक्षा के पत्र संख्या मु0इ0 वाराणसी/35-515 अग्निकाण्ड/92-93 द्वारा सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् लखनऊ से प्रभावित परिवार को क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया था ? यदि हां, तो क्या पीड़ित परिवार को क्षतिपूर्ति प्रदान की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद भदोही के विकास खण्ड सुरियावां स्थित गड़ौरा जूनियर हाई स्कूल को अनुदान प्रदान करने की मांग

42-श्री पूर्णमासी पंकज-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष कुल कितने और किस वर्ष तक के "अ" श्रेणी मान्यता प्राप्त हाई स्कूलों को अनुदान सूची में सम्मिलित किया जा रहा है ? क्या जनपद भदोही के विकास खण्ड सुरियावां स्थित अगस्त, 1984 में "अ" श्रेणी मान्यता प्राप्त गड़ौरा जूनियर हाई स्कूल (गड़ौरा उ0मा0 विद्यालय) अनुदान सूची में सम्मिलित किया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक अनुदान सूची में सम्मिलित कर लिया जायेगा ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

इस वर्ष अभी तक किसी भी विद्यालय को अनुदान सूची में लेने का निर्णय नहीं लिया गया है ।

जी नहीं ।

समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

जनपद सुल्तानपुर के शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सितम्बर, 1996 से दिसम्बर, 1996 तक प्रोन्नति वेतनमान प्राप्त

43-श्री तेजभान सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जी0ओ0 नं0-मा0/1/2186/दस-90-39/89, सचिव, वित्त, उ0प्र0 दिनांक 31 मार्च, 1990 क्या बेसिक शिक्षा अधिकारी, सुल्तानपुर ने कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सितम्बर, 1996 से दिसम्बर, 96 तक प्रोन्नति वेतनमान रुपये 775 से 1025 दिया है ? क्या यह सही है कि प्रोन्नति

वेतनमान पाने वाले उक्त कर्मचारियों का जनवरी, 97 से प्रोन्नति वेतनमान काट दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उपरोक्त प्रोन्नत वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों की सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नैपाल सिंह -

।8 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रोन्नत वेतनमान दिया गया है ।

जी हां, सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत न होने के कारण ।

सितम्बर, 1996 से दिसम्बर, 1996 तक निम्नलिखित कर्मचारियों को प्रोन्नति वेतनमान दिया गया है । सर्वश्री भगवती प्रसाद, राम पियारे, पूरन प्रसाद, सुख मंगल, जगदीश प्रसाद, बसन्त, राम नरायन, शीतला प्रसाद, जगदम्बा प्रसाद, भगवती दीन, गंगादीन, शिव प्रसाद, धनपती, राम सुन्दर, राम आसरे, मंगरूराम, भारत ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बादशाह नगर, राजकीय कालोनी में सीवर लाइन चालू करने की मांग

44-श्री तेजभान सिंह -

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बादशाह नगर राजकीय कालोनी में सीवर लाइन की व्यवस्था है ? यदि हां, तो सीवर का कार्य कब प्रारम्भ किया गया तथा कितना व्यय हुआ ? सीवर न चलाये जाने का कारण क्या है ?

सुश्री मायावती -

जी हां । निर्माणाधीन है ।

सीवर का कार्य अगस्त, 1991 से प्रारम्भ किया गया जिसमें रु0 47.84 लाख व्यय किया गया ।

जल निगम से प्राप्त सूचनानुसार धनाभाव के कारण कार्य अपूर्ण है ।

जनपद आगरा के अन्तर्गत विकास खण्ड फतेहाबाद में डाक्टर का पुरा गढ़ी जहान तथा बीझला, आई, बाबरपुर, छः बिस्वा आदि ग्रामों में विद्यालय खोले जाने की मांग

45-श्री विजय पाल सिंह -

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के अन्तर्गत विकास खण्ड फतेहाबाद में डाक्टर का पुरा, गढ़ी जहान तथा बीझला, आई, बाबरपुर, छः बिस्वा आदि ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त ग्रामों में कब तक विद्यालय खोल दिये जायेंगे ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल -

जी नहीं ।

निर्धारित मानक के अनुसार अई में प्राथमिक विद्यालय खोल दिया गया है ।

निर्धारित मानक से आच्छादित न होने के कारण शेष ग्रामों में विद्यालय खोलने का सम्प्रति कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

जनपद आगरा के विकास खण्ड समसाबाद में ग्राम पंचायत लुहेना के उपग्राम गढ़ी गिरन्द में प्राथमिक विद्यालय का मानक के विपरीत निर्माण की जांच

46-श्री विजय पाल सिंह -

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के अन्तर्गत विकास खण्ड समसाबाद में ग्राम पंचायत, लुहेना के उपग्राम गढ़ी गिरन्द में प्राथमिक विद्यालय

का नव निर्माण कराया जा रहा है, जबकि तोर ग्राम में जो कि 200 मीटर की दूरी पर है, पहले से विद्यालय स्थापित है ? यदि हां, तो यह किसके प्रस्ताव पर बनाया जा रहा है ? क्या इसके लिये दोषी अधिकारी को दण्डित किये जाने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

ग्राम तोर एवं ग्राम गिरन्द के बीच में सड़क पड़ती है । निर्धारित मानक की अवहेलना करते हुये संबंधित जिला शिक्षा समिति के निर्णय के आधार पर जनपद स्तर पर विद्यालय स्थापना की कार्यवाही की गई है ।

प्रकरण की जांच कराकर यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद आगरा के विकास खण्ड समसाबाद में ग्राम पंचायत थापखरगा में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की स्वीकृति एवं चयनित स्थल का विवाद

17-श्री विजय पाल सिंह -

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के अन्तगत विकास खण्ड समसाबाद में ग्राम पंचायत थापर खरगा में वर्ष 96 में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने तथा जनपद आगरा में 96 नये विद्यालय के खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी ? क्या बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा चयनित स्थल स्वीकृत कर दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम में विद्यालय का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

जी हां । जनपद आगरा में वर्ष 1996-97 में 114 प्राथमिक विद्यालयों को खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी ।

स्थल चयन हो चुका है, किन्तु स्थल विवाद के फलस्वरूप निर्माण कार्य बाधित है ।

विवाद हल कराने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र विकास खण्ड समसाबाद कौलारा कलां से कौलारी के विकास खण्ड फतेहाबाद में चमरौली से मझारा तक मार्ग बनवाने की मांग

18-श्री विजय पाल सिंह -

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र विकास खण्ड समसाबाद कौलारा कलां से कौलारी तथा विकास खण्ड फतेहाबाद में चमरौली से मझारा तक सम्पर्क मार्गों को जिला प्लान में वर्ष 96-97 में जिला अधिकारी आगरा द्वारा पक्का कराये जाने को स्वीकृति किये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्गों का पक्का करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र -

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विश्वबैंक योजना के अन्तर्गत खोले जा रहे प्राथमिक विद्यालय तथा सीनियर बेसिक विद्यालय के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिशा निर्देश

श्री दिवाकर विक्रम सिं -

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विश्वबैंक योजना के अन्तर्गत खोले जा रहे प्राथमिक विद्यालय तथा सीनियर बेसिक विद्यालय के संबंध में शासन द्वारा क्या दिशा निर्देश जारी किया गया है ? क्या मंत्री जी जारी किये गये दिशा निर्देश की प्रति तथा विकास खण्ड रुधौली, जनपद बस्ती में खोले जा रहे विद्यालयों की सूची मय स्थान तथा ग्राम पंचायतों के नाम सहित सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

विश्वबैंक पोषित "उ0प्र0-बेसिक शिक्षा परियोजना" से आच्छादित जनपदों में प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित निम्नांकित मानक के अनुसार प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं :-प्राथमिक विद्यालय 300 की आबादी तथा 1.5 कि0मी0 की परिधि में (पर्वतीय जनपद में 01 कि.मी0 की दूरी)

--उच्च प्राथमिक विद्यालय 800 की आबादी तथा 3.0 कि0मी0 की परिधि में।'

उपरोक्त के अतिरिक्त चिन्हित अम्बेडकर ग्रामों में प्राथमिक शिक्षा से असंतृप्त सभी ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं।

जनपद बस्ती बाह्य सहायतित परियोजना "जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम" से आच्छादित किया जा रहा है। इस जनपद में भी शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे। सम्प्रति नये प्राथमिक विद्यालय के खोले जाने की सूची को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है तथा यह कार्यक्रम नियोजन के स्तर पर है।

फिरोजाबाद जिले में बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन प्रा0 पा0 की संख्या एवं छात्रों की संख्या

50-श्री रघुवर दयाल शर्मा-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद जिले में बेसिक शिक्षा परिषद् के कितने प्रा0 पा0 उनके अधीन सेवारत हैं और उनमें कितने छात्र। से 6 वर्ष की आयु के व 6 से 14 वर्ष की आयु के हैं ? अनौपचारिक व प्रौढ़ शिक्षा में क्या। से 6 और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे भी समाहित हैं ? यदि हां तो उनकी संख्या क्या है ? क्या सम्पूर्ण साक्षरता अभियान में भी 9 से 35 वर्ष की आयु के जनपदों को समाहित किया गया है ? यदि हां तो वह संख्या क्या है ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

जनपद फिरोजाबाद में बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की संख्या-750 है।

बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशाला में केवल 6 से 11 वर्षवर्ग के बच्चे अध्ययन करते हैं और उनकी संख्या-1,06,174 है।

अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत 6 से 14 वयवर्ग के बच्चे तथा प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत 6 से 35 वयवर्ग के बच्चे/प्रौढ़ को सम्मिलित किया गया है।

अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत 3322 छात्र अध्ययनरत हैं और सम्पूर्ण साक्षरता अभियान में समाहित किये गये अनपढ़ों की संख्या-2,07,232 है।

जी हां।

उनकी संख्या-2,07,232 है।

जनपद लखनऊ ऐशबाग क्षेत्र के मोतीझील विद्युत कालोनी के मध्य अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही

51-श्री विश्वनाथ तथा शिवाकान्त-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ के ऐशबाग क्षेत्र के मोतीझील कालोनी के अन्दर आसपास दूध विक्रेताओं एवं एक पुलिस अधिकारी द्वारा अवैध निर्माण विगत छः माह से चल रहा है क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मोतीझील विद्युत कालोनी के मध्य पुलिस अधिकारी द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के मिलीभगत से अवैध निर्माण किया है जबकि इस निर्माण की स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा नहीं दी गई और आज भी विचाराधीन है क्योंकि उक्त अधिकारी के पास लखनऊ में ही कई भवन अवैध कमाई से बनाये गये हैं ? क्या सरकार इसकी जांच करवाकर आवश्यक कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लाल जी टंडन-

मोतीझील विद्युत कालोनी के अन्दर कतिपय व्यक्तियों द्वारा जिनमें पुलिस अधिकारी भी शामिल है अवैध निर्माण कर लिया गया है परन्तु वर्तमान में कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा है ।

जी नहीं, उक्त अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धरा-27 के अन्तर्गत वाद संख्या-214/97 द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है । उक्त कार्यवाही में विहित प्राधिकारी न्यायालय के निर्णयोंपरान्त नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

प्राधिकरण द्वारा निर्माण की अनुज्ञा देते समय, या धारा-27 को उपरोक्त कार्यवाही करते समय धन के स्रोत की जांच नहीं की जाती है । अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रामपुर के ब्लाक शाहबाद व चमरौला में राज्य सेक्टर योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण कराये जाने की मांग

52-स्वामी परमानन्द दण्डी-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद रामपुर के पिछड़े व अनुसूचित बाहुल्य प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र के ब्लाक शाहबाद व चमरौला में अन्य विधान सभा क्षत्रों की तरह राज्य सेक्टर योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण न कराये जाने व अधिकतर सम्पर्क मार्गों से न जुड़ने के कारण ग्रामवासियों को आने जाने में बहुत बड़ी परेशानी तथा आकस्मिक चिकित्सा जैसी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है ? क्या सरकार अन्य विधान सभा क्षेत्रों की भांति प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र के ब्लाक शाहबाद चमरौला में भी राज्य सेक्टर योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण करायेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये संभव नहीं है ।

जनपद रामपुर के ब्लाक सैदनगर के ग्राम सैजनीनानकार तथा खौदपुरा में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराने की मांग

53-स्वामी परमानन्द दण्डी-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर के ब्लाक-सैदनगर के ग्राम सैजनीनानकार तथा खौदपुरा में स्वीकृत प्राथमिक विद्यालय निर्माण कराने हेतु श्री श्याम सिंह, विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी, रामपुर ने अपने पत्र संख्या वि0बै0/184-88-96-97 दि0 5-1-97 के द्वारा मांगे गये नजरी नक्शा, खतौनी, संयुक्त खातेदारों के नाम के अनुसार सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ग्राम खौदपुरा के ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी के नाम 50 हजार का चेक काटकर व फिर से निरस्त करके इन विद्यालयों को स्वीकृत विद्यालयों की सूची से निकाला गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी, रामपुर के पत्र दिनांक 5-1-97 के अनुसार खौदपुरा व सैंजनीनानकार में वर्ष 96-97 में स्वीकृत प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराने एवं स्वीकृत सूची में हेरा-फेरी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध दण्डनीय कार्यवाही करायेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत अनुमानित बचत से पूर्व में चिन्हित 3 आरक्षित जनपदों (रामपुर, बाराबंकी, बहराइच) को इस परियोजना से आच्छादित करने का प्रस्ताव था। राज्य परियोजना कार्यालय के पत्र दिनांक 11 सितम्बर 1996 द्वारा रु0 10 लाख तथा पत्र दिनांक 27 दिसम्बर, 1996, द्वारा रु0 50 लाख जनपद रामपुर को स्वीकृत किये गये थे। जनवरी, 1997 तक परियोजना का औपचारिक अनुमोदन भारत सरकार के माध्यम से विश्व बैंक से प्राप्त न होने के कारण राज्य परियोजना कार्यालय का पत्र दिनांक 17 जनवरी, 1997 द्वारा यह निर्देश दिये गये कि यह परियोजना कार्यालय से लिखित रुप से आदेश प्राप्त होने पर ही किसी मद में व्यय किया जायेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, रामपुर द्वारा दी गई सूचनानुसार राज्य परियोजना कार्यालय का पत्र दिनांक 17-1-97 के निर्देशों के अनुपालन में प्राथमिक विद्यालयों के पुर्ननिर्माण हेतु कोई भी चेक निर्गत नहीं किया गया। परियोजना की स्वीकृत आरक्षित जनपद रामपुर सहित अन्य किसी भी आरक्षित जनपद के लिये प्राप्त नहीं हुई और परियोजना के अधीन रामपुर जनपद के किसी भी विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। अतः किसी भी अधिकारी के विरुद्ध दण्डनीय कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

जनपद लखनऊ में गंगागंज से नगराम तक के मार्ग निर्माण में कथित अनियमितता की शिकायत

54-श्री राम पाल राजवंशी-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ में गंगागंज से नगराम तक के मार्ग पर 1.40 लाख का गोलमाल करने संबंधी मा0 सुन्दर लाल दीक्षित, विधायक का पत्र दिनांक 23-5-95 प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो पत्र में लगाये गये आरोपों पर कृत कार्यवाही का विवरण सदन की पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्र के माधोगंज नगर में पुराने ट्रांसफार्मर बदल कर नये ट्रांसफार्मर लगाये जाने की मांग

55-श्री धर्मराज मिश्र-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के माधोगंज नगर पंचायत में विद्युत लोड अधिक हो जाने के कारण सन 1994 से लगा हुआ 400 वोल्ट का ट्रांसफार्मर जल जाता है? यदि हां तो इस संबंध में जनहित में 250-250 कि0 वाट के दो ट्रांसफार्मर मोहल्ला गांधी नगर, नेहरू नगर में कब तक लगा दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती-

जी हां। यह ट्रांसफार्मर पूर्णतः भारित है। यह ट्रांसफार्मर अब तक दो बार जल चुका है।

माधोगंज नगर में रलवे गंज पर स्थापित 400 के0 वी0 ए0 ट्रांसफार्मर पर विद्युत लाड कम करने के उद्देश्य से वर्तमान में केवल मोहल्ला गांधीनगर में एक अतिरिक्त 250 के0 वी0 ए0 ट्रांसफार्मर लगाना प्रस्तावित है। परिषद की कठिन वित्तीय परिस्थितियों के कारण यह कार्य पूर्ण कराने का कोई समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम शुक्लापुर भगत, अम्बेडकर ग्राम में पूर्ण रूप से विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

56-श्री धर्मराज मिश्र-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम शुक्लापुर भगत, अम्बेडकर ग्राम घोषित है? यदि हां, तो क्या उक्त अम्बेडकर ग्राम में विद्युतीकरण कराया गया है? यदि हां, तो कितने वार्डों में कराया गया है? अवशेष वार्ड में क्यों नहीं कराया गया? अवशेष वार्ड में विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा?

सुश्री मायावती-

जी हां। दिनांक 31-3-93 को। उस समय की नीति के अनुसार मुख्य ग्राम व उससे सम्बद्ध अनुसूचित जाति बस्ती का विद्युतीकरण कराया गया। शासन द्वारा निर्धारित पूर्व मानकों के अनुसार अवशेष वार्डों (मजरों) में विद्युतीकरण नहीं किया जाना था। शासन की वर्तमान नीति के अनुसार विद्युतीकृत ग्रामों के शेष मजरों के विद्युतीकरण करने के लिये ग्रामों का चयन जिलाधिकारी द्वारा किया जाना है एवं वांछित धनराशि शासन द्वारा उपलब्ध कराई जानी है। अतः कोई समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

जनपद हरदोई के मल्लावां ग्राम पंचायत नूरपूर हथौरा अम्बेडकर ग्राम में विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

57-श्री धर्मराज मिश्र-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नूरपुर हथौरा अम्बेडकर ग्राम घोषित किया गया है ? यदि हां, तो क्या अम्बेडकर ग्राम में जिसमें पन्द्रह वार्ड हैं सभी वार्डों में विद्युतीकरण कराया गया है ? यदि नहीं, तो कितने वार्डों में कराया गया है अवशेष वार्डों में विद्युतीकरण क्यों नहीं कराया गया ? क्या अवशेष वार्डों में विद्युतीकरण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां ।

जी नहीं ।

एक मजरा (वार्ड) विद्युतीकृत है ।

शासन द्वारा पूर्व में निर्धारित नीति के अनुसार ग्रामों को विद्युतीकृत करते समय केवल एक अनुसूचित जाति की बस्ती का विद्युतीकरण किया जाना था ।

जी हां ।

शासन की वर्तमान नीति के अनुसार मजरों के विद्युतीकरण हेतु ग्रामों का चयन जिलाधिकारी द्वारा किये जाने तथा राज्य शासन द्वारा वांछित धनराशि उपलब्ध कराये जाने पर ही यह कार्य सम्भव होगा । अतः यह कार्य पूर्ण कराने की कोई समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगर निगम, गोरखपुर द्वारा आई0जी0 जोन गोरखपुर के आवास से इलाहाबाद बैंक होते हुये जमुना लाल बजाज पार्क तक सड़क का नामकरण यादवेन्द्र सिंह मार्ग रखे जाने की मांग

58-श्री शिवेन्द्र सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन नगर प्रमुख गोरखपुर का पत्र दिनांक 19-4-95 जो गोरखपुर के एक मार्ग का नामकरण यादवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष विधान सभा के नाम से संबंधित था, उन्हें प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ? संस्तुति के आधार पर उपरोक्त मार्ग का नामकरण कब कर दिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन-

जी हां ।

शासन के पत्र संख्या 160सी0एम0ए0/9-7-95-3जी/95, दिनांक 16-7-95 द्वारा प्रशासक, नगर निगम, गोरखपुर तथा पत्र संख्या 189 सी0एम0ए0/9-7-95-3 जी/95, दिनांक 12-9-95 द्वारा आयुक्त गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर को आख्या भेजने हेतु भेजा गया था जिस पर अभी तक कोई आख्या प्राप्त नहीं हुई है ।

नगर निगम, गोरखपुर द्वारा आई0जी0 जोन गोरखपुर के आवास से इलाहाबाद बैंक होते हुये जमुना लाल बजाज पार्क तक सड़क का नामकरण "यादवेन्द्र सिंह मार्ग" रखे जाने हेतु स्वीकृति के संबंध में नगर निगम सभा द्वारा निर्णय लिया जा रहा है जिसके लिये नगर निगम सक्षम है ।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजन हेतु अध्याप्ति भूमि पर अनधिकृत निर्माण/कब्जे को हटाने की मांग

59-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अंतर्गत अनपरा तापीय परियोजना हेतु अध्याप्ति भूमि पर कुल कितने अनधिकृत निर्माण/कब्जे हुये हैं ? क्या मंत्री जी अनधिकृत कब्जों की सूची सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? इन अनधिकृत मकानों/दुकानों में से कितनों में विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं ? कितनों में अनधिकृत रूप से विद्युत आपूर्ति चल रही है ? क्या मंत्री जी अनधिकृत कब्जा कराने वाले अधिकारियो के नाम, पदनाम बतायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? अनधिकृत कब्जों को हटाने की सरकार की क्या योजना है ?

सुश्री मायावती-

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना हेतु अध्याप्ति भूमि पर 482 अनधिकृत निर्माण/कब्जे हुये हैं ।

अनपरा तापीय परियोजना से संबंधित सूची अ, ब, एवं स संलग्न है । जिन्हें सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अनपरा तापीय परियोजना पर सूची "स" में इंगित केवल 49 अनधिकृत मकानों/दुकानों में से 26 विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं । शेष मकानों/दुकानों में न कोई कनेक्शन परिषद् द्वारा निर्गत किया गया है और न ही कोई विद्युत कनेक्शन अनधिकृत रूप से चल रहा है ।

अनधिकृत कब्जे किसी भी अधिकारी द्वारा नहीं कराये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अनपरा तापीय परियोजना सोनभद्र पर अनधिकृत कब्जों को हटाये जाने की स्थिति निम्नवत् है :-

(1) न्यायालय में चल रहे मुकदमों के निर्णय पर निर्भर है ।

(2) विस्थापित परिवारों को प्लाट देकर अनधिकृत कब्जा हटाने का कार्य प्रगति पर है ।

(3) अवैध कब्जों को हटाने का कार्य शक्ति नगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन के सहयोग से किया जा रहा है ।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् में चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में जानकारी

60-श्री जय प्रकाश निषाद-

विधान सभा के तृतीय सत्र 1995 के पहले शुक्रवार के लिये निर्धारित अता0प्र0सं0 96 के उत्तर के क्रम में क्या ऊर्जा मंत्री दिनाक 29-9-78 को जारी

नियुक्ति पत्र की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या विज्ञापन डी0एल0 1916 में प्रशासकीय निर्णय की जानकारी अभ्यर्थी को दी गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या विज्ञापन में प्रकाशित शर्तों के संशोधन हेतु कोई सूचना तत्कालीन सचिव द्वारा जारी की गई थी ? यदि हां, तो वह सूचना क्या है ?

सुश्री मायावती-

संदर्भित नियुक्ति पत्र संख्या 5033-जीई-11/एसईबी/78, दिनांक 29 सितम्बर, 1978 की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं, प्रशासकीय निर्णय की जानकारी अभ्यर्थियों को देना आवश्यक नहीं था।

विज्ञापन में प्रकाशित शर्तों में कोई संशोधन नहीं किया गया था।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई की नगर पंचायत कुरसठ में पेयजल समस्या के समाधान की जानकारी

61-श्री धर्मज्ञ मिश्र-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत कुरसठ हरदोई की पेयजल समस्या के समाधान हेतु पत्र संख्या ए-3/53-8 हरदोई/296, दिनांक 23-12-1996 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत सचिव, नगर विकास ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन-

योजना को पुनर्गठन हेतु जल निगम से आख्या मांगी गई थी जो अभी तक प्रतीक्षित है। वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर अग्रेतर कार्यवाही निर्भर करेगी।

उपरोक्तानुसार ।

बिलग्राम, जनपद हरदोई वार्ड नं0 14 में संसाधनों की कमी से हैण्डपम्पों का स्थापन, अस्वीकृत

62-श्री धर्मज्ञ मिश्र-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका बिलग्राम जनपद हरदोई वार्ड नं0 14 में सात हैण्ड पम्प लगाये जाने हेतु शासन के पत्र संख्या एम/48-7/हरदोई/96, दिनांक 16-12-96 पर दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन-

प्रश्न में संदर्भित पत्र दिनांक 16-12-96 का न होकर दिनांक 18-12-96 का है और इस पत्र में श्री धर्मज्ञ मिश्र, मा0 विधायक ने नगर पालिका परिषद् बिलग्राम के कक्ष संख्या 14 के मोहल्ला खतराना में 07 इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प लगाये जाने की मांग की है।

वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण उक्त 7 हैण्डपम्प स्वीकृत नहीं किये जा सके हैं।

मल्लावां, माधोगंज व बिलग्राम जनपद हरदोई के अवशिष्ट ग्रामों को ऊर्जीकृत किये जाने की मांग

63-श्री धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मल्लावां में आठ, माधोगंज में नौ बिलग्राम में आठ ग्रामों में विद्युतीकरण किये जाने हेतु पत्र संख्या ए-3/47-7-हरदोई/96, दिनांक 6-12-1996 पर दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद् ने क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

श्री धर्मज्ञ मिश्र के महामहिम राज्यपाल को संबोधित दिनांक रहित पत्र संख्या 067156 में यह सूचित किया गया है कि परिषद् द्वारा जनपद हरदोई के प्रश्नगत तीन विकास खण्डों में कुल 26 ग्रामों को विद्युतीकृत घोषित किया गया है जबकि वास्तव में इनमें खम्भे ही खड़े हैं। इस संबंध में क्षेत्रीय अधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार पत्र में ईगित 26 ग्रामों में से 9 ग्राम पूर्व में एल0टी0मेन्स से विद्युतीकृत किये गये थे। 6 ग्राम केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से विद्युतीकृत हैं। 8 ग्राम अविद्युतीकृत हैं तथा तीन ग्राम जनगणना पुस्तिका में नहीं है।

एल0टी0मेन्स से विद्युतीकृत 9 ग्रामों के तार चोरी की सूचना प्राप्त हुई है। संबंधित अधिकारियों को चोरी गये तारों की जांच हेतु पुलिस थानों में रिपोर्ट दर्ज कराकर चोरी गये तारों को बदलवानें के आदेश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

मल्लावां, जनपद हरदोई के प्राइमरी पाठशालाओं में मानकानुसार व्यवस्था हेतु, बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश

64-श्री धर्मज्ञ मिश्र-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मल्लांवा विधान सभा क्षेत्र हरदोई में प्राइमरी पाठशालाओं में अध्यापकों की व्यवस्था किये जाने हेतु शासन के पत्र संख्या एम-3/45-7/हरदोई/96 दिनांक 18-12-1996 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत सचिव, बेसिक शिक्षा ने क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

प्रश्नगत परिषदीय विद्यालयों में निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापकों की व्यवस्था करने के निर्देश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

महाराजा अग्रसेन बालिका विद्यालय डालीगंज, लखनऊ में कार्यरत लिपिक द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र देकर नौकरी प्राप्त करने एवं अन्य अभद्र आचरणों की शिकायत

65-श्री गंगा बख्श सिंह-

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के पांचवें शुक्रवार के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 174 के उत्तर के संदर्भ में क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि

जांच में आरोप सही पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी का वेतन रोके जाने के आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ के पत्रांक 3337-39, दिनांक 11-3-92 द्वारा दिये गये थे ? क्या यह सही है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दिये गये आदेशों का पूर्ण रूप से पालन न करके रोका गया वेतन आहरित कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसके लिये दोषी कौन है ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

जी हां ।

जांचोपरान्त शिकायत मिथ्या पाये जाने पर वेतन भुगतान के आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ही प्रदान किये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती मीरा साहू सहायक अध्यापिका राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय गोरखपुर को स्थानान्तरित करने की मांग

66-श्री सन्दीप अग्रवाल-

विधान सभा के तृतीय सत्र 1995 के चौथे सोमवार, दिनांक 21-8-1995 को उत्तरित तत्कालीन विधायक श्री राम कुमार शुक्ला द्वारा पूछे गये अता0 प्रश्न संख्या 94 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वांछित सूचना एकत्र की जा चुकी है ? यदि हां, तो वह सूचना क्या है ? उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नैपाल सिंह-

जी हां ।

श्रीमती साहू के विरुद्ध कतिपय शिकायतों का उल्लेख करते हुये उनके स्थानान्तरण करने के संबंध में श्री शिवराम सिंह कुशवाहा का पत्र प्राप्त हुआ था ।

श्रीमती मीरा साहू का कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में जनपदीय चयन समिति द्वारा उनका स्थानान्तरण नहीं किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ वाराणसी मार्ग के आंशिक भाग में की गई वित्तीय अनियमितता का आरोप एवं जांच की मांग

67-श्री रामपाल राजवंशी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के तृतीय सत्र 1995 के तीसरे सोमवार के अता0प्र0सं0 64 में आश्वासन दिया गया था कि प्रश्न में उल्लिखित तथ्यों की जांच करा ली गई है ? यदि हां, तो शिकायती पत्र में लगाये गये कौन-कौन आरोप सत्य पाये गये ? शासन को वास्तव में कितनी हानि हुई ? कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये ? सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण में शासन को प्रेषित प्रस्ताव एवं एतदर्थ निर्गत शासनादेश में टंकण की त्रुटिवश मार्ग के चौड़ीकरण के स्थान पर सुदृढ़ीकरण अंकित हो गया था बिना उक्त त्रुटि को संशोधित कराये ही चौड़ीकरण का कार्य कराये जाने में अनियमितता पाई गई । इस प्रकरण में शासन को कोई आर्थिक क्षति नहीं हुई थी । श्री आर0आर0 चौधरी, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) उक्त अनियमितता हेतु दोषी पाये गये जिन्हें दण्डित किया जा चुका है ।

मुख्य एवं अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लखनऊ द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच/कार्यवाही की मांग

68-श्री रामपाल राजवंशी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री आर0 आर0 चौधरी, मुख्य अभियन्ता एवं श्री डी0के0 नन्दी अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लखनऊ द्वारा फोर्जरी करके सरकारी धन हड़पने संबंधी मा0 विधायक सुन्दर लाल दीक्षित का पत्र दिनांक 6-96 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच कराई गई ? यदि हां, तो क्या जांच के परिणाम सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

69-श्री रामपाल राजवंशी-

(पांचवें मंगलवार के लिये स्थगित)

जनपद प्रतापगढ़, सदर क्षेत्र के 10 अम्बेडकर ग्रामों का वित्तीय वर्ष 1997-98 में विद्युतीकरण की शासकीय योजना

70-श्री चन्द्रनाथ सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997-98 में प्रतापगढ़ जनपद के सदर विधान सभा क्षेत्र के दलित एवं मलिन बस्ती में विद्युतीकरण की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां ।

वर्ष 1997-98 में प्रतापगढ़ जनपद के सदर विधान सभा क्षेत्र के दलित एवं मलिन बस्ती के 10 अम्बेडकर ग्रामों के विद्युतीकरण की योजना है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ में एल0टी0 लाइनों के सुदृढ़ीकरण एवं एक अतिरिक्त 33/11 के0वी0 वि0 उपकेन्द्र का अधिष्ठापन सैद्धान्तिक स्तर पर स्वीकृत

71-श्री चन्द्रनाथ सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री को इस बात की जानकारी है कि प्रतापगढ़ शहरी क्षेत्र में विद्युत के तार जर्जर हो गये हैं तथा शहरी क्षेत्रों में विद्युत उपकेन्द्र भी नहीं हैं ? क्या इसके कारण कई सप्ताह तक शहर प्रतापगढ़ में विद्युत आपूर्ति नहीं होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार विद्युत उपकेन्द्र बनवाने तथा जर्जर तारों को बदलवा कर आवश्यक विद्युत आपूर्ति करने जा रही है ?

सुश्री मायावती-

जी हां ।

जी नहीं । प्रतापगढ़ शहर में एक 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र कचहरी के पास देहलामऊ में कार्यरत है ।

प्रतापगढ़ शहर के कुछ भाग में लगभग 5.0 कि0मी0 लाइन के वीजल कंडक्टर के स्थान पर बड़े आकार का डाग कंडक्टर लगाकर वर्ष 1996 में सुदृढ़ीकरण किया जा चुका है । प्रतापगढ़ शहर में एल0टी0 लाइनों को सुदृढ़ीकरण एवं एक अतिरिक्त 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र की आवश्यकता है । परिषद की कठिन वित्तीय परिस्थितियों के कारण इस कार्य के कराने की कोई सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

जनपद बस्ती मेंहदावल कछार मार्ग पर सेतु निर्माण सीमित संसाधनों के कारण असम्भव

72-श्री अब्दुल कलाम-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती मेंहदावल वाया महराजगंज 'गोरखपुर सड़क मेंहदावल कछार में प्रतिवर्ष बाढ़ से ध्वस्त हो जाती है ? क्या चारे बड़े पुल न बन पाने के कारण यातायात ठप्प है ? क्या इस मार्ग को बनाने हेतु सरकार के पास कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराम मिश्र-

मार्ग वर्षा ऋतु में अधिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है ।

जी नहीं । हल्के वाहनों के लिये यातायात चालू है ।

जी नहीं ।

सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये सम्भव नहीं है ।

कछौरा जनपद रायबरेली में कांग्रेस महाधिवेशन में तैनाती में जल निगम के अवर अभियन्ता (श्री शमीम) द्वारा फर्जी मस्टर रोल भुगतान

73-श्री राम तेज यादव 'एडवोकेट' तथा श्री महराज सिंह यादव-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1991 कछौरा जनपद रायबरेली में आयोजित कांग्रेस की महाधिवेशन में तैनाती में जल निगम के अवर अभियन्ता (श्री शमीम अहमद) द्वारा कई लाख रुपये का फर्जी मस्टर रोल भुगतान हेतु मुख्यालय

को प्रस्तुत किया गया था जिसे विभाग ने गलत और फर्जी मानकर भुगतान रोक दिया था, यदि हां, तो क्या उसका भुगतान हो गया है ? यदि नहीं, तो फर्जी मस्टर रोल पर भुगतान के बहाने सरकारी धन हड़पने के आदी उक्त अवर अभियन्ता के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ?

श्री लालजी टण्डन-

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।'

प्रश्न ही नहीं उठता ।

74-श्री हरदेव सिंह-

(चौथे बुधवार में अता0प्र0सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

ग्राम उमरा जनपद बाराबंकी वर्ष 1997-98 में अम्बेडकर ग्राम योजनान्तर्गत विद्युतीकरण हेतु चयनित

75-श्री हरदेव सिंह-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड निन्दूरा के ग्राम पड़री व उमरा का एल0टी0 मेन्स द्वारा विद्युतीकरण किया गया है ? यदि हां, तो दोनों ग्रामों के एल0टी0 मेन्स द्वारा विद्युतीकृत किये जाने की तिथियां क्या हैं ? यदि विद्युतीकरण नहीं किया गया तो क्यों ? क्या उक्त दोनों का एल0टी0 लाइन बिछा कर अब विद्युतीकरण किया जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(1) ग्राम पडरी किसी भी योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण के लक्ष्य में नहीं है तथा न ही जिला चयन समिति द्वारा चयनित किया गया है ।

(2) ग्राम उमरा वर्ष 1997-98 हेतु अम्बेडकर ग्राम योजना में विद्युतीकरण हेतु चयनित किया जा चुका है ।

उपरोक्तानुसार केवल ग्राम उमरा को विद्युतीकरण हेतु चयनित किया गया है ।

केवल ग्राम उमरा का विद्युतीकरण शासन द्वारा वांछित धनराशि उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही सम्भव है ।

नगर पालिका परिषद् अकबरपुर, जनपद अम्बेडकर नगर के अवर अभियन्ता की अनियमितताओं की तकनीकी वरिष्ठ अधिकारी से जांच की मांग

76-श्री अम्बिका चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर पालिका परिषद् अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर के अवर अभियन्ता ने एक ठेकेदार श्री भीम सिंह की आधे दर्जन काल्पनिक फर्मों पर कोटेशन बनवाकर विगत दो वर्षों में निर्माण कार्यों में भारी घपला

किया है ? क्या मंत्री जी कोटेशन में दाखिल फर्मों का सत्यापन करवाने का आदेश देंगे एवं विगत दो वर्षों में हुये निर्माण कार्यों का मेजरमेंट लेकर भौतिक सत्यापन मौके पर किसी तकनीकी वरिष्ठ अधिकारी से करवा कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन-

नगर पालिका परिषद् अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर में श्री भीमसिंह नाम का कोई पंजीकृत ठेकेदार नहीं है । अतः श्री सिंह से कोटेशन पर कार्य करवाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकर नगर में विगत पांच वर्षों में ठेकेदार श्री भीम सिंह द्वारा निर्मित प्राथमिक पाठशालाओं का भौतिक सत्यापन तथा भुगतान वसूली की मांग

77-श्री अम्बिका चौधरी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर में विगत पांच वर्षों में ठेकेदार श्री भीम सिंह द्वारा कितने प्राइमरी पाठशालाओं का निर्माण करवाया गया ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि इन विद्यालयों का निर्माण मौके पर न करवाकर अन्यत्र कराया गया है ? क्या मंत्री जी मुख्यालय से किसी वरिष्ठ अधिकारी तथा लो0नि0वि0 के अभियन्ता को भौतिक सत्यापन हेतु भेजकर इस फर्जी भुगतान के धन की वसूली की प्रक्रिया प्रारम्भ करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ0प्र0 जल निगम वाराणसी, शाखा कार्यालय में वेतन वितरण में धांधली के संदर्भ में जांच सम्बन्धी शासकीय आदेश निर्गत

78-श्री मित्रसेन यादव-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम वाराणसी शाखा कार्यालय में दि0 1-2-85 से वर्ष 1989 के अन्तराल में वेतन वितरण में लाखों रुपये की धनराशि का आहरण एवं वितरण में वित्तीय घोटाला किया गया है ? यदि हां, तो उक्त के संदर्भ में श्री दीनानाथ पाण्डेय, एडवोकेट, फैजाबाद के पत्र दिनांक 8-11-96 के संदर्भ में क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन-

उत्तर प्रदेश जल निगम, वाराणसी शाखा नाम से कोई शाखा वाराणसी में दिनांक 1-2-85 से 1989 की अवधि में स्थापित नहीं थी, यद्यपि कार्यालय थे । प्रारम्भिक जांच के अनुसार वाराणसी के त्रयोदश शाखा में दिनांक 1-2-85 से वर्ष 1989 के बीच कुल रु0 52969.00 मात्र का अनियमित भुगतान हुआ । पत्र दिनांक 8-11-96 अप्राप्त है । श्री दीनानाथ पाण्डेय का पत्र दिनांक 30-1-97 प्राप्त हुआ है जिसके संदर्भ में सेवा संबंधी अभिलेखों में हेरा-फेरी करने के संबंध में जांच करने के आदेश निर्गत किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विश्व बैंक परियोजना अन्तर्गत सतत शिक्षा पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन

79-श्री तेजभान सिंह-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या-506/96-प-10/10-3-96, दिनांक 21 फरवरी, 1996 जिसमें विश्व बैंक पोषित परियोजना के अन्तर्गत सतत शिक्षा विभाग की स्थापना पाठ्यक्रम का निर्धारण कर, राजकीय पालीटेक्निक केन्द्रों को निर्देशित किया गया है, का अनुपालन सुचारु रूप से हो रहा है ? क्या उक्त पाठ्यक्रम संजय गांधी पालिटेक्निक जगदीशपुर, जनपद सुल्तानपुर में प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? ऐसे और कितने संस्थान हैं जो इस कार्यक्रम में रुचि नहीं ले रहे हैं ? क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करते हुये संदर्भित उक्त पाठ्यक्रम शीघ्र प्रारम्भ कराने के आदेश देने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 506/96-प्रा0शि0-3-1996 दिनांक 29 फरवरी, 1996 के अधीन 11 पालीटेक्निक संस्थाओं में सतत शिक्षा विभाग की स्थापना की गई है । इनमें से 07 संस्थाओं में स्थानीय आवश्यकता एवं उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये उपयुक्त पाठ्यक्रमों का निर्धारण कर अनुपालन सुचारु रूप से किया गया है ।

जी हां । सतत् शिक्षा पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक सप्ताह अवधि का "सेफ्टी मेजर्स इन इण्डस्ट्री" नामक अल्पकालीन पाठ्यक्रम सम्पन्न किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नेशनल इण्टर कालेज भोगांव जनपद मैनपुरी में प्रवक्ता तथा सहायक अध्यापकों के सृजित पदों का शासन द्वारा प्रस्तुत विवरण

80-श्री राम औतार शाक्य-

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल इण्टर कालेज भोगांव, जनपद मैनपुरी में प्रवक्ता तथा सहायक अध्यापकों के कितने पद सृजित हैं एवं सृजित पदों के प्रति आरक्षित वर्ग के श्रेणीवार कितने अध्यापक कार्यरत हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि नियुक्तियों पर रोक लगने के पश्चात् कितने अध्यापकों की नियुक्ति छात्र संख्या न होने के बाद भी प्रबन्ध तंत्र द्वारा की गई और क्यों ? क्या यह भी सच है कि अनियमित रूप से नियुक्तियां किये जाने के बाद भी बहुत से अध्यापक वेतन पा रहे हैं ? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नैपाल सिंह-

नेशनल इण्टर कालेज, भोगांव, मैनपुरी में प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के सृजित पदों का विवरण निम्नवत् है :-

प्रवक्ता	24 पद
सहायक अध्यापक	29 पद

आरक्षित वर्ग के कार्यरत अध्यापकों का विवरण निम्नवत् है :-

प्रवक्ता-

अनुसूचित जाति	2
पिछड़ी जाति	2

सहायक अध्यापक-

अनुसूचित जाति	×
पिछड़ी जाति	6

नियुक्तियों पर रोक लगने के पश्चात् प्रश्नगत विद्यालय में प्रबन्ध तंत्र द्वारा निम्न अनधिकृत नियुक्तिया की गई हैं :-

प्रवक्ता	4
सहायक अध्यापक	2
पी0 टी0 आई0	1

जी हां । मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ऐसे केवल तीन अध्यापक वेतन पा रहे हैं ।

उक्त मा0 न्यायालय के निर्देशानुसार हो रहा है । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का औचित्य नहीं बनता ।

शाहजहांपुर में टेलीफोन मरम्मत हेतु खुंदाई की गई नालियों को ठीक कराये जाने की मांग

8। -श्री चेतराम-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि टेलीफोन के केबिल डालने हेतु क्षतिग्रस्त हुई सड़कों, नाली की मरम्मत किये जाने हेतु दूरसंचार विभाग शाहजहांपुर से नगरपालिका, शाहजहांपुर को वर्ष 1996-97 में कुल 29 लाख 60 हजार रुपया प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो नगरपालिका द्वारा नगर में कहां-कहां कितना कार्य किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन-

जी हां । दूर संचार विभाग द्वारा वर्ष 1992-96 तक केबिल डालने से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत हेतु नगर पालिका शाहजहांपुर को वर्ष 1996-97 में रु0 29,08,800.00 प्राप्त हुआ ।

नगरपालिका द्वारा उक्त धनराशि में से कराये गये कार्यों तथा व्यय की सूची संलग्न है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

---

† छापी नहीं गई ।

शाहजहांपुर मैलानी वाया पुवांया मार्ग को मरम्मत करने का मामला

82-श्री चेतराम-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि शाहजहांपुर मैलानी वाया पुवांया मार्ग काफी जीर्ण-शीर्ण हो गया है, जिसको मरम्मत कर चौड़ा किये जाने का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग कब तक चौड़ा करके बना दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

शाहजहांपुर मैलानी वाया पुवांया मार्ग के खुटार कस्बे के आबादी वाले भाग में जल भराव के कारण कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो गया है । जिसकी मरम्मत का कार्य प्रगति में है । वर्तमान में उपरोक्त मार्ग की मरम्मत कर चौड़ा किये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

83-श्री सीताराम निषाद-

(दि0 29-7-97 को अता0प्र0सं0 13 द्वारा उत्तरित)

जनपद फैजाबाद के चौरा हैदरगढ़ भीटी मार्ग को बनाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

84-श्री सीताराम निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के चौरा हैदरगढ़ भीटी मार्ग के अवशेष भाग 3 कि0मी0 के निर्माण के संबंध में प्रश्नकर्ता के अनुरोध पर लोक निर्माण अनुभाग-11 द्वारा फैक्स/समयबद्ध संख्या 11-114 जे0पी0 इ0/23-11-97-49 (6) ई/92, लखनऊ दिनांक 20 मार्च, 1997 द्वारा मुख्य अभियन्ता, फैजाबाद क्षेत्र लोक निर्माण विभाग, फैजाबाद से संस्तुति सहित आख्या/आगणन मांगा गया था जिसके अनुपालन में मुख्य अभियन्ता, फैजाबाद ने मार्च, 28/29, 1997 को आगणन शासन को उपलब्ध करा दिया है ? यदि हां, तो अवशेष भाग के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कब तक जारी कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

जी हां ।

आवश्यकता के सापेक्ष संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद फैजाबाद में बीकापुर के अन्तर्गत मार्गों के निर्माण विषयक पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

85-श्री सीताराम निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के अनुरोध पर जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र बीकापुर के अन्तर्गत मार्गों का निर्माण विषयक पत्र संख्या 190 राकई/23-11-97-49 (6)ई/92 लोक निर्माण अनुभाग-11, लखनऊ दिनांक 24 फरवरी, 1997 द्वारा मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, फैजाबाद को

शासन को आगणन उपलब्ध कराने हेतु जारी किया गया था ? क्या मुख्य अभियन्ता, फैजाबाद ने संदर्भित पत्र के अनुसार आगणन शासन को उपलब्ध करा दिया है ? क्या शासन ने उस पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र -

जी हां ।

बेनी गच्छोपुर-कोरो राघवपुर एवं रामपुर भगन घूरीटीकर मार्ग को छोड़कर अवशेष सभी मार्गों का आगणन प्राप्त हो गया है ।

आवश्यकता के सापेक्ष संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा सामाजिक संस्थाओं के संचालन हेतु भवनों का आवंटन

86-श्री सीताराम निषाद -

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं को कार्यालय संचालन हेतु भवन आवंटित किये गये हैं ? यदि हां, तो वर्तमान समय में किन-किन सामाजिक संस्थाओं को कहां-कहां राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन भवन आवंटित किये गये हैं ?

सुश्री मायावती -

जी हां ।

वर्तमान में 28 सामाजिक संस्थाओं के पक्ष में फ्लेट/भवन आवंटित हैं ।

संबंधित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 128 पर)

बापू बाल निकेतन कोपागंज मऊ में प्राइमरी की मान्यता का मामला

87-श्री सुधाकर सिंह -

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1990 के तीसरे सोमवार के लिये निर्धारित श्री सुभाष यादव द्वारा पूछे गये अता0प्र0सं0-182 के उत्तर के संबंध में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशक द्वारा भेजी गई जांच आख्या शासन को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो सम्पूर्ण जांच आख्या क्या है ?

डा0 नैपाल सिंह -

जी हां ।

जांच आख्या में मुख्य बिन्दु निम्नवत् है :-

बापू बाल निकेतन, कोपागंज (मऊ) को वर्ष 1965 में प्राइमरी की मान्यता प्रदान की गई थी, वह न तो वर्ष 1982 में समाप्त की गई और न ही पुनः वर्ष 1986 में प्रदान की गई। उक्त प्राइमरी विद्यालय बापू इण्टर कालेज (मऊ) से सम्बद्ध रहा है । यद्यपि दिनांक 25 जून, 82 को प्रबन्ध समिति ने प्रस्ताव पारित कर उक्त विद्यालय को बन्द करने का निर्णय लिया था किन्तु विद्यालय बन्द नहीं हुआ और किसी न किसी रूप में विद्यालय चलता रहा ।

88-श्री विनोद मणि -

(दि0 22-7-97 को अता0प्र0सं0 173 द्वारा उत्तरित)

उत्तराखण्ड के जनपदों में बी0टी0सी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को सेवा में लिये जाने का मामला

89-श्री विवेक कुमार सिंह -

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पहाड़ी जिलों में जहां बी0टी0सी0 के अभ्यर्थियों को बी0एड0 एवं एल0टी0 को समान मानते हुये जूनियर स्कूलों में सेवा का अवसर देते हैं ? की भांति क्या पिछड़े हुये बुन्देलखण्ड में भी ऐसी व्यवस्था सरकार लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ला-

उत्तराखण्ड के जनपदों में बी0टी0सी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अनुपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये उक्त जनपदों के परिषदीय विद्यालयों में बी0टी0सी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने पर बी0एड0 तथा एल0टी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अर्ह माना गया है । शेष जनपदों में बी0टी0सी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को भारी मात्रा में उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये बी0एड0 तथा एल0टी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड की भांति अवसर दिये जाने की सम्प्रति कोई आवश्यकता नहीं है ।

विकास खण्ड सांथा खेसरहा तथा मिठवल जनपद सिद्धार्थनगर की सड़कों को लेपन स्तर तक बनाये जाने की मांग

90-श्री दिवाकर विक्रम सिंह -

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे विकास खण्ड सांथा खेसरहा तथा मिठवल जनपद सिद्धार्थनगर में 1991 के जनगणना के अनुसार 1500 से अधिक आबादी के कौन-कौन से गांव 15 जून, 1997 तक लेपन स्तर तक के सड़क द्वारा किसी राज मार्ग से नहीं जुड़े हुये हैं ? क्या मंत्री जी सम्पूर्ण सूची सदन के पटल पर रखते हुये यह बताने का कष्ट करेंगे कि इन गांवों को लोक निर्माण विभाग के किसी भी पक्की सड़क से जोड़े जाने हेतु सड़कों का निर्माण किस स्तर तक पूरा हो चुका है? शेष कार्य कब तक पूरा करा लिया जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र-

प्रश्न में संदर्भित विकास खण्डों के अन्तर्गत आने वाले कृषि गांवों की संख्या 22 है जिनकी सूची संलग्न है ।

सूची संलग्न है ।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 129 पर)

विकास खण्ड रुधौली जनपद बस्ती के 1500 से अधिक आबादी वाले गावों को लेपन स्तर तक जोड़ु जाने की मांग

91-श्री दिवाकर विक्रम सिंह -

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि (वर्ष 1991 के जनगणना के अनुसार) विकास खण्ड रुधौली, जनपद बस्ती में 1500 से अधिक आबादी के कौन-कौन

से गांव हैं, जो लोक निर्माण विभाग की सड़क से 15 जून, 1997 तक लेपन स्तर तक के सड़क द्वारा नहीं जोड़े गये हैं ? क्या ऊर्जा मंत्री सम्पूर्ण सूची सदन के पटल पर रखते हुये यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि इन गांवों को लोक निर्माण विभाग के किसी भी पक्की सड़क से जोड़े जाने हेतु सड़कों का निर्माण कार्य कब तक पूरा करा लिया जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र -

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार विकास खण्ड रुधौली, जनपद बस्ती के 1500 से अधिक आबादी के निम्नलिखत ग्राम 15, जून 1997 तक लेपन स्तर तक के सड़क द्वारा नहीं जोड़े गये हैं :-

1-पचारी कला, 2-जंगल दशहर, 3-भेडौरा विकौरा, 4-सिया कटाई, 5-मेलानखुर्द बुजुर्ग, 6-पकरी आराजी डिबारी ग्रामों का विवरण उपरोक्तानुसार है । सड़कों का निर्माण संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर बी में स्थित व्यवसायिक केन्द्र में सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने की मांग

92-श्री महाराज सिंह यादव -

क्या सरकार को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर बी में स्थित व्यवसायिक केन्द्र में सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है तथा पूरा व्यवसायिक केन्द्र गंदगी से भरा पड़ा है ? क्या सरकार उक्त व्यवसायिक केन्द्र की नियमित सफाई हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी और यह भी सुनिश्चित करायेगी ताकि भविष्य में सफाई की प्रक्रिया सुचारु रूप से चलती रहे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टंडन -

यह योजना नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं की गई है । अतएव प्राधिकरण के उपलब्ध सफाई कर्मियों के माध्यम से आवश्यकतानुसार सफाई कराई जाती है । पूरी योजना को दृष्टिगत रखते हुए सफाई कर्मचारियों की कमी के कारण नियमित सफाई व्यवस्था नहीं है, परन्तु आवश्यकतानुसार समय-समय पर सफाई कराई जा रही है ।

जी हां उपलब्ध संसाधनों के अधीन सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर बी में स्थित व्यवसायिक केन्द्र में अवैध रूप से लगी सब्जी मंडी को हटाये जाने की मांग

93-श्री महाराज सिंह यादव -

क्या सरकार को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर बी में स्थित व्यवसायिक केन्द्र के समीप प्राधिकरण की 18 मीटर चौड़ी सड़क एवं प्राधिकरण की अन्य भूमि पर अवैध रूप से लगने वाली सब्जी मंडी के अवैध कब्जों को हटाने के संबंध में अधिशासी अभियन्ता, कार्य खण्ड-7, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र संख्या-256/अ0अ0-7/95-96, दिनांक 25-9-95 के माध्यम से प्राधिकरण के संयुक्त सचिव (एम) से अनुरोध किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त अवैध सब्जी मंडी हटाई गई ? यदि नहीं, तो उक्त अवैध सब्जी मंडी कब तक हटा दी जायेगी ? क्या सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि पुनः उक्त स्थान पर अवैध सब्जी मंडी न लगने पाये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टंडन-

जी हां।

जी हां।

सब्जी बेचने वालों द्वारा अस्थाई रूप से ठेलों पर सब्जी बेचने का व्यापार किया जाता है जिसे समय-समय पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान के समय हटाया जाता है।

जी हां।

प्रश्न ही नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर-बी में स्थित व्यवसायिक केन्द्र के चारों ओर अवैध कब्जों को हटाये जाने की मांग

94-श्री महाराज सिंह यादव-

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर बी में स्थित व्यवसायिक केन्द्र के चारों ओर किये गये अवैध कब्जों को हटाने के संबंध में कितने विधायकों के पत्र मा0 राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, आवास, उ0प्र0 शासन/उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण/अधिशासी अभियन्ता कार्यखण्ड-7, लखनऊ विकास प्राधिकरण को वर्ष 1996 में प्राप्त हुये हैं? क्या अवैध कब्जे हटा दिये गये? यदि नहीं, तो अवैध कब्जे अब तक न हटाने के लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है तथा उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लालजी टंडन-

सूचना एकत्र की जा रही है।

इंजीनियरिंग इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, सीतापुर रोड, लखनऊ के अन्तर्गत जारी शासनादेश द्वारा कैटलागर्स के वेतनमान के पुनरीक्षण की मांग

95-श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इंन्जीनियरिंग इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, सीतापुर रोड, लखनऊ के लिये जारी शासनादेश संख्या 2722/95-सोलह-प्रा0वि0शि0-1-339(पी)/88 टी0सी0, दिनांक 2 अगस्त, 1997 द्वारा कैटलागर्स के वेतनमान का भी पुनरीक्षण किया गया है? यदि नही, तो क्यों? क्या शासन समान नीति को ध्यान में रखते हुये उनके वेतनमान भी पुनरीक्षित करने की कार्यवाही शीघ्र करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी नहीं।

शासनादेश संख्या-2722/95-सोलह-प्रा0शि0-1-339(पी)/88 टी0सी0, दिनांक 2 अगस्त, 1997 जारी नहीं हुआ है।

लखनऊ के हुसैनगंज में स्थित तिलपुरवा मुहल्ला में शाहू धर्मशाला के निकट जर्जर खम्भे को बदलने के आदेश

96-श्री मतेश चन्द्र सोनकर-

क्या ऊर्जा मंत्री को यह जानकारी है कि लखनऊ के हुसैनगंज में स्थित तिलपुरवा मोहल्ले में साहू धर्मशाला के निकट लगा हुआ बिजली का खम्भा संख्या-8-9-2 आर0जे0एन0 रोड, जंग लगने के कारण जर्जर हो गया है? जो किसी

भी समय गिर सकता है और जिससे आस पास के रहने वाले निवासियों की जान माल की गम्भीर हानि हो सकती है ? यदि हां, तो क्या उक्त जर्जर बिजली के खम्भे को अविलम्ब बदलवाने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

सुश्री मायावती -

जी हां, यह सत्य है कि उक्त बिजली का खम्भा जंग लगने के कारण क्षतिग्रस्त है ।

जी हां ।

उक्त क्षतिग्रस्त खम्भा हटवाकर बदलवाने के आदेश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

97-श्री राम औतार शाक्य -

(दिनांक 4-8-97 को अता0 प्र0 सं0 88 द्वारा उत्तरित ।)

श्री राजेश्वर दयाल सक्सेना से0नि0 स0 अ0 इंड्रस्ट्रियल इण्टर कालेज, लखनऊ के अवशेष देयों के भुगतान की मांग

88-श्री अरुण वीर सिंह -

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि लोक शिकायत निदेशालय का पत्र श्री राजेश्वर दयाल सक्सेना, से0 नि0 स0 अ0 इंडस्ट्रियल इण्टर कालेज, लखनऊ के अवशेष देयों के भुगतान के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ तथा प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग को पत्रांक 1547/1996/9(102)/लो0शि0-5, दिनांक 22-5-96 के द्वारा प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? अवशेष देयों के भुगतान न करने हेतु कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है ? भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

डा0 नैपाल सिंह -

जी हां ।

पत्र दिनांक 22-5-96 शासन में प्राप्त होते ही जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ को तत्कालीन प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे । श्री सक्सेना के देयक बिल शिक्षा निदेशालय में उपलब्ध होने पर उसका परीक्षण किया गया ।

देयक में कतिपय कमियां थीं जिनका निराकरण करने हेतु मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ को वापस किया गया है । कमियों का निराकरण होते ही देयों का भुगतान कर दिया जायेगा । इसके लिये कोई कर्मचारी दोषी प्रतीत नहीं होता ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण विभाग में कार्यरत अवर अभियंता/डिप्लोमा इन्जीनियरों (वर्कचार्ज) दैनिक वेतन भोगियों के परिश्रमिक को बढ़ाये जाने की मांग

90-श्री छब्बू पटेल -

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत वर्कचार्ज/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जिनका परिश्रमिक प्रतिदिन रुपये 35/-एवं रुपये 40/-था उसको बढ़ाकर रुपये 40/-एवं रुपये 46/- कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या लखनऊ विकास प्राधिकरण विभाग में कार्यरत अवर अभियन्ताओं/डिप्लोमा इन्जीनियरों(वर्कचार्ज) दैनिक वेतन भोगी का परिश्रमिक उसी तिथि से सरकार बढ़ायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लालजी टंडन -

जी हां ।

इस संबंध में लखनऊ विकास प्राधिकरण का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लक्ष्मी नारायन रस्तोगी भगवती विद्या मन्दिर हाई स्कूल, लखनऊ में सेवारत प्राइमरी/जूनियर संवर्ग के कर्मचारियों के मासिक वेतन का भुगतान

100-श्री राम पाल वर्मा-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि लक्ष्मी नारायन रस्तोगी भगवती विद्या मन्दिर हाई स्कूल, लखनऊ में कार्यरत किन-किन प्राइमरी/बेसिक व जूनियर संवर्ग के शिक्षक कर्मचारियों को वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत वेतन वितरित किया जाता है ? शिक्षक/कर्मचारियों को माह फरवरी, 96 से आज तक का मासिक वेतन क्यों नहीं भुगतान किया गया है ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

प्रश्नगत विद्यालय के माध्यमिक स्तर की 15 शिक्षिकाओं तथा सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालय की 6 शिक्षिकाओं का वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत वेतन भुगतान किया जा रहा है ।

माध्यमिक स्तर की शिक्षिकाओं को फरवरी, 1996 से वेतन भुगतान अद्यावधि किया जा चुका है । प्राइमरी विद्यालयों की शिक्षिकाओं का फरवरी, 1996 से अप्रैल 1997 तक का वेतन भुगतान किया जा चुका है । शेष तीन माह के वेतन के भुगतान के संबंध में धनावंटित किया जा चुका है, शीघ्र वेतन भुगतान हो जायेगा ।

टाउन एरिया, खीरी के तत्कालीन सचिव के विरुद्ध कथित गबन का आरोप

101-श्री राम पाल वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि टाउन एरिया, खीरी में वर्ष 1992-93 में तत्कालीन सचिव ने निर्माण कार्यों में हेराफेरी करके 1,58,124 रु0 का गबन किया था ? क्या यह भी सही है कि जांच के दौरान गबन का आरोप सत्य पाया गया था तथा गबन किये गये धन की वसूली करने व इनके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराकर दण्डित कराने की भी अनुशंसा जिला प्रशासन ने की थी ? यदि हां, तो क्या तत्कालीन सचिव, टाउन एरिया खीरी से 1,58,124 रुपये वसूल किया गया ? इनके विरुद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टंडन-

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के खुटार ब्लाक में 132 के0 वी0 विद्युत सब स्टेशन स्थापित करने की मांग

102-श्री चेतराम-

क्या ऊर्जा मंत्री को यह जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र पुवायां जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक खुटार में 132 के0 वी0 विद्युत उपगृह स्थापित किये जाने का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है ? यदि हां, तो अब तक उक्त विद्युत उपगृह स्थापित न किये जाने का क्या कारण है ? कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ? यदि नही, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

आसपास के क्षेत्र में अधिष्ठापित 132 के0 वी0 के उपकेन्द्रों पर अतिरिक्त विद्युत भार वहन करने की क्षमता उपलब्ध होने के कारण एवं उपकेन्द्र के निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध न होने के कारण इस विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भविष्य में विद्युत भार बढ़ने एवं निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित होने पर इस उपकेन्द्र को स्थापित किया जाना सम्भव है परन्तु परिषद् की कठिन वित्तीय स्थिति के परिपेक्ष्य में इस उपकेन्द्र को स्थापित किये जाने की कोई निश्चित सीमा निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

103-श्री सुखपाल पाण्डेय-

(न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

104-श्री सुखपाल पाण्डेय-

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

वाराणसी नगर निगम द्वारा पारित संकल्प एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

105-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी नगर निगम द्वारा पारित संकल्प संख्या 78, दिनांक 22-11-96 क्या है? इसके विषय में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लालजी टंडन-

श्री नारायण मिश्र सभासद का प्रस्ताव दिनांक 22-11-96 निम्नवत् था :-

"अस्सी स्थित बी0 1/190 एवं बी0 1/191 के स्थान पर प्रातः स्मरणीय प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की रणचण्डी महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। यह स्थान सौभाग्य से काशी नरेश एवं छोटी पंचायती अखाड़ा का है और उस पर पूर्व नगर महापालिका ने अपने प्रस्ताव संख्या-12 जो श्री नारायण मिश्र द्वारा प्रस्तुत संकल्प दिनांक 23-5-69 था, एक पार्क तथा रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापना का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया था। इस संबंध में तत्कालीन जिलाधिकारी आर0 एस0 टोलिया को अध्यक्ष महारानी लक्ष्मीबाई स्मारक समिति वाराणसी की ओर से पत्राचार आदि किये गये थे परन्तु अंतिम रूप से वहां अभी तक उद्यान एवं मूर्ति स्थापना का कार्य सम्पन्न नहीं हो पाया। भारती की वीर भूमि पर उपरोक्त स्थल पर जन्मी वीरांगना की यादगार में पार्क तथा मूर्ति स्थापना में विलम्ब वाराणसी की जनता के लिये क्षोभकर है। सदन निश्चय करती है कि अविलम्ब इस कार्य के सम्पादन में मुख्य नगर अधिकारी व्यक्तिगत अभिरुचि के साथ आवश्यक कार्यवाही करें।

उक्त प्रस्ताव नगर निगम, वाराणसी द्वारा संकल्प सं0-78 के रुप में सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

तत्कालीन जिलाधिकारी ने सहायक निदेशक, पर्यटन, वाराणसी को पत्र सं0:5285/ए0टी0 कैम्प-86 दिनांक 24-6-86 द्वारा लिखा था कि प्लाट सं0: बी 1/191 पर लक्ष्मीबाई स्मारक का निर्माण किया जाना है, जिसके लिये जिस योजना में 1 लाख रुपये परिव्यय आवंटित हो चुका है। नगर निगम को अपने स्रोतों से इस कार्य को पूरा करने के लिये निर्देश दिये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री लटूरी सिंह, सहायक अभियन्ता, कासंगज, एटा के विरुद्ध भष्टाचार संबंधी शिकायती-पत्र पर निर्देश

106-श्री नेतराम सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि एटा जिले के कासगंज खण्ड के सहायक अभियन्ता श्री लटूरी सिंह की अनियमितताये, भष्टाचार, सरकारी धन का गोलमाल का प्रश्नकर्ता द्वारा भेजा हुआ शिकायती-पत्र माह मई, 1997 में उनको प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री कलराज मिश्र-

जी हां।

प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0 को यथोचित निर्देश दे दिये गये हैं।

लोक निर्माण विभाग, बाराबंकी द्वारा विकास खण्ड निन्दूरा में ग्राम जमुवां से अमानीगंज मार्ग के डामरीकरण की मांग

107-श्री राम पाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि लोक निर्माण विभाग, बाराबंकी द्वारा विकास खण्ड निन्दूरा स्थित ग्राम जमुवां से अमानीगंज तक 5 कि0मी0 लम्बे मार्ग पर दो वर्ष पूर्व गिट्टी डालने का कार्य किया जा चुका है, किन्तु उस पर अभी तक तारकोल पेन्ट नहीं किया गया है? उक्त मार्ग पर तारकोल पेन्ट कब तक करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

प्रश्नगत मार्ग की लम्बाई 5 कि0मी0 न होकर 4 कि0मी0 है इसमें 1.70 कि0मी0 में लेपन स्तर तक कार्य स्वीकृत था जो पूर्ण है। शेष लम्बाई में सोलिंग स्तर तक कार्य स्वीकृत है जिसमें से 0.75 मी0 में कार्य मिट्टी स्तर तक पूर्ण हुआ है।

संशाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के स्थानीय निकायों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग

108-श्री दल बहादुर कोरी-

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश के स्थानीय निकायों में गत 3 से अधिक वर्षों से 519 सफाई मजदूर दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं? यदि हां, तो उक्त 519 दैनिक वेतन सफाई कर्मचारियों को कब तक नियमित किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लालजी टंडन-

प्रदेश के 82 निकायों से प्राप्त सूचना के अनुसार 3 वर्ष से अधिक 419 दैनिक सफाई मजदूर निकायों में कार्यरत हैं।

वर्तमान में प्रदेश की कुल 684 स्थानीय निकायों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को नियमित किये जाने की शासन की कोई नीति नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर आवास हस्तानान्तरण के विरुद्ध श्री मुन्नालाल कनौजिया, अध्यक्ष अनुसूचितजाति/जनजाति एवं श्रमिक कल्याण समिति का शिकायती-पत्र

109-श्री दल बहादुर कोरी-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि श्री मुन्ना लाल कनौजिया, अध्यक्ष, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं श्रमिक कल्याण समिति (रजि0) के पत्र सं0 20/94 रजिस्टर्ड दिनांक 8-3-94 द्वारा सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय आवास एवं विकास परिषद्, उ0प्र0 राजाजीपुरम्, लखनऊ के अनुसूचित जाति के आवंटी के आवास सं0 ई-3350 के खून के रिश्तों के फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर उच्च जाति के व्यक्ति को हस्तान्तरित करने की शिकायत करते हुये सी0आई0डी0 जांच की मांग की गई थी ? यदि हां, तो उक्त के संदर्भ में अब तक क्या प्रभावी कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन-

जी हां ।

संदर्भित शिकायती-पत्र में उल्लिखित भवन सं0-ई0-3350 श्री मदन लाल आनन्द को आवंटित है, जो अनुसूचित जाति के नहीं हैं । इस भवन को खून के फर्जी रिश्ते के प्रमाण-पत्र के आधार पर अन्तरण नहीं किया गया है, इसलिये किसी जांच की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जगदीश सिंह, प्रधान अध्यापक, प्रा0पा0 दाउदपुर, कडवार, सुल्तानपुर के पेंशन भुगतान पर रोक

110-श्री तेजभान सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री जगदीश प्रसाद सिंह, प्रधान अध्यापक, प्रा0 पा0 दाऊदपुर कडवार, सुल्तानपुर दिनांक 30-6-94 को सेवानिवृत्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या इनका पेंशन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

जी हां ।

जी नहीं ।

श्री सिंह को दिनांक 1-7-94 से रु0 809.00 मासिक पेंशन स्वीकृत की गई है ? श्री सिंह हत्या के अभियोग में कारागार में बन्द रहने के कारण पेंशन का भुगतान माननीय न्यायालय के अन्तिम निर्णय होने तक रोक दिया गया है ।

लखनऊ स्थित बादशाहनगर रेलवे स्टेशन चौराहे से कुकरैल नाले के बीच मेयर के आदेशानुसार पटरी दुकानदारों से तहबाजारी की वसूली

111-श्री तेजभान सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि बादशाहनगर रेलवे स्टेशन चौराहे से कुकरैल नाले के बीच सड़क के दोनों ओर लगायी जा रही दुकानों से मेयर के आदेशानुसार पांच रुपये प्रति दुकान चुंगी वसूल की जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन-

जी नहीं ।

बादशाहनगर रेलवे स्टेशन चौराहे से कुकरैल पुल तक सड़क के दोनों पटरी पर वर्ष 1997-98 के लिये तहबाजारी का ठेका नगर प्रमुख/कार्यकारिणी द्वारा श्री राकेश सोनकर के नाम स्वीकृत किया गया है । तहबाजारी की दर निम्न प्रकार स्वीकृत है :-

1-खुली भूमि 3×5 वर्ग फिट	रु0 5/-प्रतिदिन
2-ठेला चार पहिया	रु0 5/-प्रतिदिन
3-खोंमचा	रु0 2/-प्रतिदिन

उक्त दर ठेकेदार द्वारा उक्त स्थल की तहबाजारी की वसूली की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद भदोही की नगर पंचायत सुरियावां में कब्रिस्तान में हैण्ड पम्प अधिष्ठापन की कार्यवाही

112-श्री पूर्णमासी पंकज-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद भदोही के नगर पंचायत सुरियावां में कब्रिस्तान में हैण्ड पम्प लगाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-4-97 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त कब्रिस्तान में कब तक हैण्ड पम्प लगा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन-

जी नहीं । प्रश्नकर्ता का इसी विषय से संबंधित एक पत्र दिनांक 28-6-97 अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उ0प्र0 जल निगम, भदोही के कार्यालय में प्राप्त हुआ है ।

जिलाधिकारी को निर्दिष्ट स्थल पर हैण्ड पम्प अधिष्ठापित किये जाने हेतु निर्देश भेज दिये गये हैं ।

जनपद भदोही के उ0 मा0 विद्यालय गड़ौरा को अनावर्ती सहायक प्रदान करने की मांग

113-पूर्णमासी पंकज-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद भदोही के विकास खण्ड सुरियावां स्थित मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल गड़ौरा उ0मा0 विद्यालय को अनावर्ती सहायता प्रदान करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 3-6-97 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य सम्पत्ति के अधीन लखनऊ में समस्त श्रेणियों के आवासों के आवंटन में आरक्षण के रोस्टर अनुपालन की मांग

1114-श्री राम औतार शाक्य-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य राम्पत्ति विभाग के अधीन लखनऊ में विभिन्न श्रेणियों के कुल कितने आवास आवंटित हैं और कितने खाली हैं ? आवंटित आवासों में कितने सामान्य पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारियों/ कर्मचारियों को आवंटित हैं ? क्या आवास के आवंटन में आरक्षण के रोस्टर का अनुपालन हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

शिक्षा समिति मैनपुरी की बैठक में प्रस्तावित एवं पारित समस्त विद्यालयों का निर्माण कराने की मांग

1115-श्री राम औतार शाक्य-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1996-97 में निर्मित होने वाले 181 प्राथमिक विद्यालयों के स्थल चयन हेतु शिक्षा समिति मैनपुरी की क्या कोई बैठक हो चुकी है ? यदि हां, तो कब और किसकी अध्यक्षता में ? बैठक में क्षेत्र पंचायत सुल्तानगंज व बेवर में किन-किन ग्रामों में विद्यालय बनने के प्रस्ताव पारित हुये हैं ? क्या सरकार समिति द्वारा प्रस्तावित एवं पारित सभी विद्यालयों का निर्माण कराना सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

जी हां ।

दिनांक 4-3-97 को अध्यक्ष, जिला पंचायत, मैनपुरी की अध्यक्षता में ।

सूची संलग्न है ।

जी नहीं केवल निर्धारित मानक के अनुसार असेवित ग्रामों में विद्यालय स्थापित किये जायेंगे ।

समिति द्वारा चिन्हित तथा विभाग द्वारा निर्णित असेवित बस्तियों की सूचियों में भिन्नता पाये जाने के प्रकरण की जांच हो रही है । जांच के उपरान्त उपयुक्त पाये गये ग्रामों में निर्माण कराना सम्भव हो सकेगा ।

(देखिये नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ 130-131 पर)

कु0 प्रीति गुप्ता निवासी 3/31 खड़ियामी जनपद फर्रुखाबाद की मृतकाश्रित के रूप में नियुक्ति की मांग

1116-श्री राम औतार शाक्य-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कु0 प्रीति गुप्ता नि0 3/31, खड़ियामी जनपद फर्रुखाबाद द्वारा एल0 टी0 ग्रेड में मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ प्रार्थना-पत्र दिनांक 28-6-96 सचिव, माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त हुआ ?

यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ? क्या सरकार उक्त आवेदिका को मृतक आश्रित के रूप में किसी राजकीय माध्यमिक विद्यालय में नियुक्ति करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नैपाल सिंह -

मा0 प्रश्नकर्ता सदस्य महोदय का प्रश्न में उल्लिखित विषय पर एक पत्र दिनांक 27-3- 6 प्राप्त हुआ है ।

शिक्षा निदेशक (मा0) को नियमों के अन्तर्गत शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये ।

प्रकरण परीक्षणाधीन है ।

प्रधानाध्यापक, बेसिक प्राइमरी पाठशाला, छतरपुर, प्रतापगढ़ के विरुद्ध गबन के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच

।।7-श्री दिवाकर विक्रम सिंह -

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को प्रधान ग्राम पंचायत छतरपुर विकास खण्ड संड़वा चन्द्रिका जिला प्रतापगढ़ का कोई प्रार्थना पत्र जो तत्कालीन प्रधान अध्यापक, बेसिक प्राइमरी पाठशाला, छतरपुर द्वारा गबन किये जाने से संबंधित जांच एवं वसूली के विषय में था, प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ 29 अप्रैल, 1997 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक इस विषय में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल -

जी हां ।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी संड़वा चन्द्रिका प्रतापगढ़ को जांच कर आख्या देने हेतु निर्देशित किया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना (द्वितीय चरण), उत्तर काशी को पूर्ण करने की मांग

।।8-श्री मोहन सिंह रावत गांववासी -

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के विद्युत संकट के समाधान हेतु अनेक जन विद्युत परियोजनाओं के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो मनेरी भाली (उत्तर काशी) योजना का द्वितीय चरण का कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त रोक दिये जाने का क्या कारण है ? क्या इस घोर विद्युत संकट में मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना (द्वितीय चरण) का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

सुश्री मायावती -

जी हां ।

धनाभाव ।

परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना आवश्यक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है । इस परियोजना को निजी क्षेत्र में स्थापित किये जाने का भी प्रयास किया जा रहा है ।

वर्तमान में इस परियोजना को पूर्ण किये जाने हेतु कोई निश्चित समय सीमा इंगित करना सम्भव नहीं है ।

जल विद्युत परियोजना विष्णु प्रयाग, जोशीमठ, चमोली का निर्माण

119-श्री मोहन सिंह रावत गांववासी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जल विद्युत परियोजना विष्णु प्रयाग परियोजना (जोशीमठ-चमोली) पर गत वर्षों कार्य हुआ था ? क्या अब कार्य रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? इस योजना का कब तक कार्य पूरा किया जायेगा?

सुश्री मायावती-

जी हां ।

पिछले वर्षों में इस परियोजना पर प्रगति लगभग शून्य रही है ।

उक्त परियोजना के निर्माण का काम निजी क्षेत्र की कम्पनी मै0 जय प्रकाश इण्डस्ट्रीज को सौंप दिया गया है वर्ष 2003 तक पूर्ण किया जाना सम्भावित है ।

हरदोई जिले के बाण व परोली के मध्य सई नदी पर सेतु निर्माण की मांग

120-श्री फरीद महफूज किदवई-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उप सचिव, उ0प्र0 शासन, लोक निर्माण अनुभाग-11 के पत्र संख्या 1433 ई/23-11-6-47(4) ई/92, दिनांक 12 फरवरी, 1997 द्वारा अपेक्षित हरदोई जिले के माधोगंज-कछोना रोड पर बाण व परोली के मध्य सई नदी पर सेतु निर्माण का शासन द्वारा प्रस्तावित कार्य सम्पादित करने के संबंध में आख्या, संस्तुति तथा आगणन प्रमुख अभियन्ता लो0नि0वि0 (नियोजन वर्ग), उ0प्र0, लखनऊ/अधि0 अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, हरदोई से प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसी संबंध में श्रीमती भगवती देवी अध्यक्ष, नगर पंचायत कुरसठ (हरदोई) का पत्र दिनांक 19-4-97 श्री कलराज मिश्र, मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 के उपरिपत्र संख्या 2083 दिनांक 1-5-97 भी प्रमुख सचिव, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त पुल का निर्माण कब तक करवा दिया जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र-

जी हां ।

प्रश्नगत आगणन दिनांक 25-7-97 को प्राप्त हुआ है ।

जी हां ।

मामले का परीक्षण किया जा रहा है । निर्माण कार्य आवश्यकता के सापेक्ष संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद गोरखपुर को बौद्ध पर्यटन से जोड़ने की मांग

121-श्री शिव प्रताप शुक्ल-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर के आस-पास के जिले को बौद्ध पर्यटन से जोड़ा गया है तथा गोरखपुर को छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर में 400 के0वी0 विद्युत स्टेशन का निर्माण

122-श्री शिव प्रताप शुक्ल-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि गोरखपुर जिले में 400 के0वी0 का विद्युत स्टेशन का निर्माण हो रहा है ? यदि हां, तो क्या वह पूरा हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां ।

जी नहीं ।

पी0एफ0सी0 द्वारा ऋण की धनराशि अवमुक्त न करने के कारण तथा विद्युत परिषद् में आन्तरिक संसाधनों की कमी के कारण निर्माण कार्य रुका पड़ा है ।

जनपद आजमगढ़ के विद्युत उपकेन्द्र मेंहनगर व कम्हरिया में 3 एम0बी0ए0 के स्थान पर 5 एम0बी0ए0 का ट्रांसफार्मर लगाने की मांग

123-श्री राम जग-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे आजमगढ़ के अन्तर्गत उप विद्युत केन्द्र मेंहनगर तथा उप विद्युत केन्द्र कम्हरिया में 3 एम0बी0ए0 के स्थान पर 5 एम0बी0ए0 का ट्रांसफार्मर लगाया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो ट्रांसफार्मर अभी तक न लगाये जाने का कारण क्या है ? उसे कब तक लगा दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती-

(1) 33/11 के0वी0, 3 एम0बी0ए0 क्षमता के मेंहनगर उपकेन्द्र पर दूसरा 3 एम0बी0ए0 ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य वित्तीय वर्ष 1997-98 की कार्य-योजना में सम्मिलित है ।

(2) 33/11 के0वी0 कम्हरिया उपकेन्द्र पर स्थापित 3 एम0बी0ए0 ट्रांसफार्मर के स्थान पर 5 एम0बी0ए0 ट्रांसफार्मर लगाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है ।

मेंहनगर उपकेन्द्र पर दूसरा 3 एम0बी0ए0 ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेश जारी कर दिये गये हैं लेकिन परिषद् की कठिन वित्तीय स्थिति के कारण इस कार्य को पूर्ण किये जाने की कोई समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

अधिशासी/सहायक अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, देवरिया के विरुद्ध अनियमितता के आरोप की जांच

124-श्री जय प्रकाश, श्री राम नरेश रावत तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अंतर्गत विद्युत वितरण खण्ड, देवरिया के अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियंता के विरुद्ध परिषद् को करोड़ों रुपये की क्षति पहुंचाने विषयक श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद एवं श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया का पत्र दिनांक 23-6- 7, जो कि मुख्य सचिव, उ0प्र0

शासन एवं अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसकी बिन्दुवार स्थिति क्या है ? क्या परिषद् को हुई हानि की वसूली इन अधिकारियों से की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां ।

प्रश्नगत पत्रों दिनांक 23-6-97 द्वारा श्री नन्दलाल जायसवाल, प्रदेश कोषाध्यक्ष, उ0प्र0 विद्युत मजदूर संघ की समदिनांकित परिवाद की प्रति भेजते हुये मा0 सांसद श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी एवं मा0 विधायक श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया जी ने राज्य सतर्कता जांच कराये जाने की संस्तुति की है । परिवाद में श्री पी0डी0 सिंह, अधिशासी अभियन्ता एवं श्री आर0 एन0 मिश्रा, उपखण्ड अधिकारी-प्रथम, विद्युत वितरण खण्ड, देवरिया की मिलीभगत से परिषद् को करोड़ों रुपये की हानि पहुंचाने के विभिन्न आरोप निहित हैं । प्रश्नगत प्रकरण की विस्तृत जांच परिषद् की सतर्कता इकाई को सौंप दी गई है ।

सतर्कता जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही हेतु विचार किया जायेगा ।

लक्ष्मी यदुनन्दन महाविद्यालय, फर्रुखाबाद को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा उ0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान का विवरण

125-श्री सुशील शाक्य-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लक्ष्मी यदुनन्दन महाविद्यालय, फर्रुखाबाद को पिछले दस वर्षों में शासन तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कितना अनुदान वर्षवार दिया गया ? क्या दिये गये अनुदान की उपयोगिता का वितरण शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि नहीं, तो शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

विगत 10 वर्षों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा उ0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान के विवरण संलग्न हैं ।

संस्था द्वारा निदेशक उ0शि0 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदानों एवं उसके सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत राज्यांश के सम्मिलित उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी "च" आगे पृष्ठ 132 पर)

जनपद फर्रुखाबाद में बाईपास का निर्माण पूर्ण कराने की मांग

126-श्री सुशील शाक्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि फर्रुखाबाद जनपद में बाईपास का निर्माण मार्ग निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 में 14.60 लाख की लागत से स्वीकृत हुआ था ? क्या उस पर मार्च, 1996 तक रुपये 55.50 लाख व्यय हो चुका

है तथा अब मात्र लगभग डेढ़ किलोमीटर सड़क का कार्य तथा रेलवे क्रासिंग का कार्य अवशेष है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य को शीघ्र पूरा कराकर बाईपास चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

जी हां, परन्तु कार्य वर्ष 1978-79 में स्वीकृत हुआ था और उस पर मार्च, 1996 तक रु0 55.50 लाख व्यय हो चुका है ।

जी हां, मात्र डेढ़ किलोमीटर सड़क का कार्य तथा रेलवे क्रासिंग का कार्य अवशेष है जिसे संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर पूरा कराया जायेगा ।

उ0प्र0 जल निगम की निर्माण एजेन्सी सी0एण्ड डी0 एस0 में भ्रष्टाचार में आरोपित परियोजना प्रबन्धकों को हटाने की मांग

127-श्री सुशील शाक्य-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जल निगम की निर्माण एजेन्सी सी0 एण्ड डी0 एस0 में कितने ऐसे परियोजना प्रबन्धक कार्यरत हैं जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें, शिकायत सेल में लम्बित हैं? क्या सरकार ऐसे परियोजना प्रबन्धकों को सी0 एण्ड डी0 एस0 से हटाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन-

जी हां । मात्र एक ।

जी हां । वर्तमान में श्री मुकेश कुमार, यूनिट 130 वाराणसी में परियोजना प्रबन्धक के पद पर कार्यरत हैं तथा इस यूनिट द्वारा वाराणसी में फीडर मैंन का कार्य कराया जा रहा है जिसकी टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है तथा इसी वर्ष, इन कार्यों को चालू कर जल संस्थान वाराणसी को हस्तांतरित किया जाना है तथा लेखा बन्दी भी पूर्ण की जानी है । अतः इनको दिसम्बर, 1997 तक सी0एण्ड डी0 एस0 में रोका गया है । उक्त कार्यों के हस्तांतरित हो जाने एवं लेखा-बन्दी पूर्ण हो जाने के पश्चात् इन्हें जल निगम में प्रत्यावर्तित करने का निर्णय लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गुरुसहायगंज, फर्रुखाबाद में 220 के0वी0 स्वीकृत उपकेन्द्र के निर्माण की मांग

128-श्री सुशील शाक्य-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि गुरुसहायगंज जनपद फर्रुखाबाद में 220 के0वी0 का उपकेन्द्र बनाये जाने हेतु स्वीकृत है ? यदि हां, तो क्या गुरुसहायगंज में उपकेन्द्र के निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां ।

जी नहीं ।

आस-पास के क्षेत्रों में स्थित अन्य उपकेन्द्रों पर अतिरिक्त विद्युत भार वहन करने की क्षमता उपलब्ध होने एवं उपकेन्द्र के निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध न होने के कारण इस उपकेन्द्र का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया।

1129-1130-श्री सीताराम निषाद-

(चौथे बुधवार में अता0प्र0सं0 25-26 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

वित्तीय वर्ष 1986-87 में लोक निर्माण विभाग द्वारा विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत बनवाई गई सड़कों का अनुबन्ध के अनुसार निर्माण

1131-श्री सीताराम निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि वित्तीय वर्ष 1986-87 में लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा जनपद फैजाबाद-इलाहाबाद राजमार्ग लम्बाई 160 कि0मी0 के चौड़ा एवं सुदृढ़ीकरण करने की योजना विश्व बैंक की सहायता से 52 करोड़ रुपये लागत की स्वीकृति हुई थी ? यदि हां, तो मार्च, 1997 तक उक्त विश्वबैंक योजना के अन्तर्गत फैजाबाद से सुल्तानपुर तक 47 कि0मी0 में जो निर्माण कार्य हुआ है उसकी वास्तविक लागत व्यय क्या है ? क्या यह सही है कि फैजाबाद से सुल्तानपुर तक 47 कि0मी0 मार्ग निर्माण तथा फैजाबाद जनपद में समसा नदी पर एक पुल निर्माण मे कुल मिलाकर लगभग 20 करोड़ रुपया की लागत व्यय दिखाया गया है जो लोक निर्माण विभाग के मानक का लगभग 7 गुना है ? क्या सरकार विश्वबैंक योजना के उपरोक्त निर्माण कार्य में मानक से अधिक लागत व्यय दिखाकर करोड़ों रुपये के घोटाले की उच्च स्तरीय तकनीकी जांच कराकर विश्वबैंक योजना की धनराशि के दुरुपयोग को रोकने की प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि नही, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

जी हां ।

शासनादेश संख्या 4067ई0/23 सा0नि0अनु0-11/1181 ई0/89, दिनांक 4-11-1989 द्वारा विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत फैजाबाद इलाहाबाद मार्ग लम्बाई 150 कि0 मी0 के पुर्ननिर्माण एवं सुधार हेतु रु0 53.61 करोड़ लागत की स्वीकृति हुई थी ।

फैजाबाद से सुल्तानपुर तक 47.4 कि0मी0 लम्बाई के निर्माण कार्य मय समसा सेतु एवं समस्त पुल-पुलिया की लागत को सम्मिलित करते हुये मार्च, 1997 तक कुल व्यय रु0 24.76 करोड़ हुआ है ।

जी नहीं । फैजाबाद से सुल्तानपुर वक 47.4 कि0मी0 लम्बाई के निर्माण कार्य मय समसा सेतु एवं पुल-पुलिया की लागत को सम्मिलित करते हुये मार्च, 1997 तक 24.76 करोड़ का कुल व्यय हुआ है । जो लोक निर्माण विभाग के मानक लागत का पौने दो गुणा (1.75) है । मानक से अधिक लागत व्यय 20 करोड़ दिखाने का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कम्पटीटिव बिडींग के आधार पर तथा शासन स्तर पर गठित उच्चस्तरीय कमेटी के निर्णय एवं विश्व बैंक के अनुमोदन के पश्चात् ही फर्मस की निविदा स्वीकृत की गई है और तद्नुसार समस्त कार्य एवं भुगतान अनुबन्ध की शर्तानुसार ही किया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय विद्यालयों में ट्यूशन पढ़ाने वाले अध्यापकों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

132-श्री परवेज हलीम खां-

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद प्रतापगढ़ में गांधी इण्टर कालेज, सांगीपुर/बापू इण्टर कालेज, रेहुआ-लालगंज/बेनी माधव इण्टर कालेज, सिंधौली प्रतापगढ़ के परिसर में ही कुछ अध्यापकों द्वारा छात्रों को ट्यूशन पढ़ाये जाने हेतु मनमाना धन वसूला जाता है ? क्या ट्यूशन न पढ़ने वाले छात्रों को तरह-तरह से परेशान एवं फेल किये जाने की धमकी दी जाती है ? क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाकर कालेज परिसर के अन्दर पढ़ाये जा रहे ट्यूशन पर रोक लगाते हुये दोषी अध्यापकों के खिलाफ कार्यवाही करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नैपाल सिंह-

जी नहीं। ऐसी कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है।

प्रश्न के माध्यम से जानकारी प्राप्त होने पर मंडलीय उपशिक्षा निदेशक (मा0) इलाहाबाद को जांच हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

राम कृष्ण पुरम, कल्याणपुर लखनऊ में कथित लो वोल्टेज की समस्या

133-श्री सुशील शाक्य-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगें राम कृष्ण पुरम् कल्याणपुर लखनऊ में लगातार लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है ? यदि हां तो क्या उक्त लो वोल्टेज की समस्या के निराकरण हेतु सरकार कोई कारगर कदम उठायेगी ? यदि हां तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

रामकृष्णपुरम कल्याणपुर में लो-बोल्टेज की समस्या नहीं है।

बी0एस0ए0 महाविद्यालय मथुरा के विधि विभाग में कार्यरत कतिपय शिक्षकों की नियुक्ति का प्रकरण

134-श्री सुशील शाक्य-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि क्या बी0एस0ए0 महाविद्यालय, मथुरा के विधि विभाग में कार्यरत कतिपय शिक्षकों की सेवायें उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों के निवारण) आदेश, 1985 के अनुसार आयोग द्वारा 30-6-85 या इससे पूर्व के संस्तुति के बावजूद समाप्त नहीं की गई और उन्हें संस्तुति के दिनांक के बाद भी सेवा में निरन्तर बनाये रखते हुये शासकीय अनुदानों से वेतन का भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो इस अनियमितता के लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी है ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

बी0एस0ए0 महाविद्यालय, मथुरा में तदर्थ रुप से नियुक्त श्री कृष्ण कुमार गुप्ता द्वारा धारित प्रवक्ता विधि के पद पर आयोग द्वारा श्री चन्द्र मोहन लाल श्रीवास्तव का चयन किया गया और 22-6-85 को कार्यभार ग्रहण कराने हेतु प्रबंधतंत्र को निदेशित किया गया। इसके विरुद्व श्री गुप्ता ने एक रिट याचिका योजित कर मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ बेंच, लखनऊ से 6-8-85 को स्थगनादेश प्राप्त कर लिया। नियुक्ति न मिलने पर श्री श्रीवास्तव ने भी रिट याचिकाएं योजित की। इन दोनों व्यक्तियों की योजित रिट याचिकायें 17-10-86 को निर्णीत हुई जिसमें श्री गुप्ता की रिट याचिका तो खारिज हो गई, परन्तु श्री श्रीवास्तव की याचिकाओं पर निर्णय उनके पक्ष में हुआ। इस निर्णय के विरुद्व श्री गुप्ता ने मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका योजित की, जो सिविल अपील संख्या-213-14/87 में परिवर्तित हो गई।

मा0 उच्च न्यायालय के 17-10-86 के निर्णय के अनुसार निदेशक, उच्च शिक्षा के निर्देश पर प्रबंध तंत्र ने 11-4-88 को श्री श्रीवास्तव को नियुक्त पत्र जारी किया जिसके अनुपालन में उन्होने 24-5-88 को कार्यभार ग्रहण कर लिया। इसी बीच महाविद्यालय के एक अन्य शिक्षक की सेवानिवृत्ति से प्रवक्ता विधि का एक पद 1-7-87 को रिक्त हो गया जिस पर प्रबन्ध तंत्र ने श्री गुप्ता को उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग(द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1989 के प्राविधानों का लांभ देते हुये विनियमित कर दिया और बाद में स्थाई कर दिया जो नियमानुसार नहीं था। परन्तु चूंकि ऊपर इंगित अपील में प्रतिवादी प्रबंधतंत्र की ओर से दाखिल प्रतिशपथ पत्र में श्री गुप्ता की सेवायें स्थायी कर दिये जाने के अभिकथन के आधार पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका को प्रभावहीन करार देकर याचिका खारिज कर दी। अतएव ऐसी दशा में मा0 सर्वोच्च न्यायालय को इस प्रभावी आदेश की स्थिति में श्री गुप्ता की सेवायें स्वीकार न करना, वेतन संदाय खाते से वेतन भुगतान न करना अवहेलना स्वरूप होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

बी0 एस0 ए0 महाविद्यालय मथुरा में पुनर्निर्धारित अध्यापकों के वेतन पर मंहगाई भत्ता की रोक

135-श्री सुशील शाक्य-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि अधिनियमों/नियमों के अधीन बी0एस0ए0 महाविद्यालय मथुरा एक सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय है? यदि हां, तो किन प्राविधानों के अन्तर्गत उच्च शिक्षा निदेशक ने अपने पत्र संख्या डिग्री अर्थ-1/23190/96-97 दिनांक 18-3-97 द्वारा उक्त विद्यालय को अशासकीय संस्था बताते हुये उक्त विद्यालय में कतिपय पुनर्नियोजित शिक्षकों को वेतन पर मंहगाई भत्ते की अनुमन्यता समाप्त करने के आदेश पारित किये हैं जिससे उन्हें अत्यधिक आर्थिक क्षति हो रही है? इस कार्य के लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी है? उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी हां ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28-7-87 के अनुसार पुनर्योजित पेंशनरों की पेंशन पर वर्तमान में मंहगाई राहत अनुमन्य नहीं है । परन्तु बी0एस0ए0 महाविद्यालय मथुरा में शिक्षक के पदों पर पुनर्योजित पेंशनरों के पेंशन एवं मंहगाई राहत की स्थिति स्पष्ट न होने से आगामी आदेशों तक इनके वेतन पर अनुमन्य मंहगाई भत्ते का भुगतान रोक दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बी0एस0ए0 महाविद्यालय मथुरा में कतिपय शिक्षकों को नियम विरुद्ध चयन वेतनमान देने के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

136-श्री सुशील शाक्य-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या अशासकीय महाविद्यालयों के उन शिक्षकों को, जिन्हें उच्च वेतनमान रुपये 3000-5000/- में वेतन भुगतान न होते हुये भी चयन वेतनमान रु0 3700-5700 स्वीकृत कर, उक्त वेतनमान में वेतन भुगतान किया जा सकता है ? यदि नहीं, तो बी0एस0ए0 महाविद्यालय मथुरा के विधि विभाग में कार्यरत प्रबन्धकों को सीधे चयन वेतनमान रुपये 3700-5700 में किस प्राविधान के अन्तर्गत वेतन भुगतान किया जा रहा है ? इस अनियमितता के लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी हैं ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी हां । शासनादेश संख्या-91 जी0आई0/15-11-87-14(5)-87, दिनांक 7-1-1989 का संलग्नक-11 के अनुच्छेद 18 (1) के अनुसार जिन शिक्षकों का दिनांक 17-6-1987 को या इसके पूर्व चयन वेतनमान की देयता बनती है, उन्हें सीनियर वेतनमान न स्वीकृत कर सीधे चयन वेतनमान रु0 3700-5700 स्वीकृत किया जा सकता है ।

उपर्युक्त प्राविधान से आच्छादित न होने के कारण बी0एस0ए0 महाविद्यालय मथुरा के विधि विभाग में कार्यरत किसी भी प्रवक्ता को सीधे रु0 3700-5700 का वेतनमान अनुमन्य नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद एटा की ग्राम सभा मोहिनी में मुस्लिम बाहुल्य कोटे में स्वीकृत प्राइमरी विद्यालय के स्थान परिवर्तन हेतु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

137-श्री नेतराम सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि एटा जिले के विकास खण्ड कासगंज के ग्राम मामूरंज ग्राम सभा मोहिनी में दिनांक 22-2-95 को मुस्लिम बाहुल्य कोटे में स्वीकृत प्रथम विद्यालय प्राइमरी पाठशाला दिनांक 18-10-96 को गाटा

संख्या-1769/10 डेसीमल पर विद्यालय भवन निर्माण के आदेश हुये थे ? क्या यह कार्य प्रारम्भ हुआ था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त आदेश को रोककर अब विकास खण्ड मारहश तहसील एटा के ग्राम हसनपुर के गाटा संख्या 89 पर निर्माण के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो ग्राम सभा अथवा विकास क्षेत्र बदलने का क्या कारण है ? इन दोनों भवनों पर अलग-अलग कितना व्यय हुआ ? क्या इसके लिये दोषी अधिकारी के खिलाफ सरकार ने कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उप परियोजना प्रबन्धक उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम इकाई द्वितीय लखनऊ के विरुद्ध चल रही जांच को शीघ्र पूर्ण कर कार्यवाही की मांग

138-श्री श्रीराम सोनकर, श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा तथा श्री छब्बू पटेल-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि उप परियोजना प्रबंधक उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम इकाई द्वितीय, लखनऊ (श्री एच0 के0 चौहान) के विरुद्ध विभागीय कार्यों में किये गये लाखों रुपयों के घपले की कई जांचे चल रही हैं ? यदि हां, तो जांचों में क्या प्रगति है ? क्या सरकार जांच शीघ्र पूरी कराकर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

प्राप्त शिकायतें परीक्षणाधीन हैं । तथ्यों की जानकारी की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नही उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड रायपुर में बनाये गये विद्युत सब स्टेशन की लागत एवं क्षमता की जानकारी

139-श्री राजेन्द्र सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून जनपद में रायपुर विकास खण्ड के अन्तर्गत थानों (रामनगर डांडा) में बनाया गया विद्युत सब स्टेशन कितनी लागत में बना है ? इसमें कितने कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त सब स्टेशन से कितने ग्रामों को विद्युत आपूर्ति की जा रही है ?

सुश्री मायावती-

देहरादून जनपद के विकास खण्ड रायपुर के अन्तर्गत थानों (रामनगर टांडा) परिचालक-रहित विद्युत उपसंस्थान रुपये 18,83,184.83 की लागत से निर्मित किया गया था ।

1-अवर अभियन्ता 1

2-लाइन मैन 1

स्वचालित स्विचगियर में निर्माण के तुरन्त बाद तकनीकी खराबी आ जाने के कारण वर्तमान में इस उपकेन्द्र से किसी भी ग्राम की विद्युत आपूर्ति नहीं की जा रही है ।

श्री विनोद मणि, स0वि0स0 द्वारा परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ के विरुद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित दिये गये पत्र पर जांच

140-श्री रामहर्ष सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विनोद मणि, सदस्य विधान सभा फरेन्दा, महराजगंज का दिनांक 21-4-97 का पत्र जो प्रमुख सचिव, लोक निर्माण, उ0प्र0 शासन को संबोधित था, और जो एस0 के0 त्रिवेदी, परियोजना प्रबन्धक उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लखनऊ के भ्रष्टाचार के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो आरोपों की जांच किस अधिकारी से कराई गई है ? क्या सरकार जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

जी हां ।

आरोपों की जांच प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ, लोक निर्माण विभाग से कराई जा रही है । जांच रिपोर्ट अप्राप्त है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़ में 132 के0वी0 विद्युत सब स्टेशन के निर्माण की मांग

141-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद पिथौरागढ़ में 132 के0वी0ए0 का विद्युत सब स्टेशन खोले जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कब तक खोला जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां ।

परिषद् की कठिन आर्थिक स्थिति के कारण इस विद्युत उप-केन्द्र के निर्माण पूर्ण करने की कोई समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा में पूर्वांचल विकास निधि योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि एवं मानक के अनुरूप कार्य

142-श्री राम विशुन आजाद-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के नगर पंचायत मनकापुर में पूर्वांचल विकास निधि योजना में वर्ष 1993-94, 1994-95 में त्वरित राहत पेयजल योजना में शासन द्वारा कितना धन स्वीकृत किया गया था ? क्या अधिशासी अभियन्ता द्वितीय निर्माण शाखा जल गोण्डा द्वारा मानक के अनुसार निर्माण कार्य नहीं करवाया गया है ? क्या यह भी सही है कि प्राक्कलन से हटाकर भी कुछ कार्य करवाया है जो प्राक्कलन में स्वीकृत नहीं है ? यदि हां, तो शासन ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है ? क्या इस परियोजना के संबंध में एक शिकायती-पत्र 26-11-96 जो परियोजना निदेशक ग्राम विकास अभिकरण गोण्डा को दिया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लालजी टण्डन-

वर्ष 1993-94 व 1994-95 में कुल रू0 11.512 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई थी।

कार्य अधिशासी अभियंता द्वितीय निर्माण शाखा, द्वारा नहीं कराया गया है, बल्कि जो भी कार्य हुये हैं वे अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उ0प्र0 जलनिगम, गोण्डा द्वारा मानक के अनुसार कराये गये हैं।

जी नहीं। प्राक्कलन में अंकित एवं स्वीकृत कार्य ही कराये गये हैं।

उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के द्वारा जांचोपरान्त शिकायत संज्ञान योग्य नहीं पाई गई।

जनपद गोण्डा की विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में अम्बेडकर गांवों के सम्पर्क मार्गों का विद्युतीकरण किये जाने की मांग

143-श्री राम विशुन आजाद-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मनकापुर जि0 गोण्डा के सभी अम्बेडकर ग्रामों के सम्पर्क मार्गों का ऊर्जीकरण कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि अम्बेडकर ग्रामों के सम्पर्क मार्गों का ऊर्जीकरण न करके अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता ने मिलकर दूसरे ग्रामों का ऊर्जीकरण किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार जांच करवाकर दोषी लोगों को दण्डित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती-

अम्बेडकर ग्रामों के सम्पर्क मार्गों के ऊर्जीकरण की कोई कार्य योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अनुसचिवीय सेवा नियमावली के प्रख्यापन में विलम्ब का औचित्य

144-श्री छब्बू पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अनुसचिवीय सेवा नियमावली (राजपत्रित पदों) प्रख्यापित हो चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

प्रख्यापन की प्रक्रिया में विभिन्न विभागों से परामर्श प्राप्त करने में लगे समय के कारण प्रख्यापित नहीं हो पाई। कार्यवाही की जा रही है।

जिला इटावा के ग्राम कुतुबपुर की अनुसूचित जाति बस्तियों में बिजली उपलब्ध कराये जाने की मांग

145-श्रीमती उर्मिला देवी-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि ग्राम कुतुबपुर तहसील व ब्लाक भर्थना जिला इटावा की अनुसूचित जाति बस्तियों में बिजली उपलब्ध कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां ।

वर्तमान में शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार यह ग्राम अम्बेडकर ग्राम की परिभाषा में नहीं आता है । भविष्य में शासन की नीति के अनुसार इस ग्राम का विद्युतीकरण जिलाधिकारी द्वारा चयन किये जाने पर एवं राज्य सरकार द्वारा वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने पर सम्भव होगा । अतः संदर्भित ग्राम के विद्युतीकरण हेतु कोई समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

146-श्री राम हर्ष सिंह-

(चौथे बुधवार में अता0प्र0सं0 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

मुख्य अभियन्ता उ0प्र0 रा0 विद्युत परिषद् द्वारा मंत्रियों एवं प्रमुख सचिव ऊर्जा के लिये कथित सामानों की खरीद

147-श्री बाबूराम तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0रा0 विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (जनपद) वितरण, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ द्वारा जून, 1992 से मई, 1995 के मध्य कौन-कौन सा समान माननीय मंत्रियों/प्रमुख सचिव (ऊर्जा) के अधीन अधिकारियों के उपयोग हेतु खरीदे गये ? क्या मंत्री जी उसकी सूची सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्रय किये गये सामानो को मेजरमेन्ट बुक में दर्ज किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जून, 1992 से मई, 1995 के मध्य माननीय मंत्रियों/प्रमुख सचिव (ऊर्जा) के अधीन अधिकारियों के उपयोग हेतु इस संगठन से कोई सामान क्रय नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् में इक्वेटर संगठन द्वारा पिछले तीन वर्षों में की गई जांच एवं उन पर कृत कार्यवाही की जानकारी की मांग

148-श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत इक्वेटर संगठन द्वारा पिछले तीन वर्षों में कुल कितनी जांचे की गई ? आर्थिक/प्रशासकीय अनियमितता के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई ? ऐसे कितने मामले अध्यक्ष, उ0प्र0, रा0वि0प0 के स्तर पर लम्बित है ?

सुश्री मायावती-

सूचना एकत्र की जा रही है।

शाहजहांपुर में प्रस्तावित शहीद पार्क के निर्माण कराये जाने की मांग

149-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि शाहजहांपुर में शहीद पार्क का निर्माण पिछले 5 वर्ष से होना प्रस्तावित है परन्तु अभी तक नहीं हो सका? निर्माण कब तक प्रारम्भ हो जायेगा?

श्री लालजी टण्डन-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद हरदोई की नगरपालिका सण्डीला में बस स्टेशन से इमलिया तक जीर्ण शीर्ण सड़क की मरम्मत हेतु अनुदान की मांग

150-श्री शिवशंकर-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर पालिका सण्डीला, हरदोई में बस स्टेशन से इमलिया बाग तक जाने वाली सड़क अत्यन्त जीर्ण शीर्ण हो गई है जिससे नागरिकों को अत्यन्त असुविधा हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत कराये जाने हेतु विशेष अनुदान देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लालजी टण्डन-

जी हां।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में रु0 6.00 लाख का साधारण सड़क अनुदान स्वीकृत किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के कस्बा संडीला में प्राथमिक विद्यालयों में अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत अध्यापकों के स्थानान्तरण की नीति

151-श्री शिव शंकर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर क्षेत्र संडीला जिला हरदोई में प्राथमिक विद्यालयों में कितने ऐसे अध्यापक/अध्यापिकायें हैं जिनको एक ही विद्यालय में शिक्षण कार्य करते हुये 15 वर्षों से अधिक समय हो गये हैं? शासन की स्थानान्तरण नीति के अनुसार जिन अध्यापक/अध्यापिकाओं को 15 वर्षों से अधिक एक ही विद्यालय में हो गये हैं, उनका स्थानान्तरण किये जाने का आदेश सरकार देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

नगर क्षेत्र सण्डीला हरदोई के प्राथमिक विद्यालयों में 4 प्रधानाध्यापक 25 सहायक अध्यापक 15 वर्षों से अधिक अवधि से एक ही विद्यालयों में कार्यरत हैं।

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् के नियंत्रणाधीन प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु निर्धारित स्थानान्तरण/समायोजन नीति में अध्यापकों के एक विद्यालय में अधिकतम ठहराव की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

अशासकीय महाविद्यालयों तथा इण्टर कालेजों में सेवानिवृत्त शिक्षकों को बैंक द्वारा पेंशन भुगतान

152-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अशासकीय महाविद्यालय तथा इण्टर कालेजों के सेवानिवृत्त शिक्षकों की कठिनाई को देखते हुये उनके पेंशन का भुगतान बैंकों द्वारा कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी हां ।

शासनादेश संख्या/इ-11/2601/दस-1996 दिनांक 27-11-96 द्वारा आदेश जारी किये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित मेसर्स दीपा इंजीनियरिंग वर्क्स लाल डिग्री, सुल्तानपुर द्वारा कराये गये कार्यों के भुगतान से सम्बन्धित कार्यवाही

153-श्री तेजभान सिंह -

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31-3-95 तथा 10-7-96 जो अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, लखनऊ को सम्बोधित और मेसर्स दीपा इंजीनियरिंग वर्क्स लाल डिग्री, सुल्तानपुर द्वारा कराये गये कार्यों के भुगतान के संबंध में है, अध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद् के पत्रांक 1029/बी0आई0पी0-96 दिनांक 16-7-96 द्वारा सदस्य वितरण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं ? भुगतान कब तक सुनिश्चित कर दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती -

जी हां ।

प्राक्कलन समिति में प्राविधान से अधिक व्यय हो जाने के कारण ।

प्रकरण का निस्तारण वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर कर दिया जायेगा ।

154-श्री तेजभान सिंह -

(पांचवें सोमवार में अता0प्र0सं0 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

प्रदेश के बौद्ध पर्यटक स्थलों के विकास हेतु चयनित स्थानों में जनपद फर्रुखाबाद स्थित संकिसा का भी चयन

155-श्री राम औतार शाक्य-

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के बौद्ध पर्यटक स्थलों के विकास हेतु चयनित करते समय संकिसा जनपद फर्रुखाबाद का बौद्ध पर्यटक स्थल को विकास हेतु चयनित न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री कलराज मिश्र-

बौद्ध पर्यटक स्थलों के विकास हेतु चयनित करते समय संकिसा (फर्रुखाबाद) का चयन किया गया है और संकिसा में पर्यटन विभाग द्वारा 50 शैय्याओं के पर्यटक आवास गृह का निर्माण कराया जा चुका है ।

वर्ष 1998 में हरिद्वार कुम्भ मेले में कार्यरत सरकारी सेवकों को वेतन का 20 प्रतिशत मेला भत्ता दिये जाने की मांग

156-श्री अम्बरीष कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व अर्द्धकुम्भ 1980 तथा कुम्भ 1986 की भांति हरिद्वार मे कार्यरत सभी राज्य कर्मचारियों स्वायत्तशासी निकायों तथा निगमों एवं शिक्षा संस्थाओं, राज्य सहायता प्राप्त कर्मचारियों को 1998 मे कुम्भ मेला काल में वेतन का 20 प्रतिशत मेला भत्ता दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन-

कुम्भ मेला हरिद्वार-1998 में कर्मचारियों को मेला भत्ता दिये जाने के प्रस्ताव पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ।

सचिवालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी धुलाई में बढ़ोत्तरी किये जाने की मांग

157-श्री पारसनाथ यादव-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान समय में सचिवालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी धुलाई का भत्ता कितना दिया जाता है ? क्या सरकार मंहगाई को देखते हुये वर्दी धुलाई भत्ता बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

रु0 12.00 (बारह रुपये मात्र) प्रति कर्मचारी प्रतिमाह ।

वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करते समय इस संबंध में विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

टिकैतराय एल0डी0ए0 कालोनी लखनऊ, फेज-3 में हनुमान मंदिर के सामने बने पार्क में सफाई एवं लाइट व्यवस्था

158-श्री पारस नाथ यादव-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि टिकैतराय एल0डी0ए0 कालोनी लखनऊ, फेज-3 में हनुमान मंदिर के सामने बना पार्क अविकसित है ? यदि हां, तो सरकार उक्त पार्क की सफाई कराने एवं उसके पास लाईट की व्यवस्था कराने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन-

जी नहीं ।

योजना के सामान्य अनुरक्षण के अन्तर्गत सफाई का कार्य किया जाता है । सफाई और लाईट व्यवस्था का कार्य कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर स्थित पावर हाउस कालोनी, सब स्टेशन आदि स्थानों पर बाहरी व्यक्तियों द्वारा किये गये अवैध कब्जों को हटाये जाने की मांग

159-श्री जय प्रकाश, श्री राम नरेश रावत तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 रा0वि0प0 के अन्तर्गत गोरखपुर स्थित पावर हाउस की कालोनी, सब स्टेशन पर एवं पुराने पावर हाउस कालोनी के किन-किन

आवासों पर बाहरी व्यक्तियों/कर्मचारियों द्वारा अवैध कब्जा किया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि किन-किन श्रमिक संगठनों/संघ द्वारा अवैध कब्जा कर अनाधिकृत रूप से पक्की इमारतें खड़ी कर दी गई हैं ? यदि हां, तो अवैध कब्जा हटाने के क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

सुश्री मायावती-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

160-श्री अम्बरीष कुमार-

(दो विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त)

जनपद बस्ती में वर्ष 1991-92 से 1997 तक खुले विद्यालयों एवं उनके भवन निर्माण से संबंधित जानकारी

161-श्री सुखपाल पाण्डेय-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत वर्ष 1990-91 में वर्ष 1997 तक कितने विद्यालय खुले हैं ? उनमें से कितने विद्यालय का निर्माण हो चुका है ? कितने विद्यालय निर्माण होने के लिये बाकी हैं ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

जनपद बस्ती में वर्ष 1990-91 से वर्ष 1997 तक खोले गये विद्यालयों तथा उनके भवन निर्माण की स्थिति निम्न प्रकार है:-

प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय
299	33
280	27
19	06

जनपद महराजगंज की नगर पंचायत सिसवा बाजार में नगर अध्यक्ष के कतिपय क्रिया कलापों से संबंधित दिये गये पट्टा पर जांच

162-श्री दीप लाल भारती-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर पंचायत सिसवा बाजार जनपद महराजगंज के नगर अध्यक्ष द्वारा प्रतिबन्ध के बावजूद नई नियुक्ति करने, बिना बोर्ड के प्रस्ताव के भुगतान करने, नीलामी, पट्टा सीधे बिना प्रशासनिक स्वीकृति दे देने से भारी मिति क्षति न होने पाये माननीय सदस्यों ने दिनांक 19-3-97 को शासन को 21 बिन्दु की शिकायत देकर जांच की मांग की थी, जांच न किये जाने पर दिनांक 7-5-97 को भी सभासद एवं कर्मचारियों ने 18 बिन्दु की शिकायत के साथ जिलाधिकारी महोदय को क्रमिक अनशन करने की सूचना दी थी, जांच के अभाव में कर्मचारियों ने दिनांक 26-5-97 से क्रमिक अनशन प्रारम्भ किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार नगर प्रमुख के विरुद्ध जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन-

जी नहीं । नगर पंचायत सिसवा बाजार जनपद महराजगंज के सभासदों का 21 सूत्रीय मांग पत्र दिनांक 19-3-97 प्राप्त नहीं हुआ है बल्कि उनका 21 सूत्रीय मांग-पत्र दिनांक 13-3-97 प्राप्त हुआ है ।

जी हां ।

जी हां । कर्मचारियों ने दिनांक 26-5-97 से क्रमिक अनशन प्रारम्भ किया जो दिनांक 30-5-97 को समाप्त हो गया ।

अध्यक्ष, नगर पंचायत, सिसवा बाजार जनपद महराजगंज के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच कराई जा रही है ।

ग्राम उसरी से जोत तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत शीघ्र कराये जाने की मांग

163-श्री मुरलीधर-

विधान सभा के 1994 के द्वितीय सत्र के प्रथम सोमवार को उत्तरित अ0प्र0सं0 176 के उत्तर के क्रम में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् 87, 88 में सड़क का निर्माण केवल मिट्टी व गिट्टी से ही हुआ और वह भी वर्षा से काफी क्षतिग्रस्त हो गई ? अग्रेतर कार्य की स्वीकृति न होने के कारण सड़क की मरम्मत न हो पाने से सरकारी धन की कितनी क्षति हुई ? क्या सरकार अब इस सड़क की मरम्मत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

ग्राम उसरी से जोत के लिये बनी सड़क पर मिट्टी से पत्थर की सोलिंग स्तर तक का कार्य, वर्ष 84-85 में सेक्टोरियल आर0एल0ई0जी0पी0 योजना के अन्तर्गत, स्वीकृत हुआ था जो वर्ष 87-88 में पूर्ण हुआ । ऊसर क्षेत्र होने के कारण वर्षा से गत वर्षों में मिट्टी व गिट्टी काफी क्षतिग्रस्त हो गई है ।

सरकारी धन की कोई क्षति नहीं हुई ।

संसाधनो की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देहरादून के कस्बा डोईवाला में डिग्री कालेज खोले जाने की अनुमति

164-श्री राजेन्द्र सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि देहरादून जनपद के डोईवाला में डिग्री कालेज खोलने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त कालेज कब तक खोलने की स्वीकृति दे दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी हां ।

महाविद्यालय खोले जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महराजगंज डिवीजन में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत नये एवं पुराने कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि एवं व्यय विवरण

165-श्री अमर मणि-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग महराजगंज डिवीजन में इस वर्ष कुल कितने नये कार्यो की स्वीकृति मिली ? कितने पुराने कार्यों के लिये धन प्राप्त हुआ ? मरम्मत कार्य पर कितना धन प्राप्त हुआ ? कुल

कितना धन महराजगंज लोक निर्माण विभाग को प्राप्त हुआ ? नये पुराने तथा भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्यों पर कितना-कितना खर्च हुआ ? क्या सरकार उन सभी कार्यों की टी0ए0सी0 द्वारा जांच कराकर सत्यापन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

महराजगंज डिवीजन में इस वर्ष सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत कुल 5 नये कार्यों की स्वीकृति मिली है ।

कुल 3। कार्यों के लिये धन प्राप्त हुआ है ।

मरम्मत कार्य पर 32.30 लाख रुपये का धन प्राप्त हुआ ।

कुल रु0 ।89.57 लाख की धनराशि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग महराजगंज को प्राप्त हुई ।

नये कार्यों पर व्यय--शून्य

भिन्न-भिन्न पुराने कार्यों पर व्यय (लाख रुपये में) विवरण निम्नवत् है :-

।-जिला योजना (सामान्य)	2.28
2-जिला योजना (स्पेशल कम्पोनेंट प्लान)	7.88
3-पूल्ड आवास का निर्माण	।.84
4-प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र निचलौल के भवन का निर्माण	0.40
5-पूर्वांचल विकास निधि के कार्य	।.5।
6-मार्गों के सामान्य मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य	।.90
योग :	15.81

प्रथम दृष्ट्या कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महराजगंज के कस्बा लक्ष्मीपुर, कोल्हुई तथा सोनौली को टाउन एरिया का दर्जा प्रदान किये जाने की मांग

।66-श्री अमर मणि-

क्या सरकार को जानकारी है कि लक्ष्मीपुर, कोल्हुई, सोनौली जनपद महराजगंज में बैंक ब्लाक बस अड्डा, अस्पताल थाना इत्यादि समस्त विकास के आवश्यक आवश्यकतायें पूरी हैं परन्तु टाउन एरिया के अभाव में बाजारों का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार लक्ष्मीपुर, कोल्हुई, सोनौली को यथाशीघ्र टाउन एरिया का दर्जा प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन-

जी हां ।

मानक पूर्ण न होने के कारण नगर पंचायत का दर्जा दिया जाना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महराजगंज के कस्बा कोल्हुई में विद्युत सब स्टेशन खोले जाने की मांग

।67-श्री अमर मणि-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोल्हुई जनपद महराजगंज में विद्युत सब स्टेशन खोलने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब इसका निर्माण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कोल्हुई के विद्युत भार कम होने के कारण तकनीकी दृष्टिकोण से 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र बनाने की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद सिद्धार्थनगर में कोहडौरा से सोहना के मध्य पिच रोड तोड़कर पुर्ननिर्माण की मांग

168-श्री अमर मणि-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील इटवा में लो0नि0वि0 को कोहडौरा से बदलिया पर कोहडौरा-सोहना के मध्य पिच तोड़कर फिर से बनाने का आदेश हुआ था जो मौके पर कई जगह तोड़ दिया गया है ? क्या सरकार इसको बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बादशाहनगर स्थित कालोनी में निर्मित आवासों को सचिवालय में कार्यरत कर्मियों को आवंटित किये जाने की मांग

169-श्री शिव शंकर-

क्या मुख्य मंत्री को यह जानकारी है कि बादशाह नगर स्थित नई कालोनी का निर्माण इस शर्त पर हुआ था कि निर्मित आवास केवल सचिवालय के कर्मचारियों को ही आवंटित किये जायेंगे और इसी आधार पर निर्मित आवासों को शासनादेश संख्या आर-8495/32-82/115, एच0-82 दि0 20-8-82 द्वारा पहले केवल सचिवालय कर्मियों को आवंटित किया गया था ? यदि हां, तो अब किस आधार पर ब्लाक नं0 । व 2 व 3 में सचिवालय के बाहर के कर्मचारियों को आवास आवंटित किये गये हैं या किये जा रहे हैं ? क्या मंत्री जी इसकी जांच करवाकर इन आवंटनों को निरस्त करने की कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

वर्णित शासनादेश दि0 20-8-82 द्वारा केवल सचिवालय कर्मियों को ही आवास आवंटित किये गये थे।

विशेष परिस्थितियों में सचिवालय के बाहर के कतिपय कर्मचारियों को आवास आवंटित किये गये हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ नगर निगम की सीमा में स्थित ग्राम बरावन कला में वाटर पाइप लाइन बिछाने की मांग

170-श्री सुशील शाक्य--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ जनपद के ग्राम बरावन कला नगर निगम की सीमा में है ? यदि हां, तो क्या सरकार पीने के पानी जैसी

मूलभूत समस्या के निराकरण हेतु उक्त क्षेत्र में वाटर पाइप लाइन बिछाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन-

जी हां ।

वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर ।

उपरोक्तानुसार ।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् गोरखपुर क्षेत्र द्वारा अम्बेडकर गांवों का विद्युतीकरण कराये जाने से हुये व्यय की जानकारी की मांग

।7। - श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मु0आ0 (गोरखपुर क्षेत्र) में वर्ष ।995 से मई ।997 के मध्य जिलेवार कितने अम्बेडकर ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया ? इन पर कुल कितना धन व्यय हुआ ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इनमें से कुल कितने ग्रामों का विद्युतीकरण परिषद् द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत वर्ष ।993 के पूर्व ही कर दिया गया था ? क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति की बस्तियों का विद्युतीकरण पहले ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के तहत 3।-3-92 तक कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या इन्हीं बस्तियों का पुनः विद्युतीकरण अम्बेडकर ग्राम परियोजना के तहत किया जा रहा है ? क्या एक ही कार्य के दोहरे भुगतान की जांच कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विद्युत वितरण खण्ड देवरिया में कार्यरत कुल कर्मियों की संख्या एवं अन्य विवरण

।72-श्री राम नरेश रावत तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड देवरिया में विभिन्न कर्मचारियों के अलग-अलग कुल कितने पद स्वीकृत हैं और कितने कार्यरत हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि 7/96 में कितने मीटर रीडर को एस0एस0ओ0 बनाया गया ? कितने एस0एस0ओ0 को मीटर रीडर बनाया गया ? इसके लिये परिषदीय आदेश क्या था ? क्या यह सही है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ बेंच ने कार्य परिवर्तन पर रोक लंगा दी थी ? यदि हां, तो परिषदीय आदेश के अनुपालन न करने वाले अधिशासी अभियन्ताओ, के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड, देवरिया में अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वीकृत/कार्यशील पदों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

माह 7/96 में ।0 मीटर रीडर (अब तकनीशियन ग्रेड-2 पदनामित) को एस0एस0ओ0 (अब तकनीशियन ग्रेड-2 पदनामित) का कार्य आवंटित किया गया । तथा ।0 एस0एस0ओ0 को मीटर रीडर का कार्य आवंटित किया गया ।

परिषदीय संख्या 2।9।-अरा0-09/राविप/96, दिनांक 30-5-96 की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है ।

जी हां ।

किसी अधिशासी अभियंता द्वारा परिषदीय आदेश के अनुपालन न किये जाने का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डायमण्ड डेरी कालोनी लखनऊ में कतिपय आवासों की मरम्मत कराय जाने के फलस्वरूप हुई व्यय धनराशि एवं अध्यासियों से वसूल किराया

'173-श्री रंगनाथ मिश्र-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि डायमण्ड डेरी कालोनी लखनऊ के आवास संख्या-ई0 डी0-4। एवं ई0डी0-25 में मरम्मत एवं निर्माण कार्यों पर कितनी-कितनी धनराशि का व्यय किया गया है ? क्या इसके फलस्वरूप उसके अध्यासियों का किराया वित्तीय नियमों के अनुसार बढ़ाया गया है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ? उसके लिये कौन दोषी है ? यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

सुश्री मायावती-

जी हां, विगत तीन वर्षों में आवास संख्या-ईडी0-4। में विशेष मरम्मत मद में रु0. 25,300/- तथा मूल कार्य में शून्य धनराशि व्यय की गई, जबकि ई0डी0-25 में विशेष मरम्मत मद में रु0 .12,200/- तथा मूल कार्य में रु0 52,450/- व्यय किया गया ।

जी हां ।

मात्र मूल कार्य मद में ही किराया वृद्धि का प्राविधान है । अतः ई0डी0-4। को किराया वृद्धि शून्य है, जबकि ई0डी0 25 में प्रतिमाह रु0 372.50/-किराया वृद्धि निर्धारित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां, राज्य सम्पत्ति निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार किराया वृद्धि सहित बिल भेजे जा रहे हैं । ई0डी-4। के अध्यासी द्वारा फरवरी, 97 तक नियमित भुगतान किया गया । ई0डी0-25 पर 6/97 तक रु0 22,261.15 धनराशि अवशेष है, जिसकी वसूली की कार्यवाही विहित प्राधिकारी न्यायालय के निर्णय की अवज्ञा की स्थिति में जिलाधिकारी लखनऊ के माध्यम से भू-राजस्व की वसूली की प्रक्रिया को भांति की जा रही है ।

मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज गोरखपुर के बोर्ड के चेयर मैन पद पर मु सचिव का नामांकन

'174-श्री शिव प्रताप शुक्ल-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मदन मोहन मालवी इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के बोर्ड के चेयर मैन मुख्य मंत्री थे ? क्या उन्हें उक्त से हटा दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी हां ।

मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के पुराने मेमोरेण्डम आफ एसोसियेशन के संविधान में यह प्राविधान था कि चेयरमैन-मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश

अथवा मुख्य मंत्री जी की सहमत से नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति" । इस प्राविधान के अधीन परिषद् के चेयरमैन पद से मुख्य मंत्री हो हटाया नहीं गया है बल्कि मुख्य मंत्री जी ने स्वयं प्रशासकीय परिषद् के अध्यक्ष पद पर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को दिनांक 05 अगस्त, 1982 से नामित कर दिया है । तद्नुसार ही संस्था के मेमोरेण्डम आफ एसोसियेशन" सोसायटी रूल्स एवं सोसाइटी बाइलाज को संशोधित कर लिया गया है ।

लखनऊ नगर निगम के मेकेनिकल लोडर के ड्राइवर की लापरवाही से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को सेना में लिये जाने की मांग

175-श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1996 में लखनऊ नगर निगम के मेकेनिकल लोडर के ड्राइवर की लापरवाही से कुल कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ? क्या मंत्री जी मान्यता के आधार पर मृतक के बेसहारा आश्रितों को नौकरी प्रदान करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस संबंध में बेसहारा महिलाओं के कितने प्रार्थना-पत्र वर्ष 1996 में नगर प्रमुख, मुख्य नगर अधिकारी, लखनऊ नगर निगम को प्राप्त हुये और उन पर मई, 1997 तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लालजी टण्डन-

वर्ष 1996 में लखनऊ नगर निगम में मैकेनिकल लोडर से हुई दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी । जिसमें मैकेनिकल लोडर के चालक की लापरवाही से नहीं बल्कि मृतक के मोपेड के पत्थर से टकरा कर असंतुलित होकर गिर जाने से दुर्घटना हुई थी ।

नियमानुसार संभव नहीं है ।

ऐसे मृतक के बेसहारा आश्रितों को नौकरी दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है । केवल एक बेसहारा महिला का प्रार्थना-पत्र वर्ष 1996 में प्राप्त हुआ । उस पर तत्कालीन मुख्य नगर अधिकारी, द्वारा मृतक की विधवा को नगर निगम, लखनऊ में लिपिक पद पर नियुक्ति, नियमों में प्राविधान न होने के कारण संभव नहीं पाई गई ।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् गोरखपुर क्षेत्र द्वारा छटनी शुदा मस्टर रोल कर्मियों को सेवा में लिये जाने की मांग

176-श्री बाबूराम तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 रा0वि0प0 के अंतर्गत मु0अ0 (गोरखपुर क्षेत्र) में वर्ष 1980 से 1990 के मध्य कुल कितने मस्टर रोल कर्मी की छटनी की गई ? कितनों को वर्ष 1989-90 के मध्य पुनः सिविल संस्था में समायोजित किया गया है ? क्या यह सही है कि वर्ष 1989-90 में सिविल संस्था द्वारा 300 से अधिक मस्टर रोल कर्मियों को समायोजित किया गया ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि छंटनी शुदा मस्टर रोल कर्मियों को नहीं लिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ? क्या छटनी शुदा मस्टर रोल कर्मियों को पहले समायोजित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजकीय प्राविधिक विद्यालय आजमगढ़ द्वारा श्री राम नगीना सिंह की भूमि का अधिग्रहण करने के करण उनके पुत्र को सेवा में लिये जाने की मांग

177-श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ राजकीय प्राविधिक विद्यालय द्वारा अधिग्रहीत भूमि के बदले में श्री राम नगीना सिंह पुत्र श्री हरिवंश सिंह ग्राम व पोस्ट हीरा पट्टी, आजमगढ़ को नौकरी नहीं दी गई ? क्या यह सही है कि भूमि अधिग्रहण के बदले में 193 में राजकीय पालीटेक्निक मिर्जापुर में श्री अवधेश प्रसाद सिंह पुत्र श्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह को नौकरी प्रदान की गई है ? क्या मंत्री जी उनको नियुक्ति किये जाने का आदेश प्रदान करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी हां । नौकरी नहीं दी गई ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

राजकीय प्राविधिक विद्यालय/राजकीय पालीटेक्निक, आजमगढ़ के लिये भी श्री राम नगीना सिंह के पिता श्री हरिवंश सिंह की भूमि वर्ष 1963 में अधिगृहीत की गई थी। श्री राम नगीना सिंह की जन्म तिथि 11-9-74 है। जिससे स्पष्ट है कि श्री राम नगीना सिंह भूमि अधिग्रहण के समय भूमि विस्थापित परिवार के सदस्या आश्रित नहीं थे तथा भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को नौकरी देने की व्यवस्था नियमों में नहीं है।

उ0प्र0 सचिवालय लिपिक संवर्गीय नियमावली, 1942 के प्रख्यापन के संबंध में जानकारी

178-श्री दीपालाल भारती-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस समय उ0प्र0 सचिवालय लिपिक संवर्गीय नियमावली, 1942 का संशोधन कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो उक्त संशोधित नियमावली का प्रख्यापन कब तक कर दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं । उ0प्र0 सचिवालय लिपिक संवर्गीय कर्मचारीवर्ग सेवा नियमावली, 1942 में संशोधन नहीं अपितु इसके स्थान पर नयी नियमावली के प्रख्यापन की कार्यवाही प्रचालित है।

प्रस्तावित नयी नियमावली का प्रख्यापन इसके विधीक्षण एवं उस पर लोक सेवा आयोग की सहमति तथा मा0 मंत्रि-परिषद् का अनुमोदन प्राप्त हो जाने पर किया जा सकेगा।

जनपद सीतापुर में अम्बेडकर निवास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम शाहजहांपुर को पक्की सड़क से जोड़े जाने की मांग

179-श्री श्याम लाल रावत-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जनपद के विकास खण्ड सिधौली में अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 के लिये चयनित

ग्राम पंचायत शाहजहांपुर को पक्की सड़क से जोड़ने के लिये कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो पक्की सड़क बनाने का कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

जी नहीं । यह मार्ग अभी किसी भी योजना-में स्वीकृत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यह मार्ग किसी योजना में स्वीकृत नहीं है ।

गोरखपुर में स्वच्छकार विमुक्ति योजना में वर्ष 1992 से 1996 के मध्य किये गये घोटाले के संबंध में कृत कार्यवाही की जानकारी की मांग

180-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि गोरखपुर में स्वच्छकार विमुक्ति योजना में वर्ष 1992 से 1996 के बीच अनियमितता की जांच के लिये गठित टीम ने लगभग 5 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश किया है । यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा पुलिस रेडियो विभाग में कार्यरत कर्मियों को प्रदेश सरकार के अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की भांति आवास आवंटन की मांग

181-श्री नन्दराम-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा पुलिस रेडियो विभाग में कार्यरत कर्मचारियों प्रदेश सरकार के अन्य विभागों के कर्मचारियों की भांति समान किराये पर आवास आवंटित न करके दो गुने फ्लैट रेण्ट पर आवास आवंटित किया जा रहा है ? यदि हां, तो इस असमानता का आधार क्या है ? क्या सरकार इस असमानता को दूर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

शासन की यह नीति है कि जिन विभागों के पास आवासीय पूल बनाने हेत पृथक से प्राविधान हैं, उनके द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन आने वाले आवासों का आवंटन न किया जाय, किन्तु चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को राज्य सम्पत्ति विभाग के आवासों के आवंटन में कोई प्रतिबन्ध लागू नहीं है ।

इस बात की छानबीन की जा रही है कि पुलिस रेडियो विभाग के कुल कितने चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को दो गुने फ्लेट रेन्ट पर राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवास आवंटित किये गये हैं । पूर्ण जानकारी हो जाने पर इस असमानता को दूर करने के संबंध में नियमानुसार विचार कर शीघ्र निर्णय लिया जायेगा ।

लखनऊ नगर निगम में स्थित भिलांवा के श्री झिनकन के अतिरिक्त अन्य लोगों द्वारा नजूल भूमि पर किये गये अवैध निर्माण के संबंध में कृत कार्यवाही की जानकारी

182-श्री महेन्द्र कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर निगम के तहसीलदार द्वारा दिनांक 5-5- 7 को थानाध्यक्ष कृष्णानगर आलमबाग, लखनऊ का श्री झिनकन पुत्र स्व0 श्री बन्हा निवासी मकान नं0-55ख/5 जो विशेश्वर नगर आलमबाग, लखनऊ के निर्माण कार्य रोकने के संबंध में पत्रांक सं0 138/का0तह0/97 भेजा गया ? यदि हां, तो मौजा भिलावां जिला, लखनऊ बन्दोबस्त सन् 1332 फसली के अनुसार खसरा संख्या 664 की कुल भूमि कितने वर्ग फिट है और उस पर किन-किन लोगों के अवैध निर्माण हैं तथा उनके नाम और पते क्या हैं ? क्या श्री झिनकन पुत्र स्व0 श्री बन्हा के अतिरिक्त प्रश्नगत भूखण्ड पर रह रहे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गई हैं ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा किस दिनांक को ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन-

जी नहीं ।

संदर्भित पत्र दिनांक 15-5-97 को भेजा गया है ।

खसरा संख्या 664 की कुल भूमि 1,37,461 वर्ग फुट है जिसमें से 15 बिस्वा भूमि नगर निगम की है, जिस पर 4 व्यक्तियों के अवैध कब्जे हैं, जिनके नाम और पते निम्नवत् हैं :-

1-श्री कल्याण सिंह पुत्र श्री रघुनाथ सिंह

2-श्री झिनकन पुत्र श्री बन्हा

3-श्री जाकिर हुसैन पुत्र श्री शहजादे

4-श्री एस0के0 सिंह पुत्र श्री आर0एन0सिंह यह चारो व्यक्ति विशेश्वर नगर, आलमबाग लखनऊ के निवासी हैं । शेष भूमि निजी स्वामित्व की है, जिन पर विभिन्न व्यक्तियों के भवन आदि बने हैं ।

जी हां ।

श्री झिनकन पुत्र श्री बन्हा के अतिरिक्त इस भूखण्ड, जो नगर निगम में निहित है, पर रह रहे लोगों के अतिक्रमणों के विरुद्ध उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122 बी के अन्तर्गत बेदखली के वाद दायर किये गये हैं ।

तहसीलदार नगर निगम, लखनऊ द्वारा दिनांक 20-5-1997 को ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद खीरी में ब्लाक मोहम्मदी एवं पसगवां में विधवा वृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत गत वर्ष स्वीकृत आवेदनों की संख्या की जानकारी

183-श्रीमती कृष्णा राज-

क्या महिला बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक मोहम्मदी एवं पसगवां जिला खीरी में विधवा पेंशन में काफी अनियमितता बरती जा रही है ? कितनी

विधवाओं को पेंशन मिल रही है ? विगत एक वर्ष से उक्त ब्लाकों में कितनी विधवाओं की पेंशन स्वीकृत हुई हैं ?

श्री हरी किशन-

जी नहीं, अनियमितता का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है । वर्तमान में मोहम्मदी एवं पसगवां विकास खण्डों में क्रमशः 271 एवं 629 विधवाओं को भरण-पोषण अनुदान मिल रहा है । गत वर्ष में मोहम्मदी एवं पसगवां विकास खण्डों में क्रमशः 387 एवं 142 विधवाओं को अनुदान की स्वीकृति दी गई है ।

जनपद इलाहाबाद में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक बस्तियों में अधिक जलकर लेने के कारणों की जानकारी

184-श्री राजधारी-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक श्रमिक बस्ती जो नैनी महानगर इलाहाबाद जो शहरी क्षेत्र में अवस्थित है, की अपेक्षा जो श्रमिक बस्ती संडवा जो ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित हैं, से अधिक जल-कर वसूल किया जा रहा है जबकि ग्रामीण क्षेत्र की श्रमिक बस्ती का जल-कर कम होना चाहिये ? यदि हां, तो यह विरोधाभास क्यों है ? क्या सरकार इस विरोधाभास को समप्त करने के लिये कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन-

औद्योगिक श्रमिक बस्ती नैनी महानगर इलाहाबाद जो शहरी क्षेत्र में अवस्थित है, में मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार समिति के सदस्यों से रु0 125/- प्रतिवर्ष जलकर लिया जा रहा है । अन्तिम निर्णय अभी मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित है । जहां तक श्रमिक बस्ती संडवा का प्रश्न है जल निगम तथा जल संस्थान द्वारा कोई जलकर वसूल नहीं किया जाता है ।

प्रश्नगत श्रमिक बस्ती संडवा से जल संस्थान/जल निगम द्वारा कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाता है अतएव विरोधाभास का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद गोण्डा के विद्युत वितरण उपखण्ड मनकापुर के सहायक अभियन्ता द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार से संबधित दिये गये पत्र के आधार पर जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

185-श्री राम विशुन आजाद-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विद्युत वितरण उपखण्ड मनकापुर के सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ताओं द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-2-94 अधिशासी अभियन्ता वितरण खण्ड बलरामपुर, गोण्डा एवं पत्र संख्या अ-17280, दिनांक 13-5-97 विशेष सचिव (ऊर्जा) को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों में उल्लिखित शिकायतों की जांच किस अधिकारी से किन तिथियों में कराई गई ? उसके क्या परिणाम रहे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन उक्त शिकायतों की जांच शासन के किसी अधिकारी से कराकर दोषियो के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

माननीय विधायक का प्रश्नगत पत्र दिनांक 11-2-94 विद्युत वितरण खण्ड, बलरामपुर, गोण्डा के अभिलेखों के अनुसार उक्त कार्यालय में प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है।

जी हां।

उक्त शिकायती-पत्र में उल्लिखित शिकायत की जांच हेतु मुख्य अभियन्ता, लखनऊ क्षेत्र को आदेश दिये गये हैं।

जांच आख्या प्रतीक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्त जांच आख्या प्राप्त होने पर विचारोपरान्त यथावश्यक शासन स्तर से जांच कराने की कार्यवाही की जायेगी।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् गोरखपुर क्षेत्र के मुख्य अभियन्ता द्वारा जनवरी, 1997 से मई, 1997 तक परिषदीय आदेशानुसार जमा कराई गई प्रतिभूत की धनराशि की जानकारी

186-श्री जय प्रकाश, श्री राम नरेश रावत, श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया तथा श्री जय प्रकाश निषाद्-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (गोरखपुर क्षेत्र) में किन-किन थानों से परिषदीय आदेश संख्या 245, दिनांक 28-1-94 के अनुपालन में अनुबन्धित भार पर प्रतिभूति के रूप में 1/97 से मई, 19 7 तक कुल कितनी धनराशि उपभोक्ताओं से जमा कराई गई? क्या इसे उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के लखनऊ के खाते में जमा कराया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी परिषदीय आदेश दिनांक 28-1-94 की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती-

परिषदीय आदेश संख्या 245 दिनांक 28-1-94 को निरस्त करके प्रतिभूति हेतु आदेश संख्या 617 दिनांक 7-3-94 निर्गत किये गये जिसके अनुपालन में विभिन्न खण्डों द्वारा प्रतिभूति धनराशि जमा कराई गई जिसका विवरण निम्नवत् है :-

इकाई का नाम	धनराशि (रू0 में)
वि0 ख0-प्रथम गो0 पुर	1034540.00
वि0 ख0 द्वितीय गोरखपुर	1154639.00
वि0 ख0 महराजगंज	357000.00
वि0ख0 देवरिया	418345.00
वि0 ख0 कसया	825235.00
वि0न0वि0मं0 गोरखपुर	6308000.00
वि0ख0 बस्ती	1402985.00
वि0ख0 सिद्धार्थनगर	238343.00
वि0ख0 खलीलाबाद	412613.00
योग :	1,21,51,700.00

जी हां।

राज्य विद्युत परिषद् के खाते में परिषदीय नियमानुसार संबंधित महीनों में जमा किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

वांछित आदेश निरस्त किये जा चुके हैं।

जनपद गौतमबुद्ध नगर के अन्तर्गत ग्रेटर नोयडा में निजी रूप से विद्युतीकरण के आदेश को वापस लेकर सरकार द्वारा विद्युत आपूर्ति की मांग

187-श्री नरेन्द्र सिंह भाटी-

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद गौतमबुद्ध नगर अंतर्गत ग्रेटर नोयडा का 3 वर्ष पूर्व निजी रूप से विद्युतीकरण करने के आदेश सरकार ने दिया था? जिसके कारण किसानों एवं जनता को भारी समस्या उत्पन्न हो गई है? यदि हां, तो क्या सरकार उसे पुनः अपने हाथ में लेकर किसानों को 18 घंटे बिजली आपूर्ति करायेगी? यदि हां, तो कब तक?

सुश्री मायावती-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् सचिवालय के सचिवालय संवर्ग में नवसृजित पदों के अनुमोदन तथा दिये जा रहे विशेष भत्ता एवं वाहन भत्ता की वसूली की मांग

188-श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया-

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के दूसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित अता0प्र0सं0 7 के उत्तर के क्रम में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिकारियों के नवसृजित 60 पदों का अनुमोदन किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया तथा उनमें से कितने अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, पेंशन का प्रतिमाह कितना भुगतान किया जा रहा है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि परिषदीय सचिवालय को जो विशेष भत्ता एवं वाहन भत्ता दिया जा रहा है उसका अनुमोदन परिषद् स्तर पर कराया गया है? यदि नहीं, तो क्या उसकी वसूली की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती-

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के दूसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-7 के उत्तर के क्रम में उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् सचिवालय के सचिवालय संवर्ग के नवसृजित 19 पदों (एक अल्पकालिक पद के अतिरिक्त) की सूचना दी गई है न कि 60 की।

उक्त नवसृजित 19 पदों के सृजन का वर्ष 1985 से 1988 के मध्य तत्कालीन परिषद् के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध समिति के सदस्यों जो कि परिषद् के पूर्णकालिक सदस्य भी थे, द्वारा अनुमोदन किया गया था जो अब सेवा निवृत्त हो चुके हैं।

पेंशन का प्रतिमाह भुगतान हो जाने वाली राशि का विवरण एवं उनके नाम निम्नवत् हैं :-

1-श्री ए0के0 शाह, सेवा निवृत्त अध्यक्ष

रु0 1520/- (1-9-1983)

रु0 3300/- (1-1-1996)

2-श्री भुपाल सिंह, सेवा निवृत्त अध्यक्ष
रु0 3915/- (1-11-1987 से)
3-श्री वी0 एन0 रिख, सेवानिवृत्त अध्यक्ष
रु0 4045/- (1-5-1991)
4-श्री डी0 एस0 झा, सेवानिवृत्त सदस्य
रु0 3915/- (1-7-1987)
5-श्री आर0 के0 टण्डन, सेवानिवृत्त सदस्य
रु0 4357/- (1-9-1989)
6-श्री बी0 बी0 जिन्दल, सेवानिवृत्त सदस्य अभी पेंशन केश प्राप्त नहीं हुआ है।
7-श्री बी0बी0 शर्मा, सेवानिवृत्त सदस्य
रु0 4845/- (1-12-1989 से)
8-श्री यू0 बी0 माथुर, सेवा निवृत्त सचिव
रु0 3975/- (1-12-1987 से)

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अंतर्गत आवास आवंटन एवं पेयजल स्टे आदि के संबंध में जारी परिषदीय आदेशों का उल्लंघन करने से संबंधित दिये गये पत्र की बिन्दुवार स्थिति की जानकारी

189-श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत आवासों के आवंटन किराया संबंधी जारी आदेशों एवं पैनल रेन्ट के संबंध में परिषद् ने कोई आदेश जारी किये हैं ? यदि हां, तो परिषदीय आदेश क्या है ? क्या इस संबंध में परिषदीय आदेशों का पूरे प्रदेश में उल्लंघन किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? क्या इस संबंध में रविन्द्र प्रताप मल्ल, विधायक का पत्र दिनांक 31-10-94 जो कि प्रमुख सचिव (ऊर्जा) एवं अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसकी बिन्दुवार स्थिति क्या है ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

संगत परिषदादेशों की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं। परिषदीय आदेशो के अनुपालन की स्थिति के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है।

उक्त सूचना प्राप्त होने के पश्चात् ही दोषी अधिकारियों को चिन्हित किया जाना सम्भव हो सकेगा।

जी हां।

पत्र में उठाये गये बिन्दुओं पर जांच प्रगति पर है।

टिकैतराय एल0 डी0 ए0 कालोनी ,लखनऊ में वैध विद्युत कनेक्शन देकर मीटर लगाये जाने की मांग

190-श्री राम तेज यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि टिकैतराय एल0डी0ए0 कालोनी, लखनऊ के फेस-1, फेस-2, फेस-3 में कितने आवासों में 31 मार्च, 1997 तक लाइट कनेक्शन जारी किये गये हैं उनमें से कितने आवासों को मीटर उपलब्ध करा दिया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त कालोनी में काफी संख्या में अवैध विद्युत कनेक्शन स्थानीय अभियन्ताओं के सहयोग से दिया गया है ? यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ? क्या सरकार इसकी जांच कराते हुये जितने कमरों में कनेक्शन नहीं दिया गया है उनको तत्काल कनेक्शन देते हुये इस अनियमितता में संलग्न अभियन्ताओं को दण्डित करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

टिकैतराय एल0डी0ए0 कालोनी, लखनऊ के फेज-1, फेज-2, फेज-3 में पंखा/बत्ती के लिये दिये गये कनेक्शनों का अलग से कोई रिकार्ड नहीं है । उक्त कालोनी में दिये गये कनेक्शनों तथा कनेक्शनों पर मीटर की स्थापना के सत्यापन के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त होगी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर जिन भवनों में विद्युत कनेक्शन न होने की जानकारी प्राप्त होगी उन भवनों में आवेदन के प्राप्त होने तथा समस्त औपचारिकताओं के पूर्ण करने पर कनेक्शन दे दिये जायेंगे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

191-श्री तेजभान सिंह-

(तीसरे बुधवार में अता0प्र0सं0 186 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद लखनऊ में स्थित बरौला हुसैन बाड़ी में सीलिंग की भूमि को बेचे जाने से संबंधित दिये गये कथित तार एवं फैक्स

192-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बरौरा, हुसैनबाड़ी थाना-ठाकुरगंज, परगना व तहसील जिला लखनऊ स्थित भूमि सं0 148, 149, 154, 378, 123, 494, 241, 243, 348, 188/3, 201/1, 233 एवं 283 जो सीलिंग में है, कुछ सहकारी आवास समितियों द्वारा प्लाटिंग करके बेची जा रही है जिसको रुकवाने हेतु ग्रामवासी श्री कालीचरन एवं सुन्दर लाल का प्रार्थना-पत्र फैक्स एवं तार द्वारा दिनांक 10-6-97 एवं 19-6-97 को मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन-

श्री काली चरन एवं श्री सुन्दर लाल के प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र दिनांक 10-6-97 व 19-6-97 प्राप्त नहीं हुये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला योजना आगरा के अन्तर्गत स्वीकृत मनपुरा पानी की टंकी के इरादत माइनर के टेल तक खड़ंजे के निर्माण में कथित अनियमितता

193-श्री विजय पाल सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1992-93 में जिला योजना आगरा के अन्तर्गत शमशाबाद-राजा खेड़ा मार्ग पर स्थित मनपुरा पानी की टंकी से इरादत माइनर के टेल तक खड़ंजा से लेपन स्तर तक सम्पर्क मार्ग अनुमानित लम्बाई 4 कि0मी0 स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो क्या इसका निर्माण कार्य पूरा करा दिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या उक्त योजना हेतु आवंटित धन अन्यत्र व्यय किया गया है ? यदि हां, तो क्या इसमें दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(12 बजकर 20 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजे तक बढ़ा दिया है । 1 बजे मार्शल ने पुनः सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजकर 30 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है । 1 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सदन को पुनः सूचित कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन दो बजकर 15 मिनट के लिये बढ़ा दिया है ।

दो बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

विधायक निधि की स्थापना की मांग

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री अध्यक्ष-

अभी तो सदन भी नहीं व्यवस्थित हुआ है, क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, कल से सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही है उसका एक मात्र कारण यह नजर आता है कि आज विधायक अपने दायित्व की रक्षा की लड़ाई लड़ रहा है । आज एक समस्या उत्पन्न हुई है । मान्यवर, जिस कार्य के लिये वह चुनकर भेजे जाते हैं वह अपने कर्तव्यों को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं । आज विकास के तमाम कार्य हैं, जिसमें विधायक की भागीदारी होती थी धीरे-धीरे विधायकों को उसमें से हटाया जा रहा है । आज में एक सुझाव देना चाहता हूं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, मैं आपसे यह आग्रह करता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी के बोलने से पहले और माननीय नेताओं को सुन लीजियें । और उसके बाद माननीय संसदीय कार्य

मंत्री अपना वक्तव्य दे देंगे। जिससे कि सभी माननीय सदस्यों की बातें यहां आ जायेंगी। पहले हम लोग बोल लें उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री बोलें।

श्री अध्यक्ष-

इसमें कितने लोगों को सुनेंगे। एक दल का एक माननीय सदस्य कह दें।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, एक नई परम्परा न शुरू कीजिये। दलीय नेताओं को सदस्य के रूप में नहीं नामित किया जाता।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने की अनुज्ञा मांगने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

इसी में एक राय नहीं हो पा रही है।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, जिन लोगों ने इस पर सूचना दी थी और जिस पर सदन की कार्यवाही रुकी हुई है, उन सदस्यों को सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

वह सूचना कल दी गई थी।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, आज भी दी है।

श्री अध्यक्ष-

अभी उसका क्रम नहीं आया है या तो मुझे कार्यसूची के हिसाब से चलने दीजिये।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, हाउस को व्यवस्थित करने के लिये जरूरी है कि सब कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने नियम 3।। की सूचना को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया है।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, यह तो आपको अधिकार है आप कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

कल इस विषय पर 14-15 माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये थे, अब अगर इन्हीं शब्दों को दोहराना है तो उससे सदन को कोई लाभ नहीं होगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, कल से सदन अव्यवस्थित है। हम लोग चाहते हैं कि सदन चले। सदन चलाने के लिये यह जरूरी है कि हम लोगों का जो पक्ष है विरोध पक्ष और उधर के माननीय सदस्यों का पक्ष भी आना जरूरी है। विधायक निधि यह सरकार नहीं बना रही है उसका हल कैसे निकलेगा ?

श्री अध्यक्ष-

एक माननीय सदस्य बोलें ।

श्री बी0 आर0 वर्मा, (संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री)-

मान्यवर, कल आपने पूरा समय देकर माननीय 15-16 सदस्यों को सुना उसके बाद आपने मुझे पुकारा उस पर मैं बोल रहा था उस समय सदन अव्यवस्थित हो गया। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने अपनी बात विस्तार से कह ली है और जितना जो है, उदार होकर सम्भवतः आपने सुना भी है । सत्ता पक्ष का वर्जन आ रहा था, तो मान्यवर, शान्त हो जायें तो मैं अपनी बात रख देता हूं । इसके बाद सदन की कार्यवाही चले निर्णय आपकी पीठ को लेना है ।

(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)-

मान्यवर, इधर से हम दो-तीन लोग बोल लेंगे आप कृपया सुन लें ।

श्री बाबूराम यादव-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष-

बातों को बार-बार दोहराने से क्या फायदा है ?

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, जहां आपको लगे कि हम दोहरा रहे हैं तो आप टोक दीजियेगा ।

श्री बाबूराम यादव-

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि कल से यह सदन अव्यवस्थित है और हमारे आप अधिकारों के रक्षक हैं । कभी-कभी यह कहा जाता है कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। कल से यहां कोई डिबेट नहीं हो रही है । इस पर आप माननीय नेताओं को सुन लें और विधायक निधि पर जिस पर कल से सारे लोग परेशान हैं अगर कोई हल निकलता है तो मेरी प्रार्थना है कि आप उसे निकालें। मान्यवर, यह कल जो हुआ है मान्यवर, यह भी आप जैसे विद्वान और निष्पक्ष और इतना गुरुत्तर भार उठाने वाले अध्यक्ष को शोभा नहीं देता कि बजट इस तरह से पास हो। मंत्री जी अपना बजट पेश करेंगे अपनी बात करेंगे हम अपनी आलोचना रखेंगे उससे सारे सदन को बहुत जानकारी होगी इसमें मेरी प्रार्थना है कि अगर यह किसी तरह से आप के बलबूते का नहीं है तो कृपया इसमें गुप्त मतदान करा दें इससे हमारी सहमति असहमति प्रकट हो जायेगी ।

श्री अध्यक्ष-

मेरा दायित्व है कि सदन की कार्यवाही ठीक से चले । माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करते हैं, उसमें सत्ता पक्ष कुछ स्वीकार करता है तो कुछ अस्वीकार करता है और अपनी असमर्थता बताता है यदि अस्वीकार करता है । उस असमर्थता से कभी आप सहमति प्रकट करते हैं कभी नहीं करते हैं । मेरा प्रयास है कि सदन चले । अनेक माननीय सदस्यों ने मुझसे बार-बार कहा कि तमाम विभागों की अनुदान

मांगे हैं उन पर वे अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं। किसी ने दो दिन से तैयारी की है उन्हें अवसर नहीं मिल पा रहा है। अगर आप सामूहिक रूप से तय कर लेंगे कि सदस्यों को अवसर मिले तो वह अवसर मिल जायेगा। विरोध के तमाम लोकतान्त्रिक तरीके हैं सत्ता पक्ष से सहमति नहीं होती है तो आप सदन से बहिर्गमन कर सकेत हैं और दूसरे रास्ते हैं। लेकिन सदन की कार्यवाही बाधित न हो, आप की शिकायत जो है वह भी दर्ज हो जाये, इसके लिये तमाम शान्तिपूर्वक लोकतान्त्रिक तरीके हैं। यह सब आप के ऊपर है मेरा इसके बारे में कोई सुझाव नहीं है। मेरा निवेदन है कि सब लोग सहयोग दें और सदन की कार्यवाही चले बजट की विभिन्न मांगों पर सदस्यो, को अवसर मिलें। उनकी प्रतिभा को आप देखें बहुत अच्छी क्षमता के हमारे विधायक हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

यहां बैठा हुआ कोई सदस्य आप की भावना से अलग नहीं हो सकता है। सदन की कार्यवाही में ज्यादा से ज्यादा लोग विचार रखें इससे जानकारी सदन में आती है। मान्यवर, आप भी 1977 से विधायक हैं। निर्वाचित विधायक से निर्वाचक कुछ अपेक्षायें रखते हैं। आज स्थिति यह हो गई है कि निर्वाचित होकर आये लोग कसौटी पर कसे जाते हैं उनकी जो इच्छायें होती हैं, वह पूरी नहीं कर पाते हैं। मान्यवर, यही कारण है कि जब भी चुनाव होते हैं आधे से अधिक विधायक सदन का दुबारा मुंह नहीं देख पाते हैं। जो विकास की अपेक्षा है, कोई स्वप्न नहीं देख रहे हैं, जो जरूरते हैं, सम्पर्क मार्ग, पेयजल समस्या, स्कूल की समस्या, बिजली यह कुछ मुख्य समस्यायें हैं, हर नागरिक चाहता है कि सुविधायें उपलब्ध हो। आज हम 21वीं शताब्दी में जा रहे हैं आजादी की 50वीं वर्षगाठ मना रहे हैं कहीं से भी जो यह मांग है गलत नहीं है।

कुछ दिनों से विधायकगण यह महसूस कर रहे हैं कि उनके अधिकारों में कटौती हो रही है। और जो विकास समितियां जिलों में बनाई गई हैं उनमें उनकी भागीदारी कम होती जा रही है तथा विकास के नाम पर विधायक के हिस्से में जो आता है वह भी घटता जा रहा है। कहीं पर यह हिस्सा माननीय सांसद के पास चला जा रहा है, कहीं पर विधान परिषद् के सदस्य के पास चला जा रहा है कहीं-कहीं पर अधिकारी सामूहिक रूप से अपना हिस्सा ले लेते हैं और जनपद में उसका बंटवारा कर देते हैं और विधायक को कुछ नहीं मिलता है। आज इसे सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि हम लोगों की एक हास्यास्पद स्थिति हो गई है। हम कोई विकास के कार्य करा नहीं सकते हैं। ट्यूबवेल लग नहीं सकते हैं, स्कूल खुलवा नहीं सकते हैं क्योंकि जिला पंचायत के माध्यम से इनका संचालन किया जा रहा है। अब तो हैण्ड पम्प लगाने के लिये भी बी0डी0सी0 और प्रधान से पूछना पड़ता है। इसी तरह से बिजली का है। विद्युतीकरण के नाम पर जो गांव आते हैं वह अम्बेडकर गांवों में चले जाते हैं।

मान्यवर, मैं सम्पूर्ण विपक्ष की तरफ से यह कहना चाहता हूं कि अम्बेडकर गांवों का विकास किया जाय और जो सुविधायें उनको दी जा रही हैं उससे ज्यादा

सुविधायें उनको दी जायं परन्तु हम चाहेंगे कि हमारी योजनाओं का पैसा काटकर वहां न दिया जाय । आज एक करोड़ विधायक विकास निधि की जो बात यहां पर चल रही है उसके संबंध में, मैं कहना चाहता हूं कि विधायक के डिस्पोजल पर एक करोड़ रुपये सीधे दे दिये जायं ऐसा नहीं है । हम तो सिर्फ इतना निवेदन कर रहे हैं कि एक वर्ष में एक विधान सभा क्षेत्र में एक करोड़ रुपये के विकास कार्यों में विधायकगण अपना सुझाव दें और उनका सुझाव बिल्कुल अंतिम हो । हम यह नहीं कह रहे हैं कि वह पैसा सीधा हमको दे दिया जाय और चेक काटकर पैसे का भुगतान हम करें । हम इस समस्या को और सुलझाना चाहते हैं इसके लिये हमारे पास 4 सुझाव हैं ।

मान्यवर, सरकार केवल चार विषयों तक ही अपने को केन्द्रित कर ले । 1-शिक्षा, 2-सिंचाई, 3-सम्पर्क मार्ग और चौथा पेयजल । जहां तक पेयजल की बात है, यह दो तरह से होता है । ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत मंत्री जी इस कार्य को करते हैं और शहरी क्षेत्र में नगर विकास मंत्री जी इस काम को करते हैं । हमारा कहना यह है कि जो विभाग हैं और जिन विभागों का बजट पारित हो चुका है उनमें से 2, 3 या 4 परसेंट कटौती कर एक करोड़ रुपया विधायक के क्षेत्र के लिये दे दिया जाय । इसमें आपको कहीं से अतिरिक्त आर्थिक संसाधन जुटाने ही नहीं पड़ेंगे । दूसरा सुझाव हमारा यह है कि कंटीजेंसी फण्ड में हजारों करोड़ रुपया पड़ा है उसमें से 425 करोड़ रुपया निकाल लिया जाय और इसमें से एक-एक करोड़ रुपया विधायक के क्षेत्र में दे दिया जाय । ताकि विधायक की संस्तुति के अनुसार इन चार विभागों में विधायक विकास के कार्य करवा सके । तीसरा सुझाव यह है कि पी0एल0ए0 में 20 हजार करोड़ रुपया है उसमें से 425 करोड़ निकाल लिया जाय और इसमें से 1-1 करोड़ रुपया विधायक के क्षेत्र में दे दिया जाय ताकि वह अपनी संस्तुति के अनुसार चार भागों में विकास के कार्य करवा सके ।

मान्यवर, सवाल सिर्फ यह है कि सरकार इच्छा शक्ति रखें । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप घूरकर क्या देख रहे हैं ? इससे आवाज दबने वाली नहीं है । यह विधायकों की आवाज है एक दिन आयेगा जब सरकार को विवश होकर एक करोड़ रुपये विधायक विकास निधि की स्थापना करनी पड़ेगी । जब तक यह निधि स्थापित नहीं हो जाती तब तक यह आवाज नहीं रुकेगी । मान्यवर, मैंने समस्या का समाधान रख दिया और पैसा कहां से आयेगा वह भी बता दिया ? अब सरकार को थोड़ा सहिष्णु होना पड़ेगा । आज जो पूंजीपतियों पर 15 हजार करोड़ रुपया बकाया है ।

श्री अध्यक्ष-

कृपया समाप्त करें ।

श्री प्रमोद कुमार-

और दूसरे प्रदेशों में पैसा बकाया है, हिमांचल प्रदेश, हरियाणा आदि उनसे वसूल करके 425 करोड़ रुपया रखा जा सकता है । अगर सरकार की इच्छा शक्ति है तो इसमे मैं एक संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि इसमें मतदान करा दें कि विधायक निधि स्थापित हो सके इसके लिये सदस्य तैयार हैं कि नहीं । मैं जानता हूं कि

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी चाहते हैं कि हर विधायक जो चुनकर आता है वह चाहता है कि अपने क्षेत्र का विकास हो और जो मनोनीत होते हैं वह नहीं चाहते होंगे। मान्यवर, यह केवल विधायकों की सुख सुविधा के लिये नहीं है इस प्रदेश के विकास के लिये, विधायकों के सम्मान के लिये, उनके अधिकारों के अस्तित्व के लिये है। आप हमारे संरक्षक के रूप में हैं आप सरकार को इसमें विवश करें और अगर यह सरकार नहीं मानती है तो विवश करें कि यह विधायक कोष बनाया जाय।

कुंवर रेवती रमण सिंह -

माननीय अध्यक्ष जी, यह आज कैसी विडम्बना है कि पूरे सदन के माननीय सदस्य चाहे वह पक्ष के हों या विपक्ष के हों, आज एक मुद्दे पर एक साथ सहमत हैं। मान्यवर, ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्य एक साथ सहमत हों। लेकिन जो दुराग्रह और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इस सरकार ने जिस तरह से अड़ियल रुख अपना रखा है, मैंने पिछली सात विधान सभाओं में देखा है, ऐसा रुख किसी भी सरकार ने नहीं अपनाया था। मान्यवर, यह कहना कि हमारे पास कोष नहीं है, धन नहीं है यह कहना कदाचित इस बात से कोई सहमत नहीं हो सकता चाहे वह इस पक्ष का हो या उस पक्ष का हो। मान्यवर, इसमें अगर किसी बात की कमी है तो वह सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है। सरकार में इच्छा शक्ति इस बात के लिये नहीं है कि विधायकों का कोष बनाया जाय, उनके क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, इस बात के लिये वह तैयार नहीं है।

मान्यवर, मैं इस सरकार से और माननीय पक्ष के और उस पक्ष के सभी विधायकों से यह कहना चाहूंगा कि आप देखें कि 1989 से 1997 तक पांच बार चुनाव हो चुके हैं और इस पांच चुनावों में अगर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वह माननीय विधायकों का हुआ है। आज उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि कुछ नहीं कहा जा सकता है। वह अपने क्षेत्र की सड़क नहीं बनवा सकता है, जल निगम की स्कीम नहीं बनवा सकता है, अपने क्षेत्र में हैण्ड पाइप नहीं लगवा सकता है, पेयजल की कोई योजना नहीं बनवा सकता है तो इस तरह से वह अपने अधिकारों से वंचित हो रहा है और अपने कर्तव्यों का भली-भांति निर्वहन भी नहीं कर पा रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं आप को तो स्वयं बोध है, कि पिछले कई सालों में एक बिजली का खम्भा भी नहीं गड़ा है।

आज यह अम्बेडकर गांवों की दुहाई दे रहे हैं। एक ब्लाक में दो तीन अम्बेडकर गांव चयनित होते हैं और एक ब्लाक में 60, 70 गांव होते हैं और उस गांव में दो तीन गांव सभायें होंगी लेकिन बाकी गांवों के लिये क्या वहां पर दलित नहीं रहते क्या उनके लिये विकास की जरूरत नहीं है? अगर उनके गांवों में भी चार बिजली के खम्भे लगा दिये जायें तो उनके गांव में भी बिजली आ जायेगी। आज मान्यवर, इक्कीसवीं सदी में यह भारत जा रहा है, पता नहीं कब यह गांव बिजली से आच्छादित हो पायेंगे ?

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि यह सरकार बार-बार कहती है कि पैसा कहां से लायें? केन्द्र सरकार ने माननीय लोक सभा और राज्य सभा सदस्यों को एक-एक करोड़ रुपया दिया है उसके पीछे मंशा क्या थी? उसके पीछे मंशा यह थी कि माननीय सांसद अपने क्षेत्र में अपने मन से विकास के कार्यों में अपनी भागीदारी दर्ज करा सकें। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यहां कोई भी सदस्य यह कह सकता है कि एक किलोमीटर सड़क वह अपनी मर्जी से बनवा दें? इतना अवमूल्यन विधायक का पहले कदाचित कभी नहीं था हम लोग हमेशा विपक्ष में रहे हैं। 10, 20 किलोमीटर सड़क और बनवा लेते थे और तमाम पेयजल समूह योजनायें बनी हैं। पहले हम पेयजल की व्यवस्था कर लेते थे लेकिन अब कितनी योजनायें बनी हैं एक काम भी नहीं करवा सकते।

आज यह सरकार की मंशा है कि एक पैसा विधायक को न दिया जाय उसके लिये यह तैयार नहीं हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी क्या जवाब देने वाले हैं मुझे मालूम है। वह और जवाब देंगे, केवल लीपापोती करेंगे। तो इससे यह सदन व्यवस्थित होने वाला नहीं है। जब विधायक का अस्तित्व नहीं बचेगा तो फिर क्या होगा? आपका सदन विधायकों से चलता है, यह सरकार विधायकों से चल रही है। आज की सरकार का अस्तित्व स्वयं खतरे में है।

माननीय प्रमोद तिवारी जी ने जो बात कही है मैं उन्हें नहीं दोहराना चाहता हूं। उसके अलावा कुछ सुझाव देना चाहता हूं यह सरकार चाहे तो धन की व्यवस्था उसी विभाग के द्वारा जो 5,6 डिपार्टमेंट की बात कही है उसी में यह निर्धारित कर दिया जाये कि कितना धन, जो लगभग एक करोड़ का हो हर डिपार्टमेंट से मिल कर विधायक के कहने से, विधायक की संस्तुति से खर्च होगा। इसमें अतिरिक्त धन लाने की कहां आवश्यकता है? यह सरकार सदन को चलाना चाहती है और चाहती है कि सदन की गरिमा बनी रहे तो उसे एकमत से घोषणा करनी चाहिये कि एक करोड़ रुपया हर विधायक को उसके क्षेत्र के विकास के लिये देते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

इस पर पर्याप्त सुझाव आ गये हैं। आप ही बता दें कि 3,4,5 कितने माननीय सदस्य बोलेंगे। सबके लिये सम्भव नहीं है। आप स्वयं अपने विवेक से बता दें।

(व्यवधान)

15 माननीय सदस्य बोल चुके हैं। सबके लिये बोलना संभव नहीं है।

डा0 अशोक बाजपेई-

जिन्होंने सूचना दी है, उन्हें बुलवा लें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

पहले आप अपने माननीय सदस्यों को समझा दीजिये। जिन माननीय सदस्यों ने सूचना नहीं दी है उनका बोलने का आज कोई औचित्य नहीं है। (व्यवधान)

श्री कोकब हमीद-

मान्यवर, सब दलों से एक-एक ले लें। (व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार-

एक पक्ष से और एक विपक्ष से बुलवा लें । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

यह कोई चर्चा नहीं है । (व्यवधान)

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, बड़ी विडम्बना है पूरे सदन में हर एम0एल0ए0 जो मौजूद है, वह चाहता है कि विधायक विकास निधि योजना होनी चाहिये । सब आपके सामने हैं आप गौर करें । हर आदमी तैयार है आप किसी से पूछ लें, फिर भी यह सरकार सदन की मर्यादा को खत्म कर रही है । क्योंकि यह सरकार नहीं चाहती है कि विधायक का विकास में योग मिले । यह चाहते हैं कि विधायक चाहे लखनऊ में हो या अपने क्षेत्र में हो हर जगह कटोरा लेकर भीख मांगे कि इतना पैसा हमें दे दो ताकि 20 मीटर सड़क वह बनवा सके या पेयजल की व्यवस्था के लिये कहीं पर नल लगवा सके । आज पूरा सदन एक चीज चाहता है आप भी चाहते हैं, आपका संरक्षण चाहिये । आप मतदान करवा लें । तो यह जाहिर हो जायेगा कि यह निधि मिलनी चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

(डा0 अशोक बाजपेई के खड़े होने पर) माननीय बाजपेई जी आप कल बोल चुके थे । (व्यवधान)

डा0 अशोक बाजपेई-

मैं किसी बात को दोहराना नहीं चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

जिन माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं हैं उनके बोलने का कोई औचित्य नहीं है जब तक कि वह किसी दल के नेता न हों ।

डा0 अशोक बाजपेई-

मान्यवर, मुझे समय दे दें ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय पासवान के बाद आप बोल लीजियेगा ।

श्री राम आसरे पासवान-

माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता समाजवादी, नेता कांग्रेस दल, नेता भारतीय किसान कामगार पाटी एवं माननीय अन्य सदस्यों ने जो विधायक विकास निधि के बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, मैं विधायक निधि स्थापित किये जाने पर पूरा बल देता हूं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

मान्यवर, आपने इस विषय पर बोलने के लिये समय दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, जब एक विधायक चुनकर आता है तो उसके क्षेत्र की जनता

उससे यह अपेक्षा करती है कि हमारे क्षेत्र में विकास होगा लेकिन आज स्थिति यह बन रही है कि विधायक स्वयं हताश होकर अपने लिये रास्ता खोज रहा है है कि कहां से धन प्राप्त हो ? मान्यवर, चाहे पी0डब्लू0डी0 विभाग हो, चाहे ग्राम्य विकास हो, चाहे नगर विकास विभाग हो, चाहे विद्युत विभाग हो इन विभागों के द्वारा जो काम किये जाते हैं चाहे वह सड़क हो, नाली हो या खड़ंजा हो आज विधायक यह काम करा नहीं सकता । यदि विधायक विकास निधि बन जाय और धन की व्यवस्था हो जाय तो विधायक अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवा सकता है । मान्यवर, इस निधि की स्थापना की जाय ताकि विकास के रास्ते खुलें यह हमारी मांग है ।

(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अंतिम वक्ता श्री बाजपेयी हैं । आप लोग स्थान ग्रहण करें यह कोई चर्चा नहीं हो रही है ।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैंने नियम 311 में सूचना दी है ।

श्री अध्यक्ष-

यह चर्चा नहीं हो रही है । जितना आवश्यक समझा मैंने सुन लिया है । मैं थोड़ा सा अपने विवेक का प्रयोग करूंगा ।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)-

सबको सुन लें ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय बाजपेयी जी अंतिम वक्ता हैं ।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, इस गम्भीर विषय पर बोलने के लिये आपने अवसर दिया इसके लिये आभारी हूं ।

मान्यवर, दो दिन से, चाहे इस पक्ष के माननीय सदस्य हों या उस पक्ष के माननीय सदस्य हों, क्षेत्र विकास पर चिन्ता व्यक्त की जा रही है । सदन की भावना थी कि माननीय नेता सदन स्वयं सदन में उपस्थित होंती और विधायकों की चिन्ता से अवगत होतीं और इस संवेदनशील विषय पर विधायकों से दो शब्द बात करती तो अच्छा होता । मान्यवर, पिछले 20 वर्षों से मैं सदन की सेवा करता आ रहा हूं ।

मान्यवर, कभी भी सदन को इस तरह से अमर्यादित करने का काम किसी नेता सदन ने नहीं किया होगा । यह बजट सत्र चल रहा है, तमाम विषय मुख्य मंत्री जी के पास हैं । उन्होंने बस एक औपचारिकता का निर्वहन किया । बजट प्रस्तुत करने और फिर उत्तर देने वह सदन में आईं । कुल दो बार सदन में आईं । आज सदन को उनसे अपेक्षा थी कि इस गम्भीर विषय पर वह सदन में उपस्थित होंगी और विधायक निधि के बारे में कुछ घोषणा करतीं तो हम सब उनको धन्यवाद देते । लेकिन मान्यवर, यह सरकार सम्वेदनशील नहीं है । दो दिन से इस गम्भीर विषय पर चिन्ता व्यक्त की जा रही है । इस संबंध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि क्षेत्रीय विकास

निधि निर्धारित की जाय। विकास का जो पैसा है उसके निर्धारण का कार्य विधायक द्वारा किया जाय। मान्यवर, संविधान के 73वें संशोधन के बाद से विधायक की स्थिति दयनीय हो गई है। जिला नियोजन समिति का वह सदस्य है नहीं, डी0आर0डी0ए0 का वह सदस्य नहीं है। जनपद के विकास कार्यों में उसकी भागीदारी नहीं है। वह 5 लाख जनता का विश्वास लेकर आता है और इस सम्मानित सदन का सदस्य बनता है।

मान्यवर, क्षेत्रीय विकास निधि की स्थापना कर दी जाय जिससे जनता को जो विश्वास देकर माननीय सदस्य इस सदन में आते हैं उसको बनाये रखने में कामगार हो सकें। मान्यवर, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ही माननीय सदस्य इस बात को चाहते हैं। आज प्रदेश की 15 करोड़ जनता की भावनाओं को यह सरकार नहीं समझ रही है। जनता की उपेक्षा कर रही है। आज सदन एकमत होकर चिन्ता कर रहा है और सरकार इस छोटे से अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकती है। आज इस सरकार की पारदर्शिता और सम्वेदनशीलता पर प्रश्नचिन्ह लग गया है। 425 विधान सभा क्षेत्र हैं। 425 करोड़ रुपये की निधि तैयार करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। एक नेता सदन की इच्छा पर एक हजार करोड़ से अधिक रुपये पार्कों, मेलों और उद्योगों पर व्यय हो रहा है।

प्रदेश के विकास के लिये 425 करोड़ रुपये की निधि माननीय सदस्यों के अनुरोध पर निर्धारित नहीं की जा सकती फिर भी यदि सरकार सम्वेदनशील होती तो माननीय मुख्य मंत्री जी आज सदन में आतीं और क्षेत्रीय विकास निधि की स्थापना किये जाने की घोषणा करतीं तो हम मेजें थपथपाकर उन्हें धन्यवाद देते, बधाई देते उनके इस काम के लिये। आज पूरा सदन एक मत है और मैं देख रहा हूं कि बहुत वर्षों में एक ऐसा मुद्दा है जिस पर इस पक्ष और उस पक्ष के सदस्यों की भावनायें एक सी हैं। सब एक मत से चाहते हैं कि प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो। आप अम्बेडकर गांवों की बात करते हैं। उसमें भी गांव चुन-चुन कर लिये जाते हैं लेकिन जो पूरा प्रदेश है विकास से छूटा पड़ा है उसका विकास कैसे हो सकेगा? आज गांवों में हम बिजली का एक खम्भा नहीं लगवा सकते। एक हैण्ड पम्प नहीं लगवा सकते, टूटी नालियां नहीं बनवा सकते, गांवों को जोड़ने के लिये पुलिया का निर्माण नहीं करा सकते।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त कीजिये।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, आज इससे ज्यादा संवेदनशील और लोक महत्व का विषय और कोई नहीं हो सकता है। मैं विधायक निधि की बात नहीं करता हूं अगर क्षेत्रीय विकास निधि की स्थापना हो जाये तो जो विधान सभा क्षेत्र हैं उनके लिये क्षेत्रीय विकास निधि से पैसा मिल जायेगा। यह दुरूह कार्य नहीं है अगर प्रदेश सरकार की इच्छा शक्ति है, संसदीय परम्पराओं में उसकी आस्था है और उसे इस सदन की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता है तो इस पर स्पष्ट निर्णय दे देती। लेकिन दुःख है कि इस सरकार को जनता की भावनाओं के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं है। बार-बार दो दिन से यह सदन बाधित हो रहा है। सरकार की तरफ से कोई कारगर उत्तर नहीं आ रहा है। सरकार अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रही है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सरकार को पीठ से निर्देश देने का कष्ट करें।

(व्यवधान)

श्री .जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरी व्यवस्था सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, मैं किसी को नहीं सुनूंगा। यह अनिश्चित काल तक नहीं चलेगा। क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री जगदम्बिका पाल-

व्यवस्था का प्रश्न है। आपसे केवल यह व्यवस्था चाहते हैं कि जो प्रश्न, विधायक निधि का सम्मानित सदस्यों ने और नेताओं ने यहां रचा जिसे आपने सुना है। इस प्रश्न को नियम 311 में उठाया था और चाहते थे कि सारे नियमों को निलम्बित करके इस पर चर्चा कराई जाय। यह प्रश्न हम लोग कल लाये थे और आज उसी नियमों में आपके समक्ष दिया और हमारे उस पर हस्ताक्षर हैं। आपने कई सदस्यों और नेताओं को सुना, इसलिये मैं केवल एक मिनट इस संबंध में कहना चाहता हूं कि हमें जनता ने यहां चुनकर भेजा इसलिये हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। इस विधायक निधि की घोषणा विधायक के लिये नहीं बल्कि अपने क्षेत्र के मतदाताओं के विकास के लिये चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं इसलिये आप बैठें जायं। मैंने सारी परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् संसदीय कार्य मंत्री को बुलाया है। इसलिये इस विषय पर अब अधिक विचार आने की आवश्यकता नहीं है मैंने संसदीय कार्य मंत्री को बुला लिया है।

(व्यवधान)

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि कल भी जब माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे थे तो बड़े ही धैर्य और ध्यान पूर्वक उनकी बातों को मैंने सुना। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह कृपा करके मेरी पूरी बात को सुन लें।

मान्यवर, जिस विधायक निधि के बारे में माननीय सदस्यों ने ग्राह्यता पर अपनी बात रखी है, मान्यवर, आप इस बात से और पूरा सदन सहमत होगा कि 426 माननीय सदस्य इस सदन के और 108 माननीय सदस्य विधान परिषद् में हैं इस तरह 1-1 करोड़ रुपया देने में कुल 534 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

जहां तक माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार ने कहा है कि कई करोड़ रुपये कन्टेजेंसी में है तो मैं बताना चाहता हूं कि 500 करोड़ रुपये की कन्टेजेन्सी है और वह जिससे है उसका उसी में व्यय होना है। आठवीं पंचवर्षीय योजना का आकार तय किया था जिसके लिये प्रदेश में जो संसाधन चाहिये था वह जुटा पाते तो विकास अधिक होता। मान्यवर, उसमें आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश को 5515 करोड़ रुपये के वित्तीय संसाधनों को जुटाना था जिसके विपरीत 3124 करोड़ रुपये के आंतरिक साधनों का ही प्रबन्ध हो सका।

आन्तरिक संसाधनों के कम रहने के कारण आठवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सहायता भी जो 13,384 करोड़ रुपये निर्यात की गई थी, घटकर 11,002 करोड़ रुपये ही उपलब्ध हो पायी और इस प्रकार हमारी आठवीं पंचवर्षीय योजना जो 22,005 करोड़ रुपये की थी, के विरुद्ध उपलब्ध साधनों के अनुसार वास्तविक व्यय केवल 16,248 करोड़ रुपये हो सका । यदि हम आंतरिक संसाधनों को विधायक निधि में लगा देते हैं तो हमारी वार्षिक योजना तथा नवीं पंचवर्षीय योजना के साइज में कमी के साथ-साथ केन्द्रीय सहायता के अंश में भी कमी सम्भावित है जो आर्थिक विकास की दृष्टि से उचित नहीं होगा ।

वर्तमान वर्ष 1997-98 का योजना आकार तय हो गया है जिसमें 7080 करोड़ रुपये तय हुआ है ।

7 हजार 80 करोड़ रुपये के परिव्यय में 2 हजार 200 करोड़ रुपया अपने संसाधनों से उत्तर प्रदेश सरकार को जुटाना है प्रदेश सरकार को इसी धनराशि से उत्तर को जुटाने में दिक्कत हो रही है । मान्यवर आज जो स्थिति है अगर हम धनराशि नहीं जुटा पाते हैं तो केन्द्र सरकार से जो पैसा मिल रहा है वह पैसा हमें नहीं मिलेगा । इससे प्रदेश का विकास अवरुद्ध होगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

पहले बात पूरी हो जाने दीजिये ।

श्री जगदम्बिका पाल-

मैं एक प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

कृपया स्थान ग्रहण करें । पाल जी बैठें । यह कोई वक्तव्य नहीं हो रहा है ।

श्री बी0आर0वर्मा-

मान्यवर, 534 करोड़ रुपये का विधायक विकास निधि बनता है । अगर आंतरिक साधन नवीं पंचवर्षीय योजना के कम हो जायेंगे तो योजना का आकार कम हो जायेगा । आंतरिक संसाधनों की कमी के कारण योजना का आकार कम होता है तो उसमें केन्द्र से मिलने वाली सहायता पर प्रभाव पड़ेगा । इससे हमारी योजनाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और आर्थिक विकास पर कुप्रभाव पड़ेगा जो आर्थिक विकास की दर निर्धारित की गई है वह पूरी नहीं कर पायेंगे जैसा कि पहले नहीं कर पाये हैं । 1997-98 की जिला योजना में अन्तिम रूप हो चुका है, केवल इसमें समाहित करना है । ऐसी अवस्था में विधायक निधि का औचित्य नहीं बनता है ।

श्री अध्यक्ष-

कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(विपक्ष के अनेकानेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

मैं इस प्रकरण को यहीं समाप्त करता हूं ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

मैं नियम 301 की सूचनायें ले रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 5 अगस्त, 1997 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अंतर्गत कुल 36 सूचनायें प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुये निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गईं ।

(निम्नलिखित सूचनायें पढ़ी हुई मानी गईं)

जनपद गोण्डा में पूर्वांचल विकास निधि योजना में वर्ष 1996-97 में आवंटित धनराशि में भेदभाव बरते जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम विशुन आजाद-

(जनपद गोण्डा के अंतर्गत पूर्वांचल विकास निधि योजना में वर्ष 1996-97 में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रवार बराबर-बराबर स्वीकृत होना चाहिये था परन्तु ऐसा न करके विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में उक्त निधि के अंतर्गत धन को आवंटित करने में अधिकारियों द्वारा जानबूझकर भेदभाव की नीति बरती गई और गर्वनिंग बाडी बैठक में जो प्रस्ताव किया गया था उसके अनुरूप योजनाओं को स्वीकृत नहीं किया गया । मेरे विधान सभा क्षेत्र को मात्र 13 लाख रुपये की ही स्वीकृति प्रदान की गई । जिसमें मेरे द्वारा प्रस्तावित मात्र दो ही परियोजनाओं को सम्मिलित किया गया । जबकि अन्य विधान सभा क्षेत्रों को 17 एवं 18 लाख रुपये की योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई । इस तरीके से संबंधित अधिकारियों द्वारा जानबूझकर मेरे विधान सभा क्षेत्र के साथ भेदभाव किया गया जिसमें मेरे क्षेत्र के विकास के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो गई है । जिन अधिकारियों द्वारा क्षेत्रवार योजनाओं की स्वीकृति करने में भेदभाव किया गया है उनके खिलाफ कार्यवाही होना आवश्यक है ।

कृपया, इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये शासन से वक्तव्य की मांग करता हूं ।)

प्रतापगढ़ शहर में पुराने राशन कार्ड की जांच कंर नये राशन कार्ड उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्रनाथ सिंह-

(जनपद प्रतापगढ़ में शहर के राशन कार्ड जो लगभग 20 वर्ष पूर्व बनाये गये हैं, उसके लाभ से नया राशनकार्ड बनना बन्द हुआ है । उसमें से बहुत से राशन कार्ड धारकों की मृत्यु हो चुकी है, बहुत से कार्ड धारकों का मकान/मुहल्ला बदल गया है, जिससे उन्हें अपना राशन कार्ड स्थानान्तरित कराने में कठिनाई होती है । 20 वर्ष पूर्व बने राशन कार्ड में लिखने का स्थान नहीं है, बहुत से कार्ड धारकों के राशन कार्ड कट भी गये हैं जिससे उन्हें राशन लेने में कठिनाई हो रही है । पूर्ति कार्यालय में जाने पर कार्ड धारकों को सीधा जबाब होता है कि राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है । इससे शहर की जनता आक्रोशित है तथा किसी भी समय आन्दोलन कर सकते हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

शिकारपुर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत 132 के0वी0 विद्युत सब स्टेशन के निर्माण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री महेन्द्र कुमार-

मेरा शिकारपुर विधान सभा क्षेत्र जनपद बुलन्दशहर में अत्यन्त पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । यह क्षेत्र विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण प्रायः अन्धकार में डूबा रहता है । मेरे क्षेत्र के शिकारपुर नगर की जनसंख्या लगभग 50 हजार है तथा ग्रामीण अंचल के समीप है । नगर में तीन शीतगृह 2 छविगृह, पांच इण्टर कालेज तथा तीन हाई स्कूल एवं अनेक लघु उद्योग हैं, तीनों शीतगृह, एक छविगृह तो विद्युत के अभाव में बन्द हो गये हैं, तथा लघु उद्योग भी बन्द होने के कगार पर हैं । मेरा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है । विद्युत के अभाव में छात्रों की पढ़ाई में भी व्यवधान पैदा होता है ।

विद्युत विभाग की लापरवाही का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं । अब से लगभग 12 वर्ष पूर्व विद्युत विभाग ने 132 के0वी0 के विद्युत सब स्टेशन के निर्माण के लिये भूमि संख्या 2341, 2342, 2388 का अधिग्रहण कर कब्जा ले लिया था किन्तु भूमि स्वामियों को भूमि का मुआवजा भी दिया जा चुका है परन्तु अभी तक विद्युत सब स्टेशन की स्थापना का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया है जिससे क्षेत्र की जनता में घोर असंतोष पनप रहा है तथा कृषकों को घोर कष्ट हो रहा है एवं सामान्य जीवन भी प्रभावित हो रहा है ।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मैं 132 के0वी0 विद्युत सब स्टेशन की शीघ्र स्थापना की मांग करता हूं ।

चन्दौली के धानापुर क्षेत्रान्तर्गत लेहरा, मनिहरा ड्रेन की खुदाई व सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रभू नारायण सिंह -

मैं आपके माध्यम से जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र धानापुर की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र धानापुर के अन्तर्गत लेहरा, मनिहरा ड्रेन स्थित हैं । इसकी खुदाई एवं सफाई न होने के कारण जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, जिससे सैकड़ों गांव के किसान प्रभावित हैं । आज भी किसानों की हजारों एकड़ भूमि जल जमाव से प्रभावित है । खेती का कार्य पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है । मेरे द्वारा इसकी शिकायत शासन स्तर पर एवं जिला स्तर पर संबंधित अधिकारियों से की गई, परन्तु अधिकारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता है पूरे क्षेत्र में किसानों का कृषि कार्य इससे प्रभावित हो रहा है । ऐसी स्थिति में शासन एवं जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर की जा रही उपेक्षा से किसानों एवं जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है ।

मैं आपसे मांग करता हूं कि ऐसे लोक महत्व के विषय को किसानों के हित को ध्यान में रखते हुये लेहरा, मनिहरा ड्रेन की खुदाई एवं सफाई का कार्य यथाशीघ्र कराने हेतु संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनेर्वीक्षण नहीं किया ।

( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

राजधानी में रिमोट सेन्सिग एप्लीकेशन सेंटर में वैज्ञानिक एवं प्रशासनिक पदों पर की गई अवैधानिक नियुक्ति को रद्द करने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

*श्री समरपाल सिंह -

(मान्यवर, राजधानी के रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेंटर में वैज्ञानिक एवं प्रशासनिक पदों पर अवैध तरीके अपना कर मनमाफिक नियुक्तियां की गई हैं। रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर में 24 वैज्ञानिक एवं 54 पदों पर प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति के लिये 23 दिसम्बर, 1996 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर में वैज्ञानिक पदों के लिये अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 26 मई, से 10 जून के बीच किया गया। इसी तरह सेंटर में प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियों के लिये अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 19 से 21 जून तक हुआ। नियुक्ति के लिये सेंटर के अधिकारियों ने सूची पहले ही तैयार कर ली थी। संस्थान में वैज्ञानिक पदों पर नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों को एम0एस0सी0 प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना आवश्यक शर्त है लेकिन वैज्ञानिक एस0सी0 (लैन्डयूज) के पद पर साक्षात्कार के लिये ऐसे अभ्यर्थियों को बुलाया गया जो आवश्यक शर्त ही पूरी नहीं करते थे। इसी तरह इन पदों पर आवश्यक शर्त पूरी करने वाले कुछ अभ्यर्थियों को बुलाया ही नहीं गया।

वैज्ञानिक पदों पर नियुक्ति के लिये साक्षात्कार समिति का चेयरमैन सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बनाया गया था इसी तरह संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर साक्षात्कार के लिये गठित समिति का अध्यक्ष पद भी जोड़ तोड़ के आधार पर एक कनिष्ठ वैज्ञानिक को सौंप दिया गया। संस्थान में प्रशासनिक अधिकारियों के पदों पर चयन के लिये साक्षात्कार में इसी कनिष्ठ वैज्ञानिक के चहेतों को नियुक्त करने की सूची बन गई है। सभी नियमों को ताक पर रखते हुये चतुर्थ श्रेणी के एक कर्मचारी को सीधे द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति देकर कार्यालय अधीक्षक (स्टोर परचेज) बना दिया गया। यही नहीं साक्षात्कार का परिणाम घोषित हुये बिना ही वैज्ञानिक एस0डी0 के पद पर बनवारी लाल (मृदासंसाधन) एवं सुशील चन्द्रा (कम्प्यूटर इमेज प्रोसिसिंग) को कार्यभार दे दिया गया है। इन सभी गड़बड़ियों से अभ्यर्थियों में रोष व्याप्त है।

अतः मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का इस लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण करते हुये मांग करता हूं कि सभी नियुक्तियां रद्द की जायं और दोषी लोगों को दंडित करें।)

अलीगढ़ के बरौली क्षेत्रान्तर्गत जल स्तर नीचे हो जाने के कारण पेयजल संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दलवीर सिंह -

(मान्यवर, अलीगढ़ जनपद के विधान सभा क्षेत्र बरौली के अन्तर्गत आने वाले विकास खण्ड चंडोस, खैर, तापा, नया व इनीपुर के ग्रामों में भूगर्भ जल का स्तर नीचा है। गहरा हो जाने के कारण यहां पेयजल के पारम्परिक स्रोत कुयें, साधारण हैण्ड पम्प आदि कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इस क्षेत्र के लिये जल निगम की सामान्य योजना

( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

अथवा विशेष योजना के अन्तर्गत लगभग 200 अतिरिक्त हैण्डपम्प लगाने की व्यवस्था शीघ्र किये जाने की मांग इस सदन के माध्यम से की जाती है ।

उक्त लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित कर शासन से प्रभावी कार्यवाही की मांग की जाती है ।)

शाहजहांपुर में नाले नालियों की सफाई एवं सड़कों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

(मान्यवर, शाहजहांपुर नगर उत्तर प्रदेश के अत्यन्त गन्दे नगरों में से एक है । यहां नाले नालियां भरे पड़े हैं । शहर के प्रत्येक क्षेत्र के नालों में सुअर लोट रहे हैं । वे सभी चोक हैं, पानी व कीचड़ सड़कों पर बह रहा है, डामर की सड़कें कीचड़ व गन्दे पानी से नालियां बन गई हैं । पानी भरने से सड़कों में बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं जिससे आम नागरिकों को बड़ी असुविधा हो रही है । शाहजहांपुर में अब से 5 वर्ष पहले गन्दगी के कारण डेंगू बुखार फैला था जिसके कारण 200 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी । आज भी गन्दगी चरम सीमा पर है और फिर से जनता के स्वास्थ्य के लिये भारी खतरा है । स्थानीय प्रशासन कहता है कि संसाधनों के अभाव में जो नालियों को साफ कराना संभव नहीं है ।

बढ़ती हुई आबादी व क्षेत्र के अनुसार सफाई कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि नहीं की गई । परिणामस्वरूप गन्दगी का साम्राज्य है । इन नाले नालियों के भरने तथा बजबजाने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण अतिक्रमण का भी है । सफाई में भी असुविधा होती है, नगर के सभी प्रमुख नालों की सफाई न हुई तो शीघ्र ही शाहजहांपुर में भयंकर महामारी फैलेगी जिसका समस्त उत्तरदायित्व शासन व प्रशासन पर होगा । जब तक नाले साफ कराने के लिये अतिरिक्त धन की व्यवस्था नहीं की जाती है यह समस्या रहेगी । नाले नालियो का पानी तथा बरसात के पानी से सड़कों को पहचानना मुश्किल हो गया है । यह कहना मुश्किल हो गया है कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं । सड़कों का निर्माण भी शासन रेगुलर रोड ग्रान्ट जो अभी तक नहीं मिली तथा विशेष अनुदान से ही संभव होगा । अतः नाले नालियों की सफाई तथा सड़कों की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिये विशेष रूप से शाहजहांपुर नगरपालिका परिषद् के वास्ते धन की व्यवस्था की जावे ।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर आपके माध्यम से उक्त समस्या के निराकरण का अनुरोध करता हूं ।)

(शेष सभी सूचनायें अस्वीकार हुईं ।)

कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग-2 की दिनांक 27 अगस्त, 96 की विज्ञप्ति +

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी0आर0 वर्मा)-

मान्यवर मैं कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-व्या0क0-2-2063/ग्यारह-7(42)-86-उ0प्र0 अधि0-15-48-आदेश-96, दिनांक 27 अगस्त,1996 (विलम्ब के कारणों सहित) को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (2) के अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

+ छापी नहीं गई ।

( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1997

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी0आर0 वर्मा)-

मान्यवर, मैं कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-व्या0क0-2-1103/ग्यारह-9(230)95-उ0प्र0 अधि0-15-48 नियम 1948 संशोधन-97 दिनांक 7 अप्रैल, 1997 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश व्यापार कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1997 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग-2 की दिनांक 26 मई, 97 की विज्ञप्तियां +

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी0आर0 वर्मा)-

मान्यवर, मैं कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0स0वि0-2-1550/ग्यारह-9(68)97-उ0प्र0 अधि0-15-48-आदेश-97 दिनांक 26 मई, 1997 उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम 1948 की धारा 3-क की उपधारा (2)के अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री बी0आर0 वर्मा-

मान्यवर, मैं कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0स0वि-2-1551/ग्यारह-9(68)97-उ0प्र0 अधि0-15-48-आदेश-97 दिनांक 26 मई, 1997 को उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम 1948 की धारा 3-क की उपधारा (2) के अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री बी0आर0 वर्मा-

मान्यवर, मैं कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0स0वि-2-1552/ग्यारह-9(68)97-उ0प्र0 अधि0-15-48-आदेश-97 दिनांक 26 मई, 1997 को उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 3-घ की उपधारा (8) के अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री बी0आर0 वर्मा-

मान्यवर, मैं कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0स0वि-2-1553/ग्यारह-9(68)97-उ0प्र0 अधि0-15-48-आदेश- 7 दिनांक 26 मई, 1997 को उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (2) के अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग-2 की दिनांक 26 जून, 1997 विज्ञप्तियां +

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी0 आर0 वर्मा)-

मान्यवर, मैं कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0स0वि0-2-1948/ग्यारह-9(48)87-उ0प्र0 अधि0-15-48-आदेश-97 दिनांक 26 जून, 1997 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (2) के अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

+ छापी नहीं गई ।

श्री बी0आर0 वर्मा-

मान्यवर, मैं कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0स0वि0-2-1949/ग्यारह-9(48)87-उ0प्र0 अधि0-15-48-आदेश-97 दिनांक 26 जून, 1997 को उ0 प्र0 व्यापर कर अधिनियम, 1948 की धारा 3-घ की उपधारा (8) के अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1996 +

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी0 आर0 वर्मा)-

मान्यवर, मैं आबकारी अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 217 ई-12/तेरह-96-372-88, दिनांक 19 जनवरी, 1996 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1996 (विलम्ब के कारणों सहित) को उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 की धारा-22 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी शराब का निर्माण आयात, निर्यात परिवहन कब्जे में रखना और विक्रय नियमावली, 1996 +

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी0 आर0 वर्मा)-

मान्यवर, मैं आबकारी अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 2474 ई-2/तेरह-96-196-95, दिनांक 29 अगस्त, 1996 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी शराब का निर्माण आयात, निर्यात परिवहन, कब्जे में रखना और विक्रय) नियमावली, 1996 (बिलम्ब के कारणों सहित) को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश आवकारी की दुकानों की संख्या और स्थित (संशोधन) नियमावली, 1997 +

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी0 आर0 वर्मा)-

मान्यवर, मैं आबकारी अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 720/ई-2/तेरह-97-10-101-85 दिनांक 21 मार्च, 1997 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश आबकारी की दुकानों की संख्या और स्थिति (संशोधन) नियमावली, 1997 (विलम्ब के कारणों सहित) को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन रिपोर्ट ++

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी0 आर0 वर्मा)-

मान्यवर, मैं खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के सत्यापित लेखों के साथ परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1985-86, 1986-87, 1987-88 की रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 की धारा 30(4), (5) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

+ छापे नहीं गये ।

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट डीजल, आयल तथा एल्कोहल बिक्री या क्रय कराधान चतुर्थ संशोधन नियमावली, 1996 +

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी0 आर0 वर्मा)-

मान्यवर, मैं आबकारी अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 468-ई0-2/तेरह-95-283-86, दिनांक 28 मार्च, 1993 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट डीजल आयल तथा अल्कोहल की बिक्री या क्रय कराधान (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1996 (विलम्ब के कारणों सहित) को संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 की धारा 17 (5) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश बैण्ड आफ तोड़ी (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1994 +

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी0 आर0 वर्मा)-

मान्यवर, मैं आबकारी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 2135 ई0-1/13-400 (9)/94, दिनांक 4 अगस्त, 1994 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश बैन्ड आफ तोड़ी (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1994 जो उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित दिनांक 22 अगस्त, 1995 को सदन के पटल पर रखी गई थी तथा जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्टि कालावधि दिनांक 28 अक्टूबर, 1995 को बारहवीं विधान सभा का विघटन हो जाने के फलस्वरूप पूर्ण नहीं हो सकी को विलम्ब के कारणों सहित पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या 17 व मद संख्या 18 में कुछ नहीं है ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रमों के निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

मैं विधान सभा के दिनांक 5 अगस्त, 1997 से दिनांक 13 अगस्त, 1997 तक के कार्यक्रम के संबंध में कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशों की सूचना सदन को देता हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 4 अगस्त, 1997 की बैठक में सदन के दिनांक 5 अगस्त, 1997 से 13 अगस्त, 1997 तक के उपवेशनों के कार्यक्रमों के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 13 अगस्त, 1997 को भी सदन की बैठक रखी जाय और उस दिन उन चर्चाओं को, जिन पर मतदान न हो आधे-आधे घण्टे की चर्चा हेतु रखा जाय तथा उस दिन नियम 311 एवं नियम 56 की सूचनायें न ली जायं ।

++ छापे नहीं गये ।

+ छापे नहीं गई ।

2-सदन के दिनांक 5 अगस्त, 1997 से 13 अगस्त, 1997 तक के उपवेशनों के तिथिवार कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किया जाय :-

अगस्त, 1997

5 मंगलवार — 1-उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 1997 पर विचार एवं उसका पारण- आधा घण्टा ।

2-वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

3-प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादक किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान न किये जाने तथा गन्ने की पेराई की समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सूर्य प्रताप शाही, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा--

आधा घण्टा ।

6 बुधवार — वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

7 गुरुवार
8 शुक्रवार
9 शनिवार
10 रविवार — बैठक नहीं होगी

11 सोमवार — 1-वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2-(क) नियम 103 के अन्तर्गत श्री रंगनाथ मिश्र, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा ।

इस सदन का निश्चित मत है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में खोले गये पर्सनल लेजर एकाउन्ट के संचालन पर तत्काल रोक लगाई जाय और उसमें जमा धनराशि का उपयोग निर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु किया जाय ।"

(ख) नियम 103 के अंतर्गत श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा :-

"इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में संचालित बेसिक मिनिमम सर्विसेज का लाभ नगर निगमों तथा नगरपालिकाओं के क्षेत्रांतर्गत आने वाले ग्रामों को भी उपलब्ध कराया जाय ।"

(ग) नियम 103 के अन्तर्गत श्री विनय कुमार पाण्डेय "बिन्नू", श्री अमर मणि, श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री सतीश शर्मा, श्री बिहारी लाल आर्य, श्री दलवीर सिंह, श्री गंगा बक्श सिंह, श्री दिवाकर विक्रम सिंह, श्री श्याम सुन्दर शर्मा, श्री सुरेन्द्र नाथ श्री राम नरेश यादव, श्री जगदम्बिका पाल व श्री अखिलेख सिंह सदस्यगण, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताय का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा :-

"यह सदन राज्य निर्वाचन आयोग के संविधान तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 तथा तद्धीन बनाई गई नियमावली के प्राविधानों के उल्लंघन से संबंधित कार्यकलापों पर चिन्ता व्यक्त करता है।"

12 मंगलवार (1) वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। (अपराह्न 4.00 बजे तक)

(2) 4.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1997 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

13 बुधवार 1-गढ़वाल मण्डल में स्थान-स्थान पर अनावश्यक चुंगी प्रवेश शुल्क की वसूली तथा की रही अभद्रता एवं दुर्व्यवहार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा0 रमेश गैरोला "निशंक" द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा।

2-प्रदेश के मेडिकल कालेजों में छात्रों के प्रवेश शुल्क बढ़ाये जाने के संबंध में, नियम 52 के अन्तर्गत डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा दी गई सूचना, पर सदन में हुये वक्तव्य के संबंध में नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा।

3-मेरठ महाविद्यालयों में प्रवेश की समस्या, प्रयोगशालाओं में संसाधनों का अभाव नये कालेजों/संकायों का न खुलना तथा पुराने कालेजों के भवनों में वृद्धि न होना आदि विषयों के संबंध में डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा।

4-प्रदेश के समस्त नगर निगमों एवं नगरपालिकाओं के अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले शहरी क्षेत्रों के ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रभावी योजनायें बनाते हुये एतद्दर्थ पृथक से धनराशि का/आवंटन किये जाने के संबंध में श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा।"

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी0 आर0 वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष ने सदन को दी है, से सहमति व्यक्त करता है ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जिसकी सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने दी है, से सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या 20 में कुछ नहीं है ।

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान विधेयक, 1997 +

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी0 आर0 वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान विधेयक, 1997 को पुरः स्थापित करता हूं ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 5-2-1997 को नियम 311 में प्राप्त सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है । इस प्रकार नियम 56 के अन्तर्गत कुल 26 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गईं । प्रथम 5 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है :-

पहली सूचना श्री गौरी शंकर एडवोकेट की है ।

(श्री गौरी शंकर एडवोकेट का नाम पुकारे जाने एवं उनके न खड़े होने पर ।

सूचना निरस्त की जाती है ।

दूसरी सूचना श्री राम प्यारे की है ।

(श्री राम प्यारे का नाम पुकारे जाने एवं उनके न खड़े होने पर)

सूचना निरस्त की जाती है ।

+ दिनांक 29-8-97 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

तीसरी सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा की है ।

(श्री रघुवर दयाल वर्मा का नाम पुकारे जाने एवं उनके न खड़े होने पर ।)

सूचना निरस्त की जाती है ।

(विपक्ष के अधिकांश माननीय सदस्यों के लगातार वेल में उपस्थित रहने एवं नारे लगाने पर)

श्री अध्यक्ष-

नियम 56 में प्राप्त सभी सूचनायें निरस्त की जाती हैं ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 1997

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी0 आर0 वर्मा)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 1997 पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य श्री अमर मणि जी अपना संशोधन रखें ।

(श्री अमर मणि द्वारा संशोधन प्रस्ताव न रखने पर)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 1997 पर, विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 1997

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम, 1983 का अग्रतर संशोधन करने के लिये-

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़तालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (संशोधन) अधिनियम, 1997 कहा जायेगा ।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1983 की धारा 16 का प्रतिस्थापन

2-उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम, 1983 की धारा 16 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

मंदिर के अधिकारी

"16-(1) राज्य सरकार मंदिर के लिये एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी और ऐसे अन्य अधिकारी या अधिकारियों को, जैसा वह आवश्यक समझती है, नियुक्त कर सकती है

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारियों की सेवा की शर्तें जिसमें नियुक्ति के लिये अर्हतायें और उन्हें देय वेतन और भत्ते भी सम्मिलित हैं, ऐसे होंगे जैसे राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायं :

परन्तु वेतन और सेवा की अन्य शर्तों के बारे में ऐसे अधिकारियों के अधिकार, उनके नियुक्ति के पश्चात् इस प्रकार परिवर्तित नहीं किये जायेंगे कि उनके लिये अलाभकर हों।"

श्री अध्यक्ष-

खण्ड "2" खण्ड "1" प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 1997 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 1997 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(वेल में आये हुये सदस्य जोर-जोर से नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा। इसी मध्य वेल में आये हुये सदस्यों के बीच से कागज के गोले अध्यक्ष पीठ की तरफ फेके गये।)

वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या-23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना)

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी0 आर0 वर्मा)-

मान्यवर मैं आपकी आज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सांख्या 23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 29,03,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखे।

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं इसलिये मैं प्रश्न रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 29,03,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नोट:- * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुदान संख्या 24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

*सिंचाई गन्ना विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 95,18,93,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें ।

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं । इसलिये मैं प्रश्न रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 95,18,93,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 93-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)

सिंचाई, गन्ना विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 93-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,82,92,75,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें ।

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं इसलिये मैं प्रश्न रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 93-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,82,92,75,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

सिंचाई, गन्ना विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,44,53,11,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें ।

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं इसलिये मैं प्रश्न रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,44,53,11,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-60-वन विभाग

सिंचाई, गन्ना विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 60-वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 94,90,98,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें ।

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं इसलिये मैं प्रश्न रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 60-वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 94,90,98,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार)

सिंचाई, गन्ना विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 25-गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 60,59,13,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें ।

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं इसलिये मैं प्रश्न रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 25-गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 60,59,13,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

सिंचाई, गन्ना विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययो को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये; लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 21,42,62,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें ।

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं इसलिये मैं प्रश्न रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 21,42,62,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

गन्ना किसानों के मूल्य का भुगतान संबंधी चर्चा का निरस्तीकरण

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या-27 पर श्री सूर्य प्रताप शाही जी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

श्री शाही जी चर्चा के लिये खड़े नहीं हो रहे हैं, इसलिये मैं इस मद को निरस्त करता हूं ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 38 सूचनायें प्राप्त हुई हैं पहली सूचना श्री दिवाकर विक्रम सिंह जी की है उसे वक्तव्य हेतु, दूसरी सूचना डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी की वक्तव्य हेतु स्वीकार किया जाता है । तीसरी सूचना डा0 रमेश पोखरियाल निशंक की केवल वक्तव्य हेतु, चौथी सूचना श्री रंगनाथ मिश्र की केवल वक्तव्य हेतु पांचवी सूचना श्री शिशुपाल सिंह यादव श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी की केवल वक्तव्य हेतु स्वीकार की जाती है । छठीं सूचना श्री धर्मेश मिश्र की ध्यानाकर्षण हेतु सातवीं सूचना श्री राम प्यारे जी की ध्यानाकर्षण हेतु आठवीं सूचना

श्री दूगा प्रसाद यादव की ध्यानाकर्षण हेतु, नवीं सूचना मुख्तार अंसारी की ध्यानाकर्षण हेतु, दसवीं श्री वीरेन्द्र सिंह व अन्य ध्यानाकर्षण हेतु, ग्यारहवीं श्री जोखू लाल यादव की ध्यानाकर्षण हेतु, बारहवीं श्री राजधारी की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकार की जाती है। इसके आगे तेरहवीं सूचना श्री पूर्णमासी पंकज की ध्यानाकर्षण हेतु चौदहवीं सूचना श्री नवाब सिंह नागर की ध्यानाकर्षण हेतु, सोलहवीं श्री गजेन्द्र कुमार मन्ना व अन्य की ध्यानाकर्षण हेतु, सत्रवहीं सूचना श्री गोपाल कृष्ण व अन्य की ध्यानाकर्षण हेतु, अठारवहीं डा0 राम बाबू हरित की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकार की जाती है। शेष सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं।

मेरठ नगर निगम में की जा रही अधिकारियों की मनमानी भ्रष्टाचार से उत्पन्न विषम स्थिति के सम्बन्ध में नियम 5। के अन्तर्गत वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी0 आर0 वर्मा-)-

मान्यवर, नगर निगम मेरठ में किसी भी कानून.....

(सदन की सहमति से संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री बी0 आर0 वर्मा-

(प्रक्रिया व परम्पराओं को ताक पर रखकर ठेके नहीं दिये जा रहे हैं। जो भी ठेके इत्यादि अब तक नगर निगम द्वारा दिये गये हैं, उनमें नगर निगम के हितों को पर्याप्त ध्यान रखा गया है तथा नगर निगम की आय उससे गत वर्ष की अपेक्षा में लगभग 50 प्रतिशत अधिक वृद्धि की गई है। जैसा कि शासनादेश द्वारा निर्देश दिये गये थे। अतः नगर निगम को किसी भी दशा में आर्थिक क्षति नहीं पहुंचाई जा रही है और न कोई ऐसा ठेका दिया गया है जिससे कि कर्मचारियों को खाली एवं बेरोजगारी की ओर बढ़ाया जा रहा है। किसी कर्मचारी की छटनी नहीं की गई है।

नगर निगम द्वारा होर्डिंग, आई0एच0पी0 व क्योस्क का कोई भी ठेका अभी तक नहीं दिया गया है। विगत वर्ष माह अक्टूबर में विज्ञापन एजेन्सियों के साथ दरें बढ़ाने हेतु वार्ता की गई थी, क्योंकि विज्ञापन की दरें इस नगर निगम में कम एवं पुरानी थीं। अन्य नगर निगमों में से कई निगमों में होर्डिंग्स आदि का ठेका किसी विज्ञापन एजेन्सी को दो या तीन वर्ष के लिये दिया जाता रहा है। इससे नगर निगम को अच्छी आय हो जाती है। यहां पर यह प्रयास बैठक में किया गया। परन्तु विज्ञापन एजेन्सियों ने इसका विरोध किया और यह तर्क दिया कि इससे स्थानीय विज्ञापन एजेन्सियों में बेरोजगारी बढ़ेगी। वार्ता के बाद वे दरों में वृद्धि करने को तैयार हो गये और ठेके पर दिये जाने का प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया। वर्तमान में भी इनका कोई ठेका नहीं दिया गया है। दरों में बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप इस वर्ष नगर निगम को इस मद में लगभग 12 लाख से अधिक की आय सम्भावित है। पिछले वर्ष इस मद में केवल रु0 7 लाख की आय हुई थी। इस वर्ष नगर निगम ने शहर में लोक निर्माण विभाग की सड़क पर बने डिवाइडर्स पर विद्युतीकरण व सौन्दर्यीकरण के उद्देश्य से लोक निर्माण से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर दिल्ली स्थित सोफ्ट लाईन

नोटः-() यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

एडवरटाइजिंग एजेन्सी से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर एक अनुबन्ध 10 वर्षों के लिये कार्यकारिणी के अनुमोदनोपरान्त किया है जिसके तहत उपरोक्त एजेन्सी अपने खर्चे से इन डिवाईडर्स पर बिजली के पोल्स, केबिल व बीच-बीच में ट्री गार्ड लगाकर पेड़ पौधे सौन्दर्यीकरण हेतु लगायेगी तथा प्रत्येक वर्ष उनका रख-रखाव, पेन्टिंग इत्यादि भी उन्हें करना पड़ेगा। इसके बदले उपरोक्त एजेन्सी ने मात्र 30"x40" के क्योरक उसके द्वारा लगाये जाने वाले विद्युत खम्भों पर लगाने की अनुमति/अधिकार मांगा है। उपरोक्त एजेन्सी से अनुबन्ध नगर निगम की कार्यकारिणी के चलन प्रस्ताव द्वारा अनुमोदन होने के उपरान्त किया गया है इसमें नगर निगम को कोई वित्तीय हानि नहीं हो रही है अपितु शहर का सौन्दर्यीकरण व विद्युतीकरण की दिशा में एक नवीनतम् प्रयोग है। इस कार्य को करने के लिये न तो नगर निगम के पास अपने आय साधन हैं और न विकास प्राधिकरण ही इस ओर सहयोग प्रदान करने की इच्छा रखता है। यह एजेन्सी दस वर्ष के उपरान्त उसके द्वारा लगाये गये विद्युत पोल्स केबिल्स को सही स्थिति में नगर निगम को हस्तान्तरित करेगा जिसकी इस समय अनुमानित लागत मूल्य लगभग रुपये 26 लाख है। लगभग 500 पोल्स/केबिल एजेन्सी से ब्याज रहित जमानत रुपये एक लाख जमा कराई गई है।

इस वर्ष शहरी क्षेत्र की तहबाजारी का ठेका 15,10,000/- (पन्द्रह लाख दस हजार रुपये) में छोड़ा गया है जिसको नगर निगम की कार्यकारिणी द्वारा अनुमोदित किया गया है। विगत् वर्ष शहरी तहबाजारी की मद में रु0 9.82 लाख की वसूली नगर निगम स्टाफ द्वारा की गई थी तथा जो दरें तहबाजारी की प्रचलित थी वह पिछली 25 वर्षों से पुनरीक्षित नहीं की गई थीं। शासन की नीतिगत निर्देशानुसार इस वर्ष अप्रैल माह में तहबाजारी की दरों में बढ़ोत्तरी की गई, जिसका घोर विरोध, धरना प्रदर्शन द्वारा किया गया। कई सभासदों ने भी इसका विरोध किया। संबंधित संघों ने यह प्रस्ताव रखा कि पुरानी दरों पर ही वसूली करायें वे राजस्व में बढ़ोत्तरी में सहयोग देंगे तथा कर्मचारियों को भी ईमानदारी से कार्य हेतु कहा जाये। इस प्रयोग को अप्रैल माह में किया गया, परन्तु परिणाम अपेक्षानुरूप नहीं रहे। फिर नगर निगम द्वारा मई माह में इनके संघों से वार्ता करके दरों में वृद्धि की गई और लागू किया गया। परन्तु वसूली नगर निगम स्टाफ द्वारा ही कराई गई। परन्तु फिर भी वसूली में आशा के अनुसार वृद्धि दृष्टिगोचर नहीं हुई। तब शहरी क्षेत्र की तहबाजारी का ठेका देने हेतु कार्यवाही की गई। उपरोक्त ठेके में गत वर्ष से 50 प्रतिशत की वृद्धि स्पष्ट है। किसी व्यक्ति के उत्पीड़न का कोई मामला अभी प्रकाश में नहीं आया है। अन्य बाहरी शहरी क्षेत्रों में जैसे कंकरखेड़ा, मोदीपुरम्, कसेरूबक्सर, अब्दुल्लापुर आदि में तहबाजारी की वसूली नगर निगम स्टाफ द्वारा ही नई दरों पर कराई जा रही है।)

उत्तरांचल क्षेत्र में हाई स्कूल व इण्टर कालेजों के खोलने के संबंध में जिला शिक्षा विभाग द्वारा गलत सूचनायें प्रेषित किये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

इसमें प्रतियां नहीं आई है इसलिये इस वक्तव्य को मैं स्थगित करता हूं।

नोट:-()यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(वेल में आये हुये विपक्ष के कई सदस्य जोर-जोर से नारे लगाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा और सदन के वेल में आये हुये सदस्यगण में से एक सदस्य रिपोर्टस टेबल पर कुर्सी रखकर बैठ गये ।)

भदोही जनपद के कालीन उद्योग के व्यवसायियों के विरुद्ध उपचार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी0 आर0 वर्मा)-

उत्तर प्रदेश का कालीन उद्योग .....(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

वाराणसी क्षेत्र के आस-पास भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, इलाहाबाद एवं जौनपुर में फैला हुआ है । कालीन के विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा 14 से 18 प्रतिशत तक है । भार के कुल कालीन नियति का 85 से 90 प्रतिशत इस क्षेत्र से ही निर्यात होता है और 75 प्रतिशत करघे इसी क्षेत्र में स्थित हैं । एक अनुमान के अनुसार 1,20,000 करघे कालीन क्षेत्र में स्थित हैं और इस उद्योग में लगभग 10 से 12 लाख लोगों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से रोजगार मिलता है ।

कालीन उद्योग में बाल श्रम समस्या प्रमुख रूप से विद्यमान रही है । सातवीं पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत दिनांक 14 अगस्त, 1987 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल श्रम नीति की घोषणा की गई थी । उक्त नीति के अंतर्गत बाल श्रम प्रथा का उन्मूलन एवं अवमुक्त कराये गये बाल श्रमिकों को पुनर्वासित किये जाने का लक्ष्य रखा गया था । इसी परिप्रेक्ष्य में कालीन उद्योग को कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत खतरनाक प्रक्रिया वाला घोषित किया गया है ।

वर्ष 1992 में हस्त शिल्प विकास आयुक्त, भारत सरकार द्वारा नेशनल कौंसिल आफ अप्लाइड एकोनामिक रिसर्च द्वारा उसी कालीन उद्योग में बाल श्रमिकों की स्थिति का अध्ययन कराया गया था, जिसमें कालीन उद्योग में नियोजित कुल श्रमिकों में 8 प्रतिशत बाल श्रमिक आंकलित किये गये हैं जिसमें से 4.4 प्रतिशत पारिवारिक बाल श्रमिक तथा 3.6 प्रतिशत मजदूरी पर नियोजित बाल श्रमिक आंकलित किये गये हैं । इसी संस्था द्वारा वर्ष 1994 में पुनः अध्ययन किया गया जिसमें बाल श्रमिकों का प्रतिशत घटकर 7.5 प्रतिशत रह गया है । यह उपलब्धि प्रदेश सरकार द्वारा कालीन क्षेत्र में बाल श्रम प्रथा को समाप्त करने हेतु प्रवर्तन की सघन कार्यवाही कराये जाने के उपरान्त सम्भव हो सकी । विगत 3 वर्षों में कालीन क्षेत्र में की गई प्रवर्तन की कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष	निरीक्षण	प्राभियोजन
1995	22677	993
1996	11830	421
1997 (जून तक)	4796	74

नोट:- ( ) अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 10 दिसम्बर, 1996 के अनुपालन में प्रदेश के समस्त जनपदों में बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण दिनांक 8 अप्रैल, 1997 से 20 मई, 1997 के मध्य कराये गये सर्वेक्षण के उपरान्त खतरनाक प्रक्रियाओं के अन्तर्गत जनपद भदोही में 184 बाल श्रमिक नियोजित पाये गये। इसके अतिरिक्त वाराणसी में 641 तथा मिर्जापुर में 88 बाल श्रमिक चिन्हित किये गये।

कालीन क्षेत्र में निम्नलिखित स्वैच्छिक संस्थायें सक्रिय हैं जो कि बाल श्रमिकों के संबंध में सूचनायें शासन को उपलब्ध कराती हैं एवं उन्हें अवमुक्त कराने में अपना सहयोग प्रदान करते हैं :-

(1) बंधुआ मजदूर मोर्चा

यह संगठन मिर्जापुर में स्थापित है। इसकी प्रमुख श्रीमती चम्पा श्रीवास्तव हैं। यह संगठन बंधुआ/प्रवासी बाल श्रमिकों को जिला प्रशासन और पुलिस की सहायता से अवमुक्त कराने में सहायक रहा है।

(2) क्रेडा

यह संगठन मिर्जापुर में स्थापित है और श्री शमशाद खां इसके कार्यकारी सचिव हैं। इस संस्था द्वारा बाल श्रमिकों हेतु 40 विशेष विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं।

(3) साउथ एशियन को अलीशन फार चाईल्ड लेबर सर्विच्युड

यह संगठन दिल्ली में स्थित है। वाराणसी में संगठन के प्रतिनिधि डा0 लेनिन द्वारा "बचपन बचाओ आंदोलन" चलाया जा रहा है। यह संगठन मुख्य रूप से अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकर्षित करने तथा बाल श्रमिकों के विषय पर उचित राय बनाने में रत हैं।

(4) प्रोजेक्ट माला

यह एक स्कॉटिश चेरीटेबिल ट्रस्ट टी0आई0सी0 द्वारा प्रारम्भ की गई पंजीकृत चेरीटेबिल सोसायटी है। ई0ई0सी0 की वित्तीय सहायता और ओवरसीज डेवलपमेंट एजेन्सी की वित्तीय सहायता से 1990 में प्रारम्भ किया गया था। इसके द्वारा चार स्कूल संचालित किये जा रहे हैं और इसके शैक्षणिक कार्यक्रम गांधीवादी सिद्धान्तों के अनुरूप बनाये गये हैं।

जहां तक प्रश्नगत नोटिस में विदेशों में कुप्रचार करने वाले लोगों के विरुद्ध संज्ञान कार्यवाही का प्रश्न है, इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के संज्ञान में यदि ऐसी कोई बात आती है, तो विदेशों में कुप्रचार करने वालों के विरुद्ध निश्चित रूप से नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश सरकार का कालीन उद्योग सहित प्रदेश के समस्त खतरनाक प्रक्रिया वाले नियोजनों से बाल श्रम प्रथा के समूल उन्मूलन का लक्ष्य है। इसी दृष्टिकोण के अनुरूप कालीन उद्योग में प्रवर्तन की कार्यवाही की जाती है। 30/35 वर्ष के नवयुवकों को

बाल श्रमिक दर्शा कर सेवायोजकों के उत्पीड़न का कोई भी मामला प्रकाश में नहीं आया। कालीन निर्माताओं की कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त करने हेतु समय-समय पर सेवायोजकों के संगठन तथा उनके प्रतिनिधियों से भी अधिकारी स्तर पर सम्पर्क बनाये रखा जाता है। कालीन उद्योग निरन्तर उन्नति के पथ पर अग्रसर हो, इसके लिये प्रदेश सरकार सतत् प्रयत्नशील है।)

प्रदेश के 14 विश्वविद्यालयों की सभाओं में कार्य करने हेतु विधान सभा के 5-5 सदस्यों का नाम निर्देशन करने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी0आर0 वर्मा)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य के 14 विश्वविद्यालयों अर्थात लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, श्री साहूजी महराज विश्वविद्यालय, कानपुर, डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल, हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ वाराणसी, सम्पूर्णा नन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, झांसी, पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, डा0 भीमराम अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा की सभाओं में कार्य करने के लिये प्रत्येक के लिये विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों के निर्वाचन के लिये विधान सभा के दिनांक 30 जुलाई, 1997 के उपवेशन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में यह सदन उक्त विश्वविद्यालय की सभाओं में कार्य करने के लिये प्रत्येक के लिये विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों का का नाम निर्देशन करने के लिये मा0 अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह संकल्प करता है कि इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्य संबंधित अधिनियम के उपबन्धों की अपेक्षानुसार-विधान सभा द्वारा सम्यक रूप से निर्वाचित समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि इस राज्य के 14 विश्वविद्यालयों अर्थात लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, श्री साहूजी महराज विश्वविद्यालय कानपुर, डा0 राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय फैजाबाद, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ वाराणसी, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, रुहेल खण्ड विश्वविद्यालय, बरेली, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी, पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा की सभाओं में कार्य करने के लिये प्रत्येक के लिये विधान सभा के पांच सदस्यों के निर्वाचन के लिये विधान सभा के दिनांक 30 जुलाई, 1997 के उपदेशन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में यह सदन उक्त विश्वविद्यालय की सभाओं में कार्य करने के लिये प्रत्येक के लिये विधान सभा के पांच-पांच सदरयों का नाम निर्देशन करने के लिये माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह संकल्प करता है कि इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्य संबंधित अधिनियम के उपबन्धों की अपेक्षानुसार विधान सभा द्वारा सम्यक रूप से निर्वाचित समझे जायेंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ।)

राज्य समन्वय समिति विकलांग कल्याण में कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन के लिये श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी0 आर0 वर्मा)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य समन्वय समिति विकलांग कल्याण में कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन के लिये विधान सभा के दिनांक 31 जुलाई, 1997 के उपवेशन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में यह सदन उक्त समिति में कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों का नाम निर्देशन करने के लिये माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और संकल्प करता है कि इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्य संबंधित अधिनियम के उपबन्धों की अपेक्षानुसार विधान सभा द्वारा निर्वाचित समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि राज्य समन्वय समिति विकलांग कल्याण में कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन के लिये विधान सभा के दिनांक 31 जुलाई, 1997 के उपवेशन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में यह सदन उक्त समिति में कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों का नाम निर्देशन करने के लिये माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और संकल्प करता है कि इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्य संबंधित अधिनियम के उपबन्धों की अपेक्षानुसार विधान सभा द्वारा निर्वाचित समझे जायेंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों के नाम निर्देशन हेतुश्रीअध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी0 आर0 वर्मा)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन के लिये विधान सभा के दिनांक 1 अगस्त, 1997 के उपवेशन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में यह सदन उक्त संस्थान में सदस्यता के लिये विधान सभा के दो सदस्यों का नाम निर्देशन करने के लिये माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और संकल्प करता है कि इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्य संबंधित अधिनियम के उपबन्धों की अपेक्षानुसार विधान सभा द्वारा निर्वाचित समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये विधान सभा के दो-दो सदस्यों के निर्वाचन के लिये विधान सभा के दिनांक 1 अगस्त, 1997 के उपवेशन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में यह सदन उक्त संस्थान में सदस्यता के लिये विधान सभा के दो सदस्यों का नाम निर्देशन के लिये माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और संकल्प करता है कि इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्य संबंधित अधिनियम के उपबन्धों की अपेक्षानुसार विधान सभा द्वारा निर्वाचित समझे जायेंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन के लिये श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी0 आर0 वर्मा)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन के लिये विधान सभा के दिनांक 2 अगस्त, 1997 के उपवेशन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में यह सदन उक्त बोर्ड में सदस्यता के लिये विधान सभा के दो सदस्यों का नाम निर्देशन करने के लिये माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और संकल्प करता है कि इस प्रकार निर्देशित सदस्य संबंधित अधिनियम के उपबन्धों की अपेक्षानुसार विधान सभा द्वारा निर्वाचित समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन के लिये विधान सभा के दिनांक 2 अगस्त, 1997 के उपवेशनों में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में यह सदन उक्त बोर्ड में सदस्यता के लिये विधान सभा के दो सदस्यों का नाम-निदेशन करने के लिये माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और संकल्प करता है कि इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्य संबंधित अधिनियम के उपबन्धों की अपेक्षानुसार विधान सभा द्वारा निर्वाचित समझे जायेंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

जनपद सुल्तानपुर के औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर में मालविका स्टील में सुरक्षा उपायों की विभिन्नता के कारण कर्मचारियों की हो रही मौत के संबंध में नियम 51 के अंतर्गत केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी0 आर0 वर्मा)-

जनपद सुल्तानपुर उक्त औद्योगिक क्षेत्र में मालविका .....

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री बी० आर० वर्मा-

|| स्टील्स में अधिकारियों की लापरवाही सुरक्षा के उपयों में शिथिलता के कारण विगत वर्षों में कई ऐसे कर्मचारियों की दुर्घटना में दर्दनाक मौते हो गई हैं यहां के अधिकारी इतने संवेदनहीन हैं कि दुर्घटना या मौत को सरकारी कर्मचारी पुलिस अधिकारियों को मिलाकर बड़ी सफाई से दबा ले जाते हैं। जिससे गरीबो को कहीं न्याय न ही कोई उचित मुआबजा ही मिलता है । पुलिस अधिकारी यहां के अधिकारियों के बुरी तरह आर्थिक दबाव में रहने से न्याय नहीं मिल पा रहा है।

ऐसी ही एक दुर्घटना दिनांक 8-7-97 को अनुबंधित मजदूर के रूप में कार्यरत श्री सहबू पुत्र सितई ग्राम रजखेता मगरे पलिया थाना बाजार शुक्ला सुल्तानपुर का पुत्र बृजलाल पासी की पट्टे पर गिरकर मौत हो गई है । जिससे संस्थान में अफरा तफरी मची है ।

इस फैक्ट्री में न तो कोई तात्कालिक दवा की सुविधा है न ही इस ओर अधिकारियों की संवेदना है । मृत व्यक्ति यहां जानवरों से भी बदतर है । इस घटना को आज 20 दिन हुये इसकी न तो रिपोर्ट दर्ज की गई न ही इसे कोई आर्थिक मदद की गई इस मामले को सारे पुलिस अधिकारियों को लिखित सूचना देने के बाद आज तक सारे पुलिस अधिकारी मालविका स्टील्स के अधिकारियों के चंगुल में है ।

इस घटना से मजदूर आन्दोलित है जिससे भारी असन्तोष है साथ में अधिकारियों के अमानुषिक व्यवहार से स्थानीय जनता में भी भारी असन्तोष है जिससे विस्फोटक स्थिति है । अगर समय से कोई कार्यवाही न की गई तो कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है ।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाकर तुरन्त रिपोर्ट लिखने तथा अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा उचित मुआबजा आदि दिलवाये जाने की मांग करता हूं ।

जिलाधिकारी सुल्तानपुर से प्राप्त आख्या के आधार पर विवरण निम्नवत् है:-

बृजलाल पासी पुत्र सहबू पासी निवासी रजखेता, मालविका का नियमित कर्मी नहीं था अपितु मालविका के ठेकेदार रफ्फे उर्फ रफीक के द्वारा अनुबंधित मजदूर था । रफीक का ठेका कार्य समाप्त हो चुका था, जिस कारण बृजलाल बेकार हो गया था और वह बी० के० सिंह ठेकेदार के यहां कार्य पाने हेतु प्रयत्नशील था इसी संबंध में वह दिनांक 10-7-97 को बी० के० सिंह के सुपरवाइजर अशोक सिंह के पास गया।

घटना की तिथि दिनांक 8-7-97 बताई गई है जो कि अन्य अभिलेखों से पुष्ट नहीं होती । इण्डोगल्फ अस्पताल के प्रविष्टि पंजिका में दिनांक 8-7-97 को नहीं अपितु दिनांक 10-7-97 को बिरजा प्रसाद पुत्र सहबू निवासी रजखेता का उल्लेख है । अन्य तरीकों से जांच से यह स्पष्ट है कि बिरजा प्रसाद ही बृजलाल पासी है और इनको दिनांक 10-7-97 को चिकित्सा हेतु जख्मी हालत में सुपरवाइजर अशोक सिंह व अन्य द्वारा दाखिल कराया गया जहां से दिनांक 10-7-97 को ही लखनऊ मेडिकल कालेज ले गये जहां पर बृज लाल की मृत्य दिनांक 23-7-97 को हुई थी।

नोट:- || || यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस संबंध में सूचना चौकी मेल इण्डस्ट्रियल एरिया जगदीशपुर द्वारा क्षेत्राधिकारी को दिनांक 27-7-97 को दी गई। क्षेत्राधिकारी मुसाफिरखाना को इसकी सूचना द्वारा फोटो प्रति प्रार्थना पत्र सहबू पुत्र सितई निवासी ग्राम रजखेता द्वारा दिनांक 27-7-97 को दी गई। मृत्यु का कारण शव-विच्छेदन आख्या में सेप्टिक होना उल्लिखित है। बृजलाल को जख्मी हालत में अस्पताल में ले जाने वाले लोगों ने अपने बयान में बृजलाल को शराब के नशे में होना बताया है। इनमें अशोक सिंह, अशरफीलाल, गया प्रसाद, राजेन्द्र प्रसाद आदि का बयान लिया गया है। वास्तव में कनवेयर बेल्ट से बृजलाल किस प्रकार जख्मी हुआ कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिला, ऐसा प्रतीत होता है कि शराब के नशे में असंतुलित होकर बृजलाल कनवेयर बेल्ट के पास गिरा और जख्मी हो गया। मालविका प्रबन्धन ने इस घटना से अनभिज्ञता व्यक्त किया है।

लेकिन प्रथम दृष्ट्या जांच से स्थापित हो चुका है कि घटना मालविका फैक्टरी के परिसर के अन्दर ही हुई है और अन्दर से ही जख्मी हालत में बृजलाल को बाहर इण्डोगल्फ अस्पताल में ले जाया गया। मामले की और विस्तृत जांच कराई जा रही है।

इसके बाद सदन 3 बजकर 22 मिनट पर अगले दिन के ।। बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

लखनऊ :
दिनांक 5 अगस्त, 1997

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क"

(देखिये अता० प्र० सं० 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ ....15.... पर)

जनपद फैजाबाद के तीन विकास खण्डों में सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत विद्युतीकृत ग्रामों की सूची

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	विद्युतीकृत ग्रामों का नाम
1	अमानीगंज	1-चन्दौरा, 2-खड़सेपुर, 3-गोहनिया, 4-औरैया, 5-टण्डवा, 6-अमादासफी, 7-भवन नगर, 8-गद्दोपुर, 9-जगदीशपुर, 10-जाफरनगर, 11-इब्राहीमपुर, 12-चकवारा, 13-कितादन, 14-कुन्दखा, 15-रायपट्टी, 16-अल्लापुर, 17-पुलापुर, 18-तालढोली, 19-विनायकपुर, 20-इसौली, 21-चन्दौली, 22-अड़वड़सरैया, 23-मनुडीह, 24-रामपुर मोहनिया, 25-नरसण्डा, 26-घटौली, 27-मिश्रौली, 28-देवरा, 29-जिगनाही, 30-पूरापति, 31-खन्डासा, 32-मुबारकपुर, 33-पूरेलाल, 34-गेवापुर मु0 रसूलपुर लिलहा, 35-पूरे सिन्धारी, 36-मांझगांव, 37-कोराहा, 38-बहबरमऊ, 39-तिन्दौली, 40-बयानाथन्धुआ, 41-अकमा, 42-पिछला ।
2	मिल्कीपुर	1-किन्हूपुर, 2-खानपुर, 3-मजनाई, 4-सैदखानपुर, 5-पाराखानी, 6-देवरिया, 7-खिहारन, 8-कमैडन्डा, 9-सारी, 10-टकसरा, 11-मेंहदौना, 12-गोहनाकाननगो, 13-मीठेगांव, 14-कुचेरा, 15-पाराबभमान, 16-दछापाली, 17-सबेरा, 18-इनायतनगर, 19-मुबइखुर्द, 20-चिरोली, 21-अजरोली, 22-महौलारा, 23-मिल्कीपुर, 24-इदगांव, 25-उपाध्यक्ष, 26-सराहेमराज, 27-धनेचा, 28-मितैरा 29-सराय धनेठी, 30-इफलपुर, 31-सरूरपुर, 32-बरडेपारा, 33-सिधौना, 34-परबगांव, 35-जोरियम, 36-बलरम, 37-गोकुला, 38-गौरी गनेशपुर ।
3	हरिंगटनगंज	1-हल्लैद्वारिकापुर, 2-मकीनपुर उर्फ पहाड़पुर, 3-चन्दीपर नगहरा, 4-पछरी, 5-चतेरा, 6-ढेमावेस, 7-परसौली, 8-थैंगाशिवकश, 9-परमानन्दपुर, 10-देवरी, 11-चम्पारपुर, 12-रेवरी, 13-धुरेहटा, 14-जारुआ, 15-रतापुर, 16-गिरधरामऊ, 17-अछौरा, 18-खड़वाहिया, 19-भिटारी, 20-हरिरामपुर, 21-परसारारथरा, 22-पहिया लौहनी, 23-अदिलपुर, 24-फरवरपारा, 25-रुरुखास, 26-रजौरा, 27-जलालपुर भग, 28-सिमरा मु0 चिरबड़ी, 29-पाराताजपुर, 30-गयासुद्दीनपुर, 31-हरदोया, 32-मोहनवा, 33-पलियाप्रतापशाह, 34-अहिरनसुवंश, 35-सरायभदरा, 36-मलेधुवुजुर्ग, 37-मलेधुखुर्द, 38-जोहन, 39-लक्ष्मणपुर ग्रान्ट ।

नत्थी "ख"

(देखिये अता0प्र0सं0 3। का उत्तर पीछे पृष्ठ ..24.. पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या 3। का संलग्नक

गोमती नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना के अन्तर्गत लखनऊ सुल्तानपुर एवं जौनपुर नगरों में निम्नलिखित कार्य होने हैं :-

1-लखनऊ

1.1 प्रथम चरण

1.1.1. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना ।
1.1.2. सीवर क्लीनिंग सी0सी0टी0वी0 सर्वे, मेनहोल मैपिंग एवं इमरजेंसी कार्य ।
1.1.3. गऊघाट नाले के डायवर्जन का कार्य ।
1.1.4. सरकटा एवं पाटा नाले की सफाई एवं जीर्णोद्धार का कार्य ।
1.1.5. सरकटा नाले तथा पाटा नाले के इन्टरसेप्शन/डायवर्जन का कार्य ।
1.1.6. निम्न गोमती पंपिंग स्टेशन में सुधारात्मक कार्य ।
1.1.7. नगर के मास्टर प्लान का विरचन कार्य/द्वितीय चरण के कार्यों हेतु प्रस्ताव
1.1.8. पाटा नाला सीवर की सफाई ।
1.1.9. सरकटा (ए) नाला सीवर की सफाई ।
1.1.10. सरकटा (बी) नाला सीवर की सफाई ।
1.1.11. घसियारी मण्डी सीवर कार्य ।
1.1.12. निम्न गोमती सीवर पम्पिंग स्टेशन का रिहैबीलिटेशन ।

1.2 द्वितीय चरण में नगर के मास्टर प्लान के विरचन एवं इसके अनुमोदन के उपरान्त ब्रिटिश सरकार की सहमति से कार्यों का चयन होगा । इसका निर्धारण अभी शेष है ।

2-सुल्तानपुर तथा जौनपुर

	सुल्तानपुर	जौनपुर
1-सार्वजनिक शौचालय	5 नग	5 नग
2-उन्नत किस्म के लकड़ी के शवदाह गृह का निर्माण	2 नग	3 नग
3-(क) नगर के नालों का डायवर्ट करना तथा तत्संबंधी कार्य	5 नाले	10 नाले
(ख) पम्पिंग स्टेशन	3 नग	5 नग
(ग) ग्रेविटी सीवर	1470 मी0	7255 मी0
(घ) राइजिंग मैन	1960 मी0	2900 मी0

4	एस0टी0पी0	आक्सीडेसन पण्ड 5 एम0एल0डी0	यू0ए0एस0 बी0एम0 एल0डी0-14
5	वनीकरण नालों में टेपिंग के पास पम्पिंग स्टेशन परिसर एवं शोधन कार्य स्थल पर	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
6	घाटों का जीर्णोद्धार	1 नग	1 नग
7	गोमती प्रदूषण नियंत्रण कार्यों के संबंध में जनजागरण	जाब	जाब

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ग"

(देखिये अता0प्र0सं0 86 का उत्तर पीछे पृष्ठ ..47... पर)

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा सामाजिक संस्थाओं के पक्ष में आवंटित किये गये भवन/ कार्यालय की सूची

क्र0सं0	सामाजिक संस्था का नाम	आवंटित कालोनी
1	हिन्द मजदूर किसान पंचायत	20, विधायक निवास-1
2	आल इण्डिया मोमिन कान्फ्रेन्स उ0प्र0 लखनऊ	32, विधायक निवास-1
3	कार्यालय अनुसूचित जाति/जनजाति विकास परिषद्	68, विधायक निवास-1
4	जन कल्याण सेवा समिति	107, विधायक निवास-1
5	उ0प्र0 बुनकर जनमोर्चा	143, विधायक निवास-1
6	सुखधाम सार्वजनिक कल्याण सोसा0	149, विधायक निवास-1
7	हरिजन सेवक संघ	154, विधायक निवास-1
8	सूखा सहायता समिति	172, विधायक निवास-1
9	राहुल सांकृतयायन स्कृति मंच	175, विधायक निवास-1
10	अखिल भारतीय कुर्मि क्षत्रिय महासभा	186, विधायक निवास-1
11	अमर शहीद वीरांगना अवंतिबाई लोधी संस्थान	187, विधायक निवास-1
12	माइनारटीज फोरम आफ इण्डिया	34, विधायक निवास-2 (प)
13	अन्जुमन बरगाहे वारसी	47, विधायक निवास-2 (प)
14	चयनिका साहित्यिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था	66, विधायक निवास-2(प)
15	उ0प्र0अल्पसंख्यक एवं सहयोगी कल्याण परिषद्	97, विधायक निवास-2(प)
16	कार्यालय दीनदयाल संस्थान	105, लाप्लास का0
17	कार्यालय स्व0 श्री अवध शरण स्मारक महिला संस्थान	206, लाप्लास का0
18	कार्यालय अखिल भारतीय वैश्य महासभा	405, लाप्लास का0
19	कार्यालय इण्डियन ब्रदरहुड एसोशियेशन	बी-36, बटलर पैलेस
20	श्री देवदत्त संस्थान	10 टा0-4, बटलर पैलेस
21	स्व0 श्री वीर बहादुर सिंह सेवा संस्थान	3, माल एवेन्यू
22	भारतरत्न बोधिसत्व बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर महासभा	10-ए नार्थ वि0स0मार्ग
23	डा0 राम मनोहर लोहिया संस्थान.	1 व 2 पु0मंत्री आवास
24	वर्षा ग्रामोद्योग सेवा संस्थान	ई.डी.-34 तालकटोरा
25	अखिल भारतीय पासी समाज	9/2, डालीबाग कालोनी
26	तम्बोर विकास संस्थान	12/2, डालीबाग कालोनी
27	कल्यांणं करोति संस्था	जे-4/4, डालीबाग कालोनी
28	श्रीकृष्ण फाउन्डेशन संस्था	ई.डी.-28, डायमंड डेरी

नत्थी "घ"

(देखिये अता0प्र0सं0 90 का उत्तर पीछे पृष्ठ ...48.... पर)

सिंह द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 90 के उत्तर में संलग्न सूची :-

विकास खण्ड सांथा

1	खुजरी	ईंट के खड़ंजा से जुडा है ।
2	छिबरा	1.70 किमी0 खड़ंजा स्तर तथा अवशेष 300 मी0 गिट्टी ।
3	जूतरीनानकर	1.10 किमी0 ईंट की पुरानी रोलिंग तथा 200 मी0 कच्चा मार्ग ।
4	मेहदूपार	ईंट की सोलिंग से जुड़ा है ।
5	गुसहरा	खड़ंजा स्तर से जुड़ा है ।
6	हरैया	खड़ंजा स्तर से जुड़ा है ।
7	अमरहा	1.80 किमी0 सोलिंग तथा 0.85 किमी0 गिट्टी स्तर से जुड़ा है।
8	बनेथू	1.00 किमी0 सोलिंग मार्ग तथा 2.00 किमी0 खड़ंजा स्तर से जुड़ा है ।
9	धोबहा	मिट्टी स्तर पर है ।
10	लोहरसन	150 किमी0 सोलिंग तथा अवशेष 350 मी0 गिट्टी स्तर पर है ।

2-विकाख खण्ड-खेसरहा

1	पेड़ारी बुजुर्ग	पुरानी ईंट की सोलिंग से जुड़ा है ।
2	मुहुईनानकार	नहीं जुड़ा है ।
3	कलनाखोर	2.00 किमी0 ईंट की सोलिंग तथा 600 मी0 गिट्टी स्तर पर है ।
4	टीकुर	खड़ंजा स्तर से जुड़ा है ।
5	बनकेगांव	2.00 किमी0 सतह लेपन तथा अवशेष गिट्टी स्तर पर है ।
6	कुड़जा	4.00 किमी0 खंडजा तथा 1.50 किमी0 गिट्टी स्तर पर है ।
7	भेड़ोहा	0.50 किमी0 लेपर स्तर तथा अवशेष 2.50 किमी0 खड़ंजा स्तर से जुडा है ।
8	देवरी	नहीं जुड़ा है ।
9	देलउख	1.70 किमी0 लेपित सतह तथा 1.30 किमी0 टापकोट स्टीन बैलास्ट से जुड़ा है ।

3-विकास खण्ड मिठवल

1	असन्गर खास	डड़िया सम्पर्क मार्ग द्वारा टापकोट स्टोन बैलास्ट से जुड़ा है ।
2	मसीनाखास	2.662 किमी0 सतह लेपित 1.00 किमी टापकोट, 1.838 किमी0 खड़ंजा स्तर से जुड़ा है ।
3	कोलहुई	गिट्टी स्तर पर है ।

नत्थी "ड"

(देखिये अतारांकित प्र0सं0 115 का उत्तर पीछे पृष्ठ ...57... पर)

शिक्षा निदेशक एवं जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा अनुमोदित ग्रामों की सूची (वर्ष 96-97)

क्रमांक	शिक्षा निदेशक द्वारा अनुमोदित ग्राम	जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा अनुमोदित ग्राम
	1-विकास खण्ड-सुल्तानगंज	
1	न0 गडरियान	न0 भजन
2	न0 गुलावो	न0 हिम्मत
3	धनकपुर	भवानी नगर
4	धारापुर	धारापुर
5	न0 धावी	महरमई
6	फर्दपुर	भोजपुरा
7	न0 खरा	न0 खरा
8	प्रयागपुर	न0 नया
9	शिवपालपुर	फकैता
	2-विकास खण्ड-वेवर	
1	दलीपपुर नरैनी	कछपुरा
2	न0 कंज	न0 कंज
3	भारापुर	भारापुर
4	अरसनिया	अरसनिया
5	जसराजपुर	जसराजपुर
6	दयावन्त नगर	खूजा
7	मददापुर खास	राम नगरिया
8	भूडहार	भूडहार
9	तिगवा	मानिकापुर
10	अपूरपुर	खजुइया
11	नौरंगाबाद	न0 परम
12	पर्णपुर	कमलपुर
13	विल्सड	पच पुखोरा
14	कुशलपुर	लक्ष्मण: पुर
15	जिलही	जिलही
16	अठ लकड़ा	वोलपुर:
17	अकवरपुर गनू	अकबेरपुर गनू
18	अहमत	दरमागं

1	2	3
19	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर
20	लोधीपुर	लोधीपुर
21	प्रयागपर	धोबिया-महानन्दपुर
22	शाहजहापुर	पदीपुर
23	रम्पुरा	बुद्धि नगर
24	हुसैनपुर	हुसैनपुर
25	वोरपुर-हुसैनपुर	राम नगरिया
26	झन्डेपुर	जसवन्तपुर
27	सराय मद	सराय मद
28	महमुदिया	लालापुर
29	नैकामऊ	गग्कर पुर
30	तरावा देवी	बड़ाहार
31	जगतपुर	जगतपुर
32	अहंकारी पुर	गुलाबपुर
33	पद्मनर	पद्मनर
34	रैपुरा	मानिकपुर
35	देव रनिया	नन्दुलिया
36	थउआ	अलीपुर
37	वागपुर	वागपुर
38	वरान	न0 पति

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "च"

(देखिये अता0प्र0सं0 125 का उत्तर पीछे पृष्ठ ...61.... पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या 125 का संलग्नक

(अ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दारा प्रदत्त अनुदानों का विवरण

पत्रांक एवं दिनांक	मद	स्वीकृत अनुदान की राशि
1-एफ-33-6(10)(86)सी-थर्ड दिनांक 7-3-87	बेसिक अनुदान पुस्तकें, जनरल्स, एवं उपकरण क्रयार्थ	रु0 53,760/-
2-एफ 1-2 '88 (एकाउन्ट्स-जी) /6158 दि. 30-12-88	शिक्षक कक्ष एवं भूगोल प्रयोगशाला निर्माण हेतु	रु0 50,000/-
3-एफ-1-2/88 (एकाउन्ट्स-जी) 7118 दिनांक 18-2-89	पुस्तकें एवं जनरल्स क्रय हेतु विशेष अनुदान	रु0 25,000/-
4-एफ-27-1/83 (डी-1) दिनांक 14-4-83/31-8-84 द्वारा अनुमोदित ।	पुस्तकालय भवन निर्माण हेतु	
धन अवमुक्त की तिथि		
(क) दिनांक 07-12-84		रु0 50.000/-
(ख) दिनांक 26-3-85		रु0 50.000/-
(ग) दिनांक 01-09-96		रु0 25,000/-

(ब) शासन द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पुस्तकालय भवन के लिये स्वीकृत अनुदान के प्रति स्वीकृत अंशदान का विवरण

शासनादेश संख्या एवं दिनांक	स्वीकृत अनुदान
1-8372/15-11-84,3/17/84 दिनांक 27-2-85	रु0 30,000/-
2-6544/15-11-84/30/85 दिनांक 16-11-85	30,000/-
3-153/15-11-87-4ए (27)/96, दिनांक 10-3-87	रु0 5,000/-
4-394/15-11-86-4ए (30)/85, दिनांक 24-3-86	रु0 5,000/-

पी0 एस0 यू0 पी0--एल0 354 विधान सभा ( )-1997-316-ई0टी0 ।